अनुक्रम

प्रस्तावना 3

भाग–1
सांगठनिक ढांचे को सुगठित करना 7

भाग–2
जनसंगठनों की स्वतंत्र और जनवादी
कार्यप्रणाली के काम की समीक्षा 57

भाग–3
वर्गीय व जन संघर्षों के लिए नए दिशा–निर्देश 64

भाग–4
राज्यों में संगठन के लिए निर्देश 76

सांगठनिक प्रस्ताव
कोलकाता में 27 से 31 दिसंबर 2015 तक संपन्न
सांगठनिक प्लेनम द्वारा स्वीकृत 116

अनुलग्नक–1
पार्टी सदस्यता 127

अनुलग्नक–2
जन मोर्चों की सदस्य संख्या 132

अनुलग्नक–3
अखिल भरतीय स्तर पर पार्टी सदस्यता का विवरण 138

अनुलग्नक–4
कमेटियों का गठन 141

अनुलग्नक–5
2003 के पार्टी सदस्यता नवीकरण के लिए 142

सांगठनिक रिपोर्ट

(27 से 31 दिसंबर 2015 तक कोलकाता में संपन्न सांगठनिक प्लेनम द्वारा स्वीकृत)

प्रस्तावना

1.1 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की 21वीं कांग्रेस ने 2015 के अंत में संगठन पर प्लेनम करने का फैसला लिया। दक्षिणपंथी साम्प्रदायिक ताक़तों के हमले के साथ देश की राजनीतिक परिस्थिति ने यह और भी ज्यादा जरूरी कर दिया था कि पार्टी संगठन के हर स्तर को मजबूत किया जाय ताकि पार्टी को वर्गीय व जन संघर्षों का निर्माण करने, उन्मुक्त करने तथा आगे बढ़ाने का औजार बनाया जा सके, जिससे देश में ताकतों के मौजूदा संतुलन को वाम-जनवादी शक्तियों के पक्ष में बदला जा सके। प्लेनम की जरूरत पार्टी के जनाधार में गिरावट को रोकने तथा पार्टी के प्रभाव और जन-शक्ति का विस्तार करने में विफलता पर पार पाने के लिए भी है। प्लेनम को पार्टी-संगठन की सामर्थ्यों और कमजोरियों का आकलन करना चाहिए तथा आने वाले दिनों के संगठन के प्रयासों का केंद्र तय करना चाहिए।

1.2 केन्द्रीय कमेटी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की अपनी समीक्षा में निर्णय लिया था कि चार कदम उठाना जरूरी है। पहला था, राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन की समीक्षा करना। इसे पार्टी कांग्रेस में पूरा कर लिया गया। दूसरा था, पार्टी संगठन की और जनता के बीच काम की उन्मुखता की समीक्षा करना। तीसरा था, जनसंगठनों और उनकी उन्मुखता की समीक्षा। इन दो कामों को इस प्लेनम में पूरा किया जाना था। चौथा काम था, उदारीकरण के बाद सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में आये परिवर्तनों का तथा विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना। इन अध्ययनों के आधार पर ठोस नारे तय किए जाने थे। इस सिलसिले में कुछ मुद्दों को पार्टी कांग्रेस में लिया गया था तथा उनको स्वीकृति

प्रदान की गयी थी। शेष मुद्दों पर विचार तथा ठोस नारे सूत्रबद्ध करने का काम को प्लेनम में किया जाना है।

1.3 1964 में सी पी आइ (एम) की स्थापना के बाद पार्टी ने, 1967 के नवम्बर की केन्द्रीय कमेटी की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव, ''पार्टी संगठन के कार्यभार'' में, संगठन के सवाल को लिया था। इस प्रस्ताव ने पार्टी संगठन पर संशोधनवादी विचारों से नाता तोड़ने का एलान किया तथा क्रांतिकारी संगठन के निर्माण के कार्य के लिए सही दिशा दिखाई। 10 वीं पार्टी कांग्रेस द्वारा नई राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन को स्वीकृति दिए जाने के बाद, 1978 के दिसम्बर में पार्टी संगठन पर सलकिया प्लेनम हुआ। सलकिया रिपोर्ट तथा प्रस्ताव ने, एक अखिल भारतीय जन-क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करने और पूरे देश के पैमाने पर पार्टी का विस्तार करने के कार्यभार पर जोर दिया।

1.4 इसके 13 साल बाद, चौदहवीं पार्टी कांग्रेस ने, ''संगठन तथा कार्यभार पर रिपोर्ट'' में सलकिया प्लेनम के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा आने वाले समय के लिए सांगठनिक कार्यों को निर्धारित किया। उसके बाद, एक के बाद हर पार्टी कांग्रेस ने सांगठनिक मोर्चे पर काम की समीक्षा की थी तथा प्रत्येक ने तात्कालिक कार्य तय किये थे। केन्द्रीय कमेटी ने 1996 और 2009 में दुरुस्तीकरण पर दो प्रस्तावों को अपनाया था। 1981 तथा 2004 में केंद्रीय कमेटी ने जनसंगठनों पर पार्टी के दृष्टिकोण पर भी दो प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इन्होने जनसंगठनों के काम के लिए सही समझ और दिशा प्रदान करने का प्रयास किया था।

1.5 संगठन पर सलकिया प्लेनम 1978 में हुआ था। तब आपातकाल के बाद के दौर में पार्टी की छवि और प्रभाव चढ़त पर थे। लेकिन, वर्तमान प्लेनम ऐसे समय पर हो रहा है, जबकि पार्टी अपने जनाधार में गिरावट का सामना कर रही है। इसलिए, इस प्लेनम का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाय ताकि इस गिरावट को पलटा जा सके और पार्टी व जनांदोलनों का विस्तार सुनिश्चित किया जा सके।

1.6 सोवियत संघ के विघटन तथा समाजवाद को लगे धक्के से उत्पन्न हुए वातावरण का प्रभाव, पार्टी संगठन पर पड़ा है। इसके अलावा, वैश्वीकरण और नवउदारवाद तथा साम्प्रदायिकता के उभार का भी, संगठन के काम-काज पर सीधे असर पड़ा

है। इन घटनाविकास के परिणामों का मुकाबला करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, पार्टी संगठन को चुस्त-दुरुस्त करना जरूरी है।

1.7 मजदूर वर्ग की पार्टी के रूप में सी पी आइ (एम) जनता की जनवादी क्रान्ति के रणनीतिक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए जरूरी है कि बुनियादी वर्गों—मजदूर वर्ग, गरीब किसान, खेतिहर मजदूरों को गोलबंद किया जाए। यह मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, क्रांतिकारी गठजोड़ की रीढ़ का काम करेगा। वाम-जनवादी मोर्चे का गठन, इसी लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।

1.8 21वीं पार्टी कांग्रेस में स्वीकार की गयी राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन ने वाम-जनवादी मोर्चे के गठन की प्राथमिकता को बहाल किया है। इसके लिए पार्टी की स्वतंत्र शक्ति में बहुत भारी वृद्धि की जरूरत है। संगठन के क्षेत्र में इसको पूरा करने का मार्ग है, जनता के साथ जीवंत संपर्क स्थापित करना है। संगठन पर जन लाइन का अर्थ है, जनता के साथ घुलमिल जाना तथा वर्गीय व जनांदोलनों को आगे ले जाना। इसी प्रक्रिया के जरिए हम वाम- जनवादी गठबंधन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।

1.9 21वीं पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन ने उस दक्षिणपंथी हमले का सामना कर उसे पीछे धकेलने का आव्हान किया है, जिसका प्रतिनिधित्व नवउदारवादी, सम्प्रदायवादी तथा सर्वसत्तावादी शक्तियां करती हैं। शासक वर्ग के इस हमले को साम्राज्यवाद का समर्थन हासिल है। पार्टी संगठन को इन ताक़तों से लड़ने के लिए तैयार करना है। **ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि एक जनाधार वाली शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण कैसे हो।**

1.10 पार्टी को, शासक वर्गों तथा उनके एजेंटों के असंख्य हमलों का सामना करना पड़ा है। पिछले ढ़ाई दशकों में देश के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों पार्टी सदस्यों तथा हमदर्दों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में, जहां हम मजबूत हैं, अलग-अलग मुकामों पर संकेंद्रित हमले हुए हैं। हमले का नवीनतम उदाहरण है, पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस तथा उसकी सरकार की हिंसा और आतंक। पार्टी कैडरों की निस्वार्थ निष्ठा ने इन तीन वामपंथी आधारों में पार्टी के बढ़ने में मदद की है। पार्टी संगठन को, ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करने तथा उन पर पार पाने में समर्थ होना चाहिए।

1.11 यह रिपोर्ट पोलिट ब्यूरो द्वारा तैयार की गयी एक सर्वसमावेशी प्रश्नावली पर राज्य कमेटियों द्वारा भेजे गए उत्तरों पर विचार करके तैयार की गयी है।

1.12 रिपोर्ट चार भागों में विभाजित है:

1.13 **भाग–1** सम्पूर्ण पार्टी संगठन के बारे में है। इसके चार अनुभाग हैं :

(अ) सांगठनिक ढांचे को सुगठित करना;

(आ) क्रांतिकारी पार्टी के लिए गुणवत्तापूर्ण सदस्यता;

(इ) जनवादी केन्द्रीयता पर आधारित पार्टी;

(ई) वैचारिक संघर्ष चलाओ।

1.14 **भाग–2,** जन संगठनों की जनवादी तथा स्वतंत्र कार्यवाही के बारे में है।

1–15 **भाग–3,** वर्गीय तथा जन संघर्षों के लिए नए दिशा निर्देशों पर है।

1–16 **भाग–4,** प्रत्येक राज्य में संगठन तथा आन्दोलन का निर्माण कैसे किया जाय, इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश देता है।

भाग-1

अ
सांगठनिक ढांचे को सुगठित करना

काम करने की शैली—एक जन-लाइन के लिए

1.17 सभी स्तरों पर नेतृत्व के काम करने की शैली को बड़े पैमाने पर नयी दिशा देनी होगी। संगठन में सभी स्तरों पर एक हद तक ढर्राबद्धता और घिसीपिटी कार्यपद्धति का प्रवेश हो गया है। काम करने यह जनता के साथ जीवंत रिश्ते खो देने के कारण है। कार्यकर्ताओं में जन-लाइन तथा जन-उन्मुखता को पनपाना होगा। रुख होना चाहिए—जनता के बीच जाना और जनता से सीखना। हमें उस पैटर्न को तोड़ना होगा, जहां नेताओं का जनसभा तथा रैलियों को संबोधित करना ही, जनता के साथ उनका एकमात्र औपचारिक संपर्क होता है। सभी स्तरों पर नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाने के अभियानों में, जन चंदा अभियान में, पास-पड़ौस की सभाओं में, हमदर्दों की बैठकों में और कार्यकर्ताओं व हमदर्दों के विचार सुनने के लिए, पार्टी सदस्यों की बैठकों में भागीदारी करनी होगी। नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं को और खासतौर पर जिला कमेटी से लगाकर नीचे तक के नेतृत्वकारी साथियों को, जिनमें जन संगठनों के नेता भी शामिल हैं, गांवों में तथा मजदूर बस्तियों में रात को रुकने के जरिए जनता के विभिन्न हिस्सों के साथ समय बिताने और उसने संवाद करने की आदत डालनी चाहिए। पी बी-सी सी समेत सभी स्तरों पर नेताओं को जन-अभियानों तथा संघर्षों में सीधे भागीदारी करना चाहिए। उन्हें उन जगहों पर, जहां आन्दोलन चल रहे हों, उनके मार्गदर्शन तथा सहायता देने के लिए, समय बिताना चाहिए।

सांगठनिक कामों को पूरा करने में विफलता

1.18 हालांकि, सलकिया प्लेनम के निर्णयों को लागू करने के काम की समीक्षा के परिणामस्वरूप 14वीं पार्टी कांग्रेस में तथा उसके बाद की पार्टी कांग्रेसों में कई सही निर्णय लिए गए थे, किन्तु हम उनको पर्याप्त रूप से लागू करने में या उन्हें जारी रखने में असफल रहे हैं। हम ऐसा करने में क्यों असमर्थ रहे, इसको ठीक से समझना तथा उसके कारणों को इंगित करना जरूरी है। इसके कुछ कारण हैं:

(1) या तो दिन प्रति दिन की कार्यनीति में ही व्यस्त होने के कारण या फिर संघवाद और उदारवाद के रुझानों के चलते, पोलिट ब्यूरो तथा केन्द्रीय नेतृत्व की संगठन से संबंधित निर्णयों को लागू करने में असमर्थता।

(2) बढ़ता हुआ संसदवाद, जिसने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने तथा जन संगठनों का विकास करने के काम पर केंद्रितता को कमजोर किया।

(3) विचारधारात्मक विश्वास की दृढ़ता का क्षरण और इसके चलते पूंजीवादी पार्टियों से भिन्न राजनीति करने के उत्साह की हानि हुई है।

(4) पार्टी सदस्यों की गिरती हुई गुणवत्ता, जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक जनवादी केन्द्रीयता के अमल पर प्रतिकूल असर डाला है।

1.19 पार्टी संगठन के ढांचे को चुस्त–दुरुस्त करना होगा, ताकि उसे जन लाइन को लागू करने तथा वर्गीय व जन संघर्षों को छेड़ने में और उन्हें नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ बनाया जा सके। हर स्तर पर संगठन को राजनीतिक और वैचारिक कार्य करने के लिए लैस किया जाना चाहिए ताकि जनाधार को पुख्ता कर सके तथा उसका विस्तार कर सके।

पार्टी केंद्र

1.20 सांगठनिक ढांचे में पार्टी केंद्र की स्थिति केन्द्रीय है। पार्टी केंद्र का निर्माण करने तथा उसे मजबूत बनाने की प्रक्रिया सलकिया प्लेनम में दिए गए दिश–निर्देशों के साथ आरम्भ हुई थी। पार्टी केंद्र को मजबूत करने के लिए 14वीं पार्टी कांग्रेस की सांगठनिक समीक्षा के बाद किये गए प्रयासों से परिणाम प्राप्त हुए हैं।

1.21 वर्तमान में, 21वीं पार्टी कांग्रेस के वाद आठ पोलिट ब्यूरो सदस्य, केंद्र से काम कर रहे हैं। यह अब तक की ज्यादा संख्या है। पोलित ब्यूरो की सहायता के लिए सेक्रेटेरिएट का गठन पहली बार 1989 में किया गया था। वर्तमान में पार्टी के महासचिव के अलावा सेक्रेटेरिएट में 5 सदस्य हैं। सेक्रेटेरियट का एक सदस्य पार्टी प्लेनम के उपरांत केंद्र पर आ जाएगा। इस तरह विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए केंद्र पर 13 कामरेड हैं।

1.22 14वीं पार्टी कांग्रेस में सलकिया प्लेनम के निर्णयों पर अमल की समीक्षा करते समय हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि यह आशा करना कि सभी पी बी सदस्य केंद्र से काम करें तथा दोहरे दायित्व को समाप्त कर दिया जाय, व्यावहारिक नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा के मजबूत राज्यों के नेतृत्व से, जिसमें

राज्यों के सचिव या जन संगठनों के प्रमुख नेता या मुख्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे पोलित ब्यूरो के सदस्य के रूप में केंद्र से काम करेंगे। भारत जैसे विविधतापूर्ण तथा बहुजातीय देश में यह जरूरी है कि पोलिट ब्यूरो की संरचना ऐसी हो कि उसमें केंद्र से पूर्णकालिक काम करने वाले सदस्य हों तथा साथ ही, राज्यों के तथा मजबूत आन्दोलनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता भी हों। इसके साथ ही एक प्रभावी केंद्र के लिए जरूरी है कि केंद्रीय काम के लिए और ज्यादा पोलिट ब्यूरो सदस्य हों और केंद्र से काम करने वाले पी बी सदस्यों की बहुलता होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य के साथ केंद्र से काम करने वाले पी बी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया था। 17वीं कांग्रेस के बाद केंद्र से 6 पी बी सदस्य काम कर रहे थे। अब यह संख्या बढ़कर 16 सदस्यों में से आठ की की हो गयी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये सभी आठ सदस्य केंद्र से काम करें।

1.23 पिछले दो दशकों में केंद्र के काम की समीक्षाओं में यह निष्कर्ष एक अटूट सूत्र की तरह समाया रहा है कि पार्टी केंद्र फौरी राजनीतिक घटना विकास पर प्रतिक्रिया करने तथा पार्टी के रुख को तय करने में समर्थ रहा है। राज्यों के स्तर पर आने वाले ऐसे सभी मुद्दों पर भी, जिन पर राजनीतिक मार्गदर्शन की जरूरत हो, केंद्र ने तत्परता से प्रत्युत्तर दिया है।

मुख्य रूप से केंद्र पर उपलब्ध पी बी सदस्यों की रोजाना बैठक के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। किन्तु पार्टी केंद्र, संगठन पर लिए गए निर्णयों की निगरानी तथा जरूरत पड़ने पर सांगठनिक मुद्दों पर समय पर हस्तक्षेप नहीं कर सका है। दूसरी कमजोरी जिसको पहले नोट किया गया वह थी पोलित ब्यूरो तथा केन्द्रीय कमेटी द्वारा अखिल भारतीय जन संगठनों के काम की समय-समय पर समीक्षा के मामले में। इस कमजोरी को दुरुस्त करने की कोशिश की गयी। 17 वीं तथा 18वीं कांग्रेस के मध्य केन्द्रीय कमेटी ने ट्रेड यूनियन मोर्चे और किसान तथा खेत मजदूर मोर्चे के काम की समीक्षा की। महिलाओं के मुद्दों पर पार्टी के परिप्रेक्ष्य तथा काम पर एक दस्तावेज तथा एक और दस्तावेज, ''छात्र मोर्चा : नीति और काम'' पारित किया गया। किन्तु केंद्रीय कमेटी अब तक युवा मोर्चे पर काम पर बुनियादी दस्तावेज पारित नहीं कर सकी है।

1.24 पार्टी केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि उप-समितियों/ फ्रैक्शन कमेटियों द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न जन संगठनों के काम की रिपोर्टों की, समय-समय पर समीक्षा की जाए। इस सम्बन्ध में एक के बाद एक पार्टी कांग्रेस में दिए

गए दिशा–निर्देशों को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए।

1.25 पिछले एक दशक में केंद्र से काम करने के लिए कमेटियों तथा विभागों को स्थापित करने में प्रगति हुई है। आंदोलनात्मक–प्रचार (एजिट–प्रोप) विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय विभाग, नियमित रूप से काम कर रहे हैं। शिक्षा उप–समिति ने भी अच्छा काम किया है और 2005–2014 के दौर में कहीं अधिक पार्टी स्कूल आयोजित किये गए हैं।

1.26 केन्द्रीय कमेटी की उप–समितियों तथा अखिल भारतीय फ्रैक्शन कमेटियों ने अधिक व्यवस्थित ढंग से काम किया है। वर्तमान में 10 उप–समितियां तथा 29 अखिल भारतीय फ्रैक्शन कमेटियां हैं। अल्पसंख्यक मामलों, दलित मामलों तथा विकलांगों पर कमेटियों का गठन किया गया है ताकि इन नए क्षेत्रों तथा मंचों में काम के लिए दिशा निर्देशन दिया जा सके।

1.27 पार्टी केंद्र तथा पीबी के काम में जो सुधार किये जाने हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव की केन्द्रीय कमेटी की समीक्षा के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए. जिसका 21 वीं पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक– सांगठनिक रिपोर्ट ने अनुमोदन किया है। पार्टी के राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने में, उसकी सांगठनिक शक्ति बढ़ाने में तथा जनाधार को विकसित करने में असफलता के लिए जिम्मेदारी मुख्यतौर पर पीबी और केन्द्रीय नेतृत्व पर आती है। पोलित ब्यूरो तथा पार्टी केन्द्र के काम को इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

1.28 पार्टी केंद्र तथा पोलित ब्यूरो के काम को सुधारने के लिए क्या करने की जरूरत है? राज्यों द्वारा दिए गए प्रश्नावली के उत्तरों में की गईं आलोचनाओं में, एक आलोचना यह है कि पोलिट ब्यूरो ने, अखिल भारतीय आन्दोलनों तथा संघर्षों को छेड़ने तथा विकसित करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया था। इसके अलावा राज्यों में चल रहे अभियानों, आन्दोलनों तथा संघर्षों में केन्द्रीय नेताओं की और अधिक भागीदारी की जरूरत है। इन कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और इन्हें दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे।

1.29 पार्टी केंद्र से काम कर रहे पोलित ब्यूरो सदस्यों के काम की नियमित समीक्षा का अभाव है। ऐसी समीक्षा की जाना चाहिए ताकि उसके आधार पर उनके काम तथा कार्यशैली में सुधार हो सके। पीबी तथा सीसी में हुए विचार–विमर्श के लीक हो जाने की घटनाओं की रोशनी में और ज्यादा अनुशासन व सुसंबद्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है। पोलित ब्यूरो और सीसी को सचेत रूप से संघवाद, उदारवाद

तथा मनोगत भाववाद के रुझानों का मुकाबला करना होगा।

1.30 पार्टी केंद्र पर निम्न कदम उठाने होंगे:

(1) राज्यों में होने वाले अभियानों, आन्दोलनों तथा संघर्षों में केन्द्रीय नेताओं की और अधिक भागीदारी।

(2) पार्टी केंद्र, सांगठनिक फैसलों पर अमल की निगरानी करे तथा जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप करे।

(3) केन्द्रीय कमेटी में जन संगठनों के काम की समय-समय पर समीक्षा हो।

(4) प्रस्तावित सुरजीत भवन में स्थाई केन्द्रीय स्कूल की स्थापना के साथ, स्थाई आधार पर पार्टी शिक्षण का काम हो।

(5) विभिन्न विभागों में काम करने के लिए योग्य कार्यकर्ताओं को लेकर केंद्र को मजबूत किया जाए।

(6) केंद्र, प्राथमिकता वाले राज्यों की तरफ और अधिक ध्यान दे तथा हिंदी भाषी राज्यों की जरूरतों को पूरा किया जाए।

प्राथमिकता वाले राज्य

1.31 2002 में 17वीं पार्टी कांग्रेस के फैसले पर अमल करते हुए, केन्द्रीय कमेटी ने पार्टी के विस्तार के प्रयासों को केन्द्रित करने हेतु असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता वाले राज्यों के रूप में चुना था। उद्देश्य यह था कि पार्टी केंद्र तथा सम्बंधित राज्य कमेटियां वहां अधिक ध्यान दें और राज्य कमेटियां अपने सभी साधनों को जुटाएं और पार्टी के विस्तार हेतु ठोस कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, योजना बना कर प्रयास करें। यह भी तय किया गया था कि राज्य कमेटियां इसके लिए. विस्तार के प्रयासों को संकेंद्रित करने के लिए, कुछ खास जिलों को प्राथमिकता के जिलों के रूप में तथा कुछ जन संगठनों को प्राथमिकता के जन संगठन के रूप में चुनें। पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ताओं को चुन कर वहां पर लगाया जाए। पीबी, केन्द्रीय सेक्रेटेरिएट के सदस्य तथा केंद्रीय कमेटी सदस्य, जिनको भी प्राथमिकता वाले राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, राज्य कमेटियों की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहे थे तथा कुछ जिला कमेटियों की, उप-समितियों की तथा फ्रैक्शन कमेटियों की बैठकों में भी उपस्थित रहे थे। राज्य कमेटियों ने योजनाएं बनाई थीं और उनको लागू करने के कुछ प्रयास भी किए थे।

1.32 फिर भी, प्राथमिकता के राज्यों की अवधारणा को लागू करने के गत 13 वर्षों के अनुभव की समीक्षा यह दिखाती है कि प्रयासों तथा संसाधनों को संकेंद्रित करने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है। हालाकि पार्टी केंद्र ने कुछ ध्यान दिया, किन्तु वह पर्याप्त नहीं था। जनसंगठनों के अखिल भारतीय केन्द्रों ने भी इन राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। सम्बंधित राज्य भी चुने गए प्राथमिक जिलों और मोर्चों पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सके तथा नए क्षेत्रों और मोर्चों पर पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ताओं को नहीं लगा सके।

1.33 प्राथमिकता के राज्यों की अवधारणा इसलिए लायी गयी थी कि तीन मजबूत राज्यों के बाहर, चयनित राज्यों में विस्तार को सुनिश्चित कर, पार्टी के असमान विकास पर पार पाया जाए। प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर और पार्टी के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय कमेटी को प्राथमिकता वाले राज्यों की सूची में बदलाव करना चाहिए। पीबी तथा सीसी को इन राज्यों पर अधिक ध्यान तथा संसाधन लगाने के लिए, नए सिरे से योजना बनानी चाहिए। इसमें यह भी शामिल हो कि अखिल भारतीय जनसंगठनों के केंद्र भी, इन राज्यों की तरफ अधिक ध्यान दें।

हिंदी भाषी राज्य

1.34 हिंदी भाषी राज्यों में काम को आगे बढ़ाने के लिए सलकिया प्लेनम के दिशा-निर्देश के बाद, 1980 के दशक में कुछ प्रगति हुई थी। किन्तु, बाद में इसने अपनी रफ़्तार को खो दिया। 2004 में सभी हिंदी भाषी राज्यों की सदस्य संख्या कुल मिला कर 37885 थी। सभी जनसंगठनों की सदस्यता कुल मिलाकर 16,16,123 थी। दस साल बाद, अब पार्टी सदस्यता 50,836 और जनसंगठनों की सदस्यता 26,10,609 है। पार्टी सदस्यता में 34.2 फीसद की और जनसंगठनों की सदस्यता में 61.5 फीसद की वृद्धि हुई है।

1.35 किन्तु यह हिंदी क्षेत्र में पार्टी तथा जनवादी आन्दोलन की स्थिति सही तस्वीर सामने नहीं लाता है। पार्टी सदस्यता और जनसंगठनों की सदस्यता में हुई वृद्धि, पार्टी के विकास तथा उसके जन प्रभाव में बढ़ोतरी को प्रतिबिंबित नहीं करती है। 1990 के दशक और उसके बाद के दौर ने बहुत बड़े पैमाने पर, बहुसंख्यक साम्प्रदायिकता का और जातिवादी अपील की राजनीति का उत्थान देखा। इस प्रक्रिया का पार्टी तथा वाम पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अकेले राजस्थान में ही पार्टी, किसानों के संघर्ष और आन्दोलन के आधार पर, कुछ आगे बढ़ सकी है।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड में भी कुछ इलाकों में सीमित विकास हुआ है। दो बड़े राज्यों, बिहार और उत्तरप्रदेश में से पहले में ठहराव तथा दूसरे में गिरावट की स्थिति है। इन दोनों राज्यों में, प्रमुख क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी समझौतों ने, पार्टी के स्वतंत्र विकास पर प्रतिकूल असर डाला है।

1.36 राज्य केन्द्रों को स्थापित करने तथा उन्हें मजबूत करने में प्रगति हुई है। किन्तु जिला कमेटियों के स्तर पर काम कमजोर है और यह कमजोरी निचले स्तर पर, ब्रांच कमेटी तक के काम में प्रतिबिंबित होती है। चयनित जिला केन्द्रों को मजबूत करने तथा उन जिलों में पार्टी और जनसंगठनों के काम की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1.37 हिंदीभाषी राज्यों में पार्टी संगठन के विकास में सहायता करने के लिए, केंद्र को और ज्यादा समय और संसाधन लगाने होंगे और वर्गीय व सामाजिक मुद्दों पर जनांदोलन चलाने में उनकी मदद करनी होगी। राज्य सचिवों की समय-समय पर बैठक करने जैसे कदम भी नियमित रूप से नहीं उठाये गए। ये बैठकें 2006 से 2010 तक ही हुईं और उसके बाद धीरे-धीरे कम होती चली गईं।

1.38 पार्टी की स्वतंत्र कार्यवाहियां तथा वाम दलों की संयुक्त कार्यवाही पर जोर, राजनीतिक-सांगठनिक कमजोरियों से पार पाने का आधार मुहैया कराएगा। लेकिन, स्वतंत्र राजनीतिक कार्यवाहियों को तेज करना तथा दीर्घकालिक आधार पर वर्गीय तथा जन संघर्षों को चलाने की पहल करना भी जरूरी है। संघर्ष के लिए स्थानीय मुद्दे उठाने पर जोर देना होगा। सामाजिक मुद्दे उठाने को और वैचारिक संघर्ष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्र संगठन को, जो हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान को छोड़ कर हर जगह कमजोर हो रहा है, विकसित करने के लिए सतत प्रयास करने होंगे।

1.39 दस हिंदीभाषी राज्य हैं और उनमें हरेक का अपने ही तरीके से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास हुआ है। पार्टी और जन संगठन के विकास की योजना बनाते समय, हरेक राज्य में इन विशिष्टताओं को ध्यान में रखना होगा। सभी राज्यों में छात्र संगठनों के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुछ राज्यों में ट्रेड यूनियन मोर्चे को प्राथमिकता देनी होगी। गांव के गरीबों को संगठित करके, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्रता में वर्गीय तथा जन संघर्षों को विकसित करना, पार्टी के जनाधार का विस्तार करने की कुंजी है। संकेंद्रित तरीके से ध्यान देने के लिए, कुछ शहरी क्षेत्रों का चयन किया जा सकता है।

1.40 सांगठनिक काम करने के लिए तथा सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु पार्टी केंद्र को कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। हिंदीभाषी राज्यों में विभिन्न मोर्चों पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी केंद्र को स्कूलों का आयोजन करना होगा। जब स्थाई पार्टी स्कूल स्थापित हो जाए, यह केन्द्रीय स्कूल के नियमित काम का हिस्सा होना चाहिए। हिंदी में पार्टी साहित्य तथा अभियानों की प्रचार सामग्री के प्रकाशन व वितरण के लिए, एक केन्द्रीय तंत्र होना चाहिए। नई सांगठनिक पहलों के लिए तथा काम की निगरानी हेतु , साल में दो बार हिंदीभाषी राज्यों के सचिवों की बैठक होनी चाहिए।

राज्य कमेटियां

1.41 23 राज्य कमेटियां और 3 राज्य सांगठनिक कमेटियां काम कर रही हैं। राज्य सांगठनिक कमेटियां अंडमान-निकोबार द्वीप, गोवा तथा मणिपुर हैं जहां पार्टी सदस्यता 1000 से कम है।

1.42 राज्य कमेटी राज्य के स्तर पर पार्टी की सर्वोच्च इकाई है। वह राज्य में पार्टी तथा जन मोर्चों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य कमेटियों को राज्य में राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा समाज में होने वाले हर घटना-विकास में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य कमेटी पर मार्क्सवादविरोधी तथा गैरमार्क्सवादी विचारधाराओं के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाने की भी जिम्मेदारी होती है। यह राज्य कमेटी की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में पार्टी तथा जन संगठनों के विस्तार के लिए योजनाएं तैयार करे और सुनिश्चित करे कि निचले स्तर पर उन पर अमल हो। राज्य कमेटी पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की भर्ती तथा विशिष्ट क्षेत्रों व मोर्चों पर उन्हें लगाने में मार्गदर्शन और उनके काम की देखरेख करे। राज्य कमेटी को ब्रांचों तथा बीच की इकाइयों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करना होगा। राज्य में पार्टी सदस्यों के शिक्षण के लिए, राज्य कमेटी को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

1.43 सभी राज्य कमेटियों ने रिपोर्ट दी है कि उनकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं।

1.44 कई राज्यों में राज्य केन्द्र से टीम के रूप में काम नहीं होता है। राज्य केंद्र से काम करने वाले राज्य सेक्रेटेरिएट सदस्यों की कमी है। 14 राज्यों में ही पांच से अधिक राज्य सेक्रेटेरिएट सदस्य पार्टी तथा जन संगठनों के केंद्र से काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों में राज्य केंद्र पर सेक्रेटेरिएट सदस्यों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है।

1.45 कुछ कमजोर राज्यों में राज्य कमेटी महत्वपूर्ण जिलों की समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं हैं। गुटबाजी, व्यक्तिवाद तथा जनवादी केन्द्रीयता के अन्य उल्लंघनों को चलते रहने तथा जमा होने दिया जाता है, जिससे कुल मिलाकर काम में गतिरोध पैदा होता है। कुछ जगहों में जिलामंत्री का काम करने का तरीका या उस जिले से राज्य कमेटी के सदस्यों के मध्य मतभेद, जिले में गुटबाजी का कारण बन जाते हैं।

1.46 एक समस्या यह है कि ऐसे काम करने वाले राज्य केंद्र के महत्व को आत्मसात ही नहीं किया गया है, जिसमें कामरेड सामूहिक रूप से काम करते हों, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप करते हों, कार्य योजना के क्रियान्वयन पर नज़र रख रहे हों तथा सांगठनिक मामलों में मार्गदर्शन कर रहे हों। यह राज्य सचिव की जिम्मेदारी है कि वह राज्य केंद्र पर और राज्य सचिवमंडल तथा राज्य कमेटी में, काम करने की सामूहिक पद्धति को मजबूत करे। हरेक राज्य कमेटी को अपनी कार्यपद्धति की समीक्षा करनी चाहिये तथा उसे दुरुस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

जिला कमेटियां

1.47 जिला संगठन कमेटियों को छोड़कर, 258 जिला कमेटियां हैं। केन्द्रीय कमेटी ने 2004 में जिला कमेटियों तथा बीच की कमेटियों के गठन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये थे।

1.48 पार्टी जन संगठनों का निर्माण करने में, आन्दोलन तथा संघर्षों को संगठित करने में, जनता के मध्य राजनीतिक-वैचारिक काम में और ब्रांचों तथा बीच की इकाइयों को मार्गदर्शन देने में, जिला कमेटियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कमजोर राज्यों की जिला कमेटियों की तुलना में पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु की जिला कमेटियां नियमित तौर पर तथा सही ढंग से काम कर रही हैं। बहुत सीजगहों पर ऐसे जिला केंद्र हैं ही नहीं जिन पर जिला सचिव और जिला सेक्रटेरिएट के एक या दो सदस्य, नियमित तौर पर उपलब्ध रहते हों। जिला कमेटियों की बैठकें अव्यवस्थित तरीके से की जाती हैं तथा कुछ ही घंटों तक चलती हैं। बैठक का अधिकांश समय राज्य कमेटी की रिपोर्टिंग करने में, कोटा तय करने तथा लागू किये जाने वाले कदमों पर विचार करने में लग जाता है। कई जगहों पर समुचित सामूहिक कार्यपद्धति का अभाव है। अनेक जिला कमेटियां, जनता के मुद्दों को उठाने में तथा सतत ढंग से आन्दोलनों

व संघर्षों का निर्माण करने में, पहलकदमी नहीं कर रही हैं।

मध्यवर्ती या बीच की कमेटियां

1.49 जिला कमेटी तथा ब्रांचों के बीच की कमेटियां, मध्यवर्ती कमेटियां हैं। राज्य कमेटियां, इसके लिए केन्द्रीय कमेटी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्राथमिक इकाई (ब्रांच) तथा जिला कमेटी के मध्य स्थापित की जाने वाली विभिन्न कमेटियों के सम्बन्ध में फैसला ले सकती है। केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में, जहां पार्टी सदस्यता अधिक है, जिला कमेटियों व ब्रांचों के बीच, दो स्तर की कमेटियों का गठन किया गया है। ब्रांचों से ठीक ऊपर लोकल कमेटी है तथा लोकल कमेटियों के ऊपर जोनल/एरिया कमेटियां बनाई गईं हैं। अन्य राज्यों में स्थिति अलग है और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। मध्यवर्ती कमेटियों को नाम भी अलग-अलग दिए गए हैं।

1.50 पार्टी सदस्यों तथा पार्टी ब्रांचों को सक्रिय करने में लोकल कमेटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करतीं हैं। वे जनसंगठनों का निर्माण करने में तथा उनकी स्थानीय इकाइयों को सक्रिय करने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकतीं हैं। जिला कमेटी को, प्रति वर्ष लोकल कमेटी के काम की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि पार्टी ब्रांचों तथा सदस्यों को सक्रिय किया जा सके।

1.51 जिला कमेटी सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यों में अलग-अलग है। ऐसा ही मध्यवर्ती कमेटियों के मामले में है। लोकल कमेटी तथा जोनल/एरिया कमेटियों में भी सदस्यों की संख्या में भारी अंतर रहता है।

1.52 जिला कमेटी तथा मध्यवर्ती कमेटियों के सदस्यों की संख्या के बारे में कोई आम मानदंड नहीं है। इसी तरह जिला कमेटी तथा मध्यवर्ती कमेटी के अंतर्गत सदस्यों की संख्या में भी कोई एकरूपता नहीं है। अलग-अलग राज्यों में मध्यवर्ती कमेटियों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं. यहां तक कि एक ही राज्य में भी अलग-अलग नाम चल रहे हैं। केन्द्रीय कमेटी को, जिला कमेटी तथा मध्यस्थ कमेटियों की सदस्य संख्या और इन कमेटियों के अंतर्गत आने वाले सदस्यों और इकाइयों की संख्या के बारे में, दिशानिर्देश जारी करना चाहिए।

पार्टी ब्रांचें

1.53 ब्रांचों की कार्यपद्धति में सुधार करने के लिए 20वीं पार्टी कांग्रेस ने निम्नलिखित निर्देश दिए थे: ''**(1) ब्रांचें साल में कम से कम 12 बैठक करें, (2) पार्टी**

सदस्यता के नवीनीकरण के समय ब्रांच से ऊपर की कमेटी को, ब्रांच की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए, (3) जिला कमेटी को समय-समय पर ब्रांच सचिवों की बैठकें करनी चाहिये और ब्रांच सचिवों के प्रशिक्षण हेतु ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, राजनीतिक व सांगठनिक रूप से समर्थ हो सकें।''

1.54 इस समय पार्टी की लगभग 90,000 ब्रांचें (प्राथमिक इकाइयां) हैं। एक अनुदार आकलन के अनुसार, 50 फीसद ब्रांचें निष्क्रिय हैं। हमने यह नियम बनाया था कि ब्रांचों को महीने में कम से कम एक बार अर्थात साल में 12 बार बैठक करनी चाहिए। केरल में 2014 में 63 फीसद से अधिक ब्रांचों ने 12 से अधिक बैठकें कीं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अधिकतर ब्रंचों की साल में 6 से अधिक बैठकें हुईं। अन्य राज्यों में अधिकांश ब्रांचों की साल में 1 से 6 के बीच बैठक हुईं। कई राज्यों में ऐसी ब्रांचें भी थीं जिनकी 2014 में एक भी बैठक नहीं हुई।

1.55 पार्टी सदस्यता के नवीनीकरण के समय ब्रांच की कार्य पद्धति की समीक्षा करने के 20वीं पार्टी कांग्रेस के निर्देश पर असम, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड में अमल किया गया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अधिकांश जिला कमेटियां ब्रांचों की समीक्षा कर चुकी थीं। दूसरे राज्यों में या तो समीक्षा की नहीं गयी या की भी गयी तो हलके फुलके ढंग से। 5 राज्यों में ब्रांचें जन संगठन की जिम्मेदारी सदस्यों को नहीं सौंपती हैं। अन्य राज्यों में पार्टी सदस्यों को जन संगठन की जिम्मेदारी ब्रांचों द्वारा सौंपी तो जाती है किन्तु कई राज्यों में पार्टी सदस्यों के काम की सही ढंग से निगरानी नहीं होती है। अधिकांश राज्यों में जनता के बीच पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए ब्रांचें कोई योजना नहीं बनाती हैं। कुछ राज्यों ने रिपोर्ट दी है कि योजना तो बनती है किन्तु उस पर कई जगहों पर सही ढंग से अमल नहीं हुआ।

1.56 अपने इलाके या कार्य क्षेत्र में पार्टी ब्रांच, मजदूरों, किसानों तथा जनता के अन्य हिस्सों के साथ संपर्क की एक जीवंत कड़ी होती है। यह पार्टी की बुनियादी इकाई है। पार्टी ब्रांच की जिम्मेदारी है कि जनता के स्थानीय और तात्कालिक मुद्दे उठाने के लिए, आन्दोलनों और संघर्षों को संगठित करने के लिए, जनता के विभिन्न हिस्सों और वर्गों को लामबंद करने के लिए राजनीतिक अभियान चलाने के लिए, पार्टी सदस्यों को विभिन्न वर्गीय व जन मोर्चों पर या इलाकों में तैनात करे। पार्टी ब्रांच को, जन संघर्षों तथा राजनीतिक कार्यों में भाग लेने वाले लड़ाकों को भर्ती

कर, आक्जिलरी (सहयोगी) ग्रुपों का गठन करना चाहिए।

1.57 मुख्य प्रश्न यह है कि ब्रांच को पार्टी की, जनता के साथ जीवंत संपर्क रखने वाली और सक्रिय रूप से काम करने वाली राजनीतिक-सांगठनिक इकाई कैसे बनाया जाय? ब्रांच सचिव को इसमें मुख्य भूमिका अदा करनी होगी। ब्रांच सचिवों को प्रशिक्षित करना तथा इस भूमिका के लिए तैयार करना, प्राथमिकता का काम होना चाहिए। मध्यवर्ती कमेटियों तथा उनके सदस्यों को राजनीतिक तथा सांगठनिक रूप से इसमें समर्थ बनाना चाहिए कि ब्रांचों के सक्रिय बना सकें। इस काम के लिए जिला तथा मध्यवर्ती कमेटियों को नियमित रूप से ब्रांच सचिवों की बैठकें करनी चाहिए।

1.58 वर्तमान में ब्रांच के लिए सदस्यों की अधिकतम सीमा, 15 रखी गई है। ब्रांच गठित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या राज्य कमेटी तय करती है तथा अलग-अलग राज्यों में यह संख्या अलग-अलग है। निर्धारित अधिकतम संख्या को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य प्रयास ब्रांचों तथा सदस्यों को सक्रिय बनाने का होना चाहिए। राज्य और जिला कमेटियां, एक ब्रांच के दायरे को निर्धारित कर सकती हैं। जनांदोलन के निर्माण तथा राजनीतिक काम की जरूरतों के आधार पर इसका फैसला किया जा सकता है।

1.59 जनता के बीच राजनीतिक-वैचारिक काम करने तथा जनसंघर्षों को छेड़ने के लिए, ब्रांचों के काम-काज में फिर से जान डालना, प्राथमिक कामों में से एक होना चाहिए। 20वीं पार्टी कांग्रेस के दिशा-निर्देश अब भी वैध हैं और उन पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए।

लेवी तथा फंड एकत्र करना

1.60 पार्टी के बहुविध कामों को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड की आवश्यकता होती है। पार्टी की आय के साधन हैं— सदस्यता शुल्क, पार्टी सदस्यों से ली जाने वाली लेवी तथा जनता से किया जाने वाला चंदा। ब्रांच या इकाईयों द्वारा सदस्यों से लिया गया सदस्यता शुल्क, केन्द्रीय कमेटी के पास जमा किया जाता है।

1.61 पार्टी संविधान यह कहता है कि प्रत्येक सदस्य को केन्द्रीय कमेटी द्वारा तय की गयी मासिक लेवी का भुगतान करना चाहिए। हाल ही में केन्द्रीय कमेटी ने लेवी की दरों में संशोधन किया है। पार्टी संविधान कहता है कि यदि कोई सदस्य नियत समय के 3 महीने के अन्दर लेवी जमा नहीं करता है, तो उसका नाम सदस्यता सूची से हटा दिया जाएगा।

1.62 अधिकांश राज्य कमेटियों ने बताया है कि सदस्यों का बड़ा हिस्सा अपनी लेवी का भुगतान केन्द्रीय कमेटी द्वारा तय की गयी दर से नहीं कर रहा है। कुछ राज्य कमेटियां तय दर के लेवी इकट्ठी करने के प्रयास कर रही हैं। राज्यों में स्थिति अलग-अलग है। विशिष्ट इकाइयों के सदस्यों तथा पूर्णकालिक सदस्यों के मामले को छोड़ कर, आमतौर पर लेवी सालाना नवीनीकरण के समय इकट्ठी की जाती है। अनेक राज्य कमेटियों ने बताया है कि ज्यादा आय वाले सदस्य केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर पर लेवी का भुगतान नहीं करते हैं। कुछ राज्य कमेटियों ने शिकायत की है कि पार्टी सदस्यों की बड़ी संख्या अपनी वास्तविक आय बताती ही नहीं है। तमिलनाडु राज्य कमेटी ने बताया है कि मात्र 1 या 2 फीसद सदस्य केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर पर लेवी का भुगतान करते हैं। केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में स्थिति थोड़ी बेहतर है, किन्तु वहां भी लेवी की वसूली वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पायी है। पार्टी सदस्यों का निचला राजनीतिक-वैचारिक स्तर तथा पार्टी के लिए उनकी प्रतिबद्धता का स्तर, पार्टी को लेवी के भुगतान में कोताही में प्रतिबिंबित होता है। केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार लेवी का भुगतान लागू कराया जाना चाहिए।

1.63 राज्यों की रिपोर्टें बतातीं हैं कि पार्टी सदस्यों से वसूल की गयी लेवी की धनराशि का विभिन्न स्तरों की इकाइयों जैसे ब्रांच, लोकल कमेटी, जोनल/एरिया कमेटी, जिला कमेटी तथा राज्य कमेटी के बीच वितरण, राज्यों में अलग-अलग ढ़ंग से होता है। जिस अनुपात में लेवी की राशि को वितरित किया जाता है, उसमें भी राज्यों के बीच भिन्नता है।

1.64 एकत्र की गयी लेवी का वितरण सभी स्तर की पार्टी इकाइयों के बीच होना चाहिए। केंद्रीय कमेटी को इस सम्बन्ध में उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए। पार्टी सदस्यों से केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार लेवी की राशि को वसूल करने के लिए भी यह जरूरी है।

1.65 कुछ राज्य कमेटियां जनता से फंड या चंदा इकट्ठा करती हैं। किन्तु ऐसी राज्य कमेटियां काफी हैं जो नियमित रूप से ऐसा नहीं करतीं हैं। जहां भी जनता से फंड इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, पार्टी को अच्छा समर्थन मिलता है। पार्टी इकाइयों को प्रतिवर्ष फंड इकट्ठा करना चाहिए। फंड इकट्ठा करने का काम, एक राजनीतिक सांगठनिक काम के रूप में योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और चंदा मुख्यत: आम जनता से इकट्ठा किया जाना चाहिए। केरल तथा त्रिपुरा की रिपोर्ट है कि 80 फीसद से अधिक फंड आम जनता से इकट्ठा किया जाता है.

किन्तु कुछ राज्यों में जनता से एकत्र किये गए फंड का अनुपात, कुछ चुनिंदा व्यक्तियों से प्राप्त फंड की तुलना में कम होता है। यह सामान्य नियम होना चाहिए कि एकत्र किये गए फंड का कम से कम 70 फीसद, आम जनता से इकट्ठा किया जाए।

1.66 जिन राज्यों में नियमित रूप से जनता से चंदा किया जाता है, वहां का अनुभव बताता है कि जनता उदारतापूर्वक चंदा देती है। चंदा एकत्र करने में कमजोरी, पार्टी की समग्र कमजोरी को ही प्रतिबिंबित करती है। यदि पार्टी निष्क्रिय है, आम जनता के मुद्दों को नहीं उठाती है तथा समुचित राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करती है, तो जनता शायद चंदा नहीं दे। ऐसी इकाइयों के सामने मुख्य काम यही है कि सतत कार्यवाहियों के द्वारा तथा जनता के मुद्दों को लेते हुए और सम्बंधित राज्य के राजनीतिक घटनाचक्र में समुचित राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए, जनता का विश्वास जीता जाए।

सारांश

1.67 जनलाइन अपनायी जाए और जनता के साथ जीवंत रिश्ते बहाल किए जाएं। काम-काज का तरीका बदला जाए। नेतृत्वकारी कार्यकर्ता जन-संपर्क कार्यक्रमों में, चंदा अभियानों में और जनता के विभिन्न तबकों से संपर्क करने में, सीधे हिस्सेदारी करें।

1.68 यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन को लागू किया जा रहा है, पार्टी केंद्र को मजबूत और प्रभावशाली होना चाहिए। इसके लिए राज्यों में आन्दोलनों तथा अभियानों में केन्द्रीय नेताओं की अधिक भागीदारी होनी चाहिए। पार्टी केंद्र को सांगठनिक निर्णयों पर अमल की निगरानी करनी चाहिए; जन संगठनों के काम की केन्द्रीय कमेटी में सामयिक समीक्षा की जानी चाहिए तथा विभिन्न विभागों में काम के लिए सक्षम कार्यकर्ताओं को भर्ती किया जाना चाहिए।

1.69 प्राथमिकता वाले राज्यों की संशोधित सूची तैयार की जाए। पार्टी केंद्र से पर्याप्त ध्यान और संसाधन लगाने की योजना बनायी जाए। प्रत्येक राज्य में प्राथमिकता के जिले/क्षेत्र तथा मोर्चे तय किए जाएं और कार्यकर्ताओं को लगाने तथा विस्तार के लिए योजना बनायी जाए।

1.70 पार्टी के अखिल भारतीय विस्तार के लिए हिंदी भाषी राज्य निर्णायक हैं। इनमें

वर्गीय तथा जन संघर्षों को, विशेषकर गांवों के गरीबों के संघर्षों को विकसित करने पर अधिक ध्यान देना होगा। सामाजिक मुद्दे उठाने में लापरवाही को दुरुस्त करना होगा। सामाजिक मुद्दों तथा वैचारिक संघर्ष को प्राथमिकता देनी होगी। हिंदीभाषी क्षेत्र में छात्र मोर्चा को विकसित करने को महत्व देना होगा। हिंदीभाषी राज्यों में पार्टी तथा आंदोलन के विकास में मदद करने के लिए, पार्टी केंद्र को कुछ विशिष्ट कदम उठाने होंगे।

1.71 ब्रांचों को सक्रिय बनाने को प्राथमिकता दी जाए ताकि वे जनता के बीच राजनीतिक-सांगठनिक काम कर सकें। सदस्यता का नवीनीकरण और किये गए काम की समीक्षा का काम, ब्रांच द्वारा किया जाना चाहिए। जिला कमेटियों को ब्रांच सेक्रेटरियों को प्रशिक्षित तथा लैस किया जाना और उनके साथ नियमित बैठकें करनी चाहिए।

1.72 केंद्रीय कमेटी द्वारा तय की गयी दर से लेवी का भुगतान लागू कराया जाए। लेवी वसूली में किसी तरह की लोच या समझौता नहीं होना चाहिए। विभिन्न कमेटियों के बीच लेवी की राशि के वितरण का अनुपात तय होना चाहिए। पार्टी कमेटियों को जनता से नियमित रूप से चंदा इकट्ठा करने पर निर्भर होना चाहिए। पार्टी के कुल धन संग्रह में जनता से प्राप्त चंदे का हिस्सा कम से कम 70 फीसद होना चाहिए।

आ

क्रांतिकारी पार्टी के लिए सदस्यता की गुणवत्ता

1.73 पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता एक क्रांतिकारी पार्टी संगठन के निर्माण में एक निर्णायक तत्व है। एक मजबूत जनाधार वाली कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण का उत्तरदायित्व वही पार्टी सदस्यता पूरा कर सकती है, जो जरूरी राजनीतिक सांगठनिक स्तर से युक्त हो तथा पार्टी अनुशासन में रह कर समर्पित भाव से काम करे। पार्टी सदस्य, बुनियादी वर्गों और सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित तबकों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों में से आने चाहिए।

1.74 वर्गीय तथा जन संघर्षों को यदि दृढ़तापूर्वकचलाना है तो संगठन में, बुनियादी वर्गों तथा उत्पीड़ित हिस्सों से आने वाले पर्याप्त कार्यकर्ता होना जरूरी है।

1.75 सलकिया प्लेनम ने एक जन-क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण का आव्हान किया था। पार्टी सदस्यों की गुणवत्ता के गिरते स्तर ने जन क्रांतिकारी पार्टी के गठन को नकार दिया है। जो अस्तित्व में आया है वह जन पार्टी जैसा ही ज्यादा है, जिसमें कोई खास क्रांतिकारी सार नहीं है।

1.76 पार्टी सदस्यों की एक बड़ी संख्या पार्टी सदस्य होने की न्यूनतम योग्यता भी नहीं रखती है। यह मुख्यत: पार्टी सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया के दोषों का नतीजा है, जिनके लिए पार्टी संगठन जिम्मेदार है।

1.77 पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केन्द्रीय कमेटी ने 2002 के दिसम्बर में, उम्मीदवार सदस्यों तथा ऑक्जिलरी ग्रुप सदस्यों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश तय किये थे। यद्यपि ऑक्जिलरी ग्रुपों से उम्मीदवार सदस्यों को लेने के नियम को अधिकांश राज्यों में लागू किया गया है, फिर भी ऑक्जिलरी ग्रुपों की ज्यादा बड़ी संख्या सही ढंग से काम नहीं कर रही है तथा उच्चतर कमेटियों द्वारा उनका सही ढ़ंग से मार्गदर्शन नहीं किया जाता है। ऑक्जिलरी ग्रुप सदस्यों तथा उम्मीदवार सदस्यों को राजनीतिक-सांगठनिक शिक्षा देने में कमियां पाई गयी हैं। इसलिए, ऑक्जिलरी ग्रुपों के स्तर पर ही दोषपूर्ण भर्ती हो रही है क्योंकि उम्मीदवार सदस्य के रूप में भर्ती किये जाने से पहले, ऑग्जिलरी ग्रुप के सदस्यों का न तो शिक्षण होता है और न आकलन ही किया जाता है।

1.78 लचर सदस्यता भर्ती और ऑक्जिलरी ग्रुप के सदस्यों तथा उम्मीदवार सदस्यों के राजनीतिक-सांगठनिक प्रशिक्षण का अभाव ही, पार्टी सदस्यों का राजनीतिक-सांगठनिक स्तर नीचा रहने का मुख्य कारण है। पार्टी सदस्यों की एक बड़ी संख्या न ब्रांच की बैठकों तथा पार्टी क्लासों में शामिल होती है और ना ही राजनीतिक अभियानों, आन्दोलनों तथा संघर्षों में भाग लेती है। अलग-अलग राज्यों की स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं।

1.79 पार्टी सदस्यता छूटने की बढ़ती हुई संख्या तथा पार्टी सदस्यता में उतार-चढ़ाव भी ढीली-ढाली सदस्यता को ही प्रदर्शित करते हैं। पार्टी सदस्यता छूटने के अनुपात में वृद्धि सदस्यों की राजनीतिक चेतना के निचले स्तर को, उनकी निष्क्रियता को तथा प्रतिबद्धता के अभाव को भी दिखाती है। 20वीं पार्टी कांग्रेस के समय पर पार्टी से अलग होने वाले सदस्यों का अखिल भारतीय औसत, पूर्ण पार्टी सदस्यों के लिए 5.63 फीसद और उम्मीदवार सदस्यों के लिए 12.45 फीसद था। इसमें बढ़ोतरी हुई तथा वर्तमान में पूर्ण सदस्यों के लिए यह दर 7.9 फीसद और

उम्मीदवार सदस्यों के लिए 17.5 है।

1.80 पार्टी के विस्तार को, पार्टी सदस्यों की गुणवत्ता को ध्यान में रखे बगैर महज़ पार्टी सदस्यता में बढ़ोतरी का समानार्थी नहीं बनाया जा सकता है। पार्टी सदस्यों के राजनीतिक वैचारिक स्तर को ऊपर उठाना और सदस्यता की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, बहुत ही जरूरी काम है। इसके लिए तुरंत सुधार की कार्यवाई करने की जरूरत है। पार्टी सदस्यों को जैसे भर्ती किया जाता है और जैसे प्रशिक्षित किया जाता है, उसमें आधारभूत परिवर्तन की जरूरत है। पार्टी सदस्यता के लिए मुख्य आधार, जन तथा वर्गीय संघर्षों में भागीदारी होनी चाहिए।

1.81 वर्तमान पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पार्टी सदस्यता की व्यवस्थित तथा सुनियोजित तरीके से जांच (स्क्रूटनी) करनी होगी। ऐसे सभी लोगों को जिनकी राजनीतिक चेतना, जन गतिविधि तथा सांगठनिक अनुशासन, आदि, पार्टी सदस्य के लिए जरूरी न्यूनतम मानक से बहुत नीचे हों, सदस्यता से हटाना होगा। बेशक, यह काम 2017 के नवीकरण तक करना होगा। यह नए दिशानिर्देशों की रोशनी में, उच्चतर कमेटी के सदस्य की उपस्थिति में, प्रत्येक सदस्य के काम और आचरण के सन्दर्भ में, पार्टी ब्रांच की मुकम्मल आत्मालोचनात्मक रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। पार्टी सदस्यों की भर्ती पर केंद्रीय कमेटी द्वारा 2002 में जारी किए गए दिशा-निर्देश अब भी वैध हैं और पार्टी सदस्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कड़ाई से लागू करने की जरूरत है।

1.82 पार्टी सदस्यता का नवीनीकरण निम्नलिखित कार्य पूरे करने पर ही हो:

1-83 (1) सदस्यता शुल्क तथा लेवी का भुगतान।

(2) ब्रांच की बैठकों में नियमित उपस्थिति।

(3) पार्टी क्लासों, राजनीतिक अभियानों, आन्दोलनों और संघर्षों में संतोषजनक उपस्थिति।

(4) पार्टी द्वारा छूट दिए जाने की स्थिति को छोड़कर, जन मोर्चे का सदस्य बनना तथा उसके कामों में सक्रिय भागीदारी करना।

(5) पार्टी मुखपत्रों को नियमित रूप से पढ़ना तथा उनका ग्राहक बनना।

पार्टी का वर्गीय गठन

1.84 पार्टी सदस्यता के वर्गीय गठन के आंकड़े दिखाते हैं कि अपने वर्गीय मूल के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी के 81.3 फीसद सदस्य मजदूर वर्ग, खेत मजदूर तथा गरीब किसान वर्ग से हैं। इन वर्गों से पार्टी सदस्यों का प्रतिशत

पश्चिम बंगाल में 62.93, त्रिपुरा में 67.8, ओडिशा में 66.38, हिमाचल प्रदेश में 66.78, उत्तर प्रदेश में 68.02 है। अन्य सभी राज्यों में यह प्रतिशत 70 से ऊपर है। दिल्ली, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में पार्टी सदस्यों का सबसे अधिक प्रतिशत, मजदूर वर्ग से है।

1.85 कुल पार्टी सदस्यता के वर्गीय गठन और राज्य व जिला कमेटी सदस्यों के वर्गीय गठन में असंतुलन है। सभी राज्य कमेटियों के सदस्यों को जोड़कर, उनके वर्गीय गठन में मजदूर, खेत मजदूर तथा गरीब किसान सिर्फ 38.2 फीसद हैं। जिला कमेटियों में यह प्रतिशत 58.32 है। केन्द्रीय कमेटी के 26.47 फीसद सदस्य इन वर्गों से हैं।

पार्टी का सामाजिक गठन

1.86 अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी सदस्यों में 20.32 फीसद दलित जातियों से, 7.1 फीसद जनजातियों से, 9.7 फीसद मुस्लिम अल्पसंख्यकों से तथा 5.06 फीसद ईसाई अल्पसंख्यकों से हैं।

1.87 कुल पार्टी सदस्यता के सामाजिक गठन तथा राज्य कमेटियों और जिला कमेटियों के सामाजिक गठन में कोई मेल ही नहीं है। राज्य कमेटी सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिशत 8.47 तथा जिला कमेटी सदस्यों में 15.45 है। राज्य कमेटी सदस्यों का 5.77 प्रतिशत और जिला कमेटी सदस्यो का 6.13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति से है। राज्य कमेटियों के सदस्यों में 5.77 फीसद तथा जिला कमेटी सदस्यों में 7.06 फीसद मुस्लिम हैं।

1.88 उदाहरण के लिए पंजाब में 44.5 फीसद पार्टी सदस्य अनुसूचित जातियों से हैं किन्तु राज्य कमेटी में उनकी संख्या केवल 5 (13.9 फीसद) है। पश्चिम बंगाल में 23.1 फीसद सदस्य अनुसूचित जातियों से हैं, किन्तु राज्य कमेटी में केवल 4 सदस्य (4.76 फीसद) इन जातियों से हैं। आंध्र प्रदेश में 27.5 फीसद सदस्य अनुसूचित जातियों से हैं तथा राज्य कमेटी के 9 सदस्य (14.6 फीसद) इन जातियों से हैं।

1.89 यही असंतुलन जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में भी पाया जाता है।

1.90 राज्य कमेटियों को राज्य तथा जिला कमेटी सदस्यों के वर्गीय और सामाजिक गठन को बेहतर बनाने के लिए समुचित सांगठनिक कदम उठाने चाहिए।

पार्टी में महिलाएं

1.91 एक अखिल भारतीय शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि महिलाएं बड़ी संख्या में पार्टी में आएं क्योंकि ग्रामीण और शहरी सर्वहारा में एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का ही है। पार्टी संगठन पर काम के 1967 के दस्तावेज़ से लगाकर हम, जन संगठनों के जुझारू कार्यकर्ताओं में से तथा बुनियादी वर्गों से, महिला सदस्यों की भर्ती पर जोर देते आये हैं। 15वीं पार्टी कांग्रेस के समय महिला पार्टी सदस्यों का अनुपात, कुल सदस्यता का 5 फीसद था। तब से कुछ प्रगति हुई है किन्तु यह बहुत ही धीमी और असंतोषप्रद है। महिला सदस्यों का अनुपात बढ़ कर 15.6 हो गया है। इसका तात्पर्य है कि 20 वर्ष के दौरान 10 फीसद की वृद्धि हुई है अर्थात प्रतिवर्ष औसतन 0.5 फीसद की वृद्धि हुई।

1.92 जब हम महिला पार्टी सदस्यों की राज्यवार स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि मात्र 5 राज्यों में महिला सदस्यों का प्रतिशत 20 या उससे ऊपर है। ये राज्य हैं त्रिपुरा (24.6 फीसद), कर्नाटक (24.4 फीसद), असम (20.2 फीसद) और दिल्ली (26.4 फीसद)। 19.6 फीसद के साथ आन्ध्र को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

1.93 हमारे संगठन के दो बड़े राज्यों, केरल और पश्चिम बंगाल में यह प्रतिशत क्रमश: 15.9 तथा 10.4 है।

1.94 कुछ बड़े राज्यों ने अधिक संख्या में महिलाओं को पार्टी में लाने के लिए कदम उठाये हैं। केरल ने निर्णय लिया है कि हर ब्रांच में कम से कम दो महिला सदस्य होने चाहिए। इसको लागू किया गया है किन्तु पूरी तरह से नहीं। पश्चिम बंगाल में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक ब्रांच में कम से कम एक महिला सदस्य हो तथा यदि यह संभव न हो तो ब्रांच द्वारा कम से कम दो महिलाओं को ऑक्जिलरी ग्रुप में भर्ती किया जाय। अभी तक इसे आंशिक रूप से ही लागू किया जा सका है। ऐसे कई उद्योग हैं, जैसे कि केरल में काजू तथा नारियल जटा के परम्परागत उद्योग, बागान उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि, जिनमें महिला मजदूरों का बहुमत है। इनमें मजबूत यूनियनें हैं फिर भी इन क्षेत्रों में महिला मजदूरों में पार्टी सदस्यता बहुत कम है। संगठित स्कीमकर्मियों जैसे आंगनवाड़ीकर्मियों के बीच सदस्यता भर्ती नहीं के बराबर है।

1.95 पार्टी में महिलाओं की धीमी भर्ती, यहां तक कि उसके प्रतिरोध के भी अनुभव

को देखते हुए यह जरूरी है कि पार्टी में महिलाओं की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए कुछ सांगठनिक कदम उठाये जाएं। अखिल भारतीय स्तर पर हमें तीन साल में यानी 2016 नवीनीकरण से 2018 नवीनीकरण तक, कुल सदस्यता में महिलाओं का हिस्सा 25 फीसद करने का लक्ष्य तय करना चाहिए।

1.96 राज्य कमेटियों के लिए यह जरूरी है कि ट्रेड यूनियनों में, खेत मजदूर संगठन में तथा अन्य जन संगठनों में, चिन्हित करें कि कहां पर महिलायें अच्छी खासी संख्या में हैं। जो महिला कार्यकर्ता न्यूनतम शर्तें पूरी करती हों उन्हें भर्ती करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास होना चाहिए। यदि जरूरी हो तो इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए महिलाओं के ऑक्जिलरी ग्रुपों का गठन किया जाना चाहिए।

1.97 पार्टी में महिलाओं की भर्ती के अलावा दूसरा मुद्दा महिला कार्यकर्ताओं के विकास तथा प्रोन्नति का तथा पार्टी कमेटियों में उनके प्रतिनिधित्व का है। प्रश्नावली के राज्य कमेटियों द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार 11 राज्य कमेटियों में महिला सदस्यों की संख्या, कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के 10 फीसद से भी कम है। जहां तक जिला कमेटियों का सम्बन्ध है, ऐसे राज्य 12 हैं जहां महिला सदस्यों की संख्या, जिला कमेटी की कुल सदस्य संख्या के 10 फीसद से भी कम है।

1.98 योजनाबद्ध प्रयास किये बिना कमेटियों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती है। त्रिपुरा को छोड़ कर हमारे अन्य बड़े राज्य भी उच्च कमेटियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में पीछे हैं। अत: आगामी सम्मेलनों के मौके पर राज्य कमेटियों को विभिन्न स्तरों की कमेटियों के लिए महिलाओं के लिए कोई कोटा तय करना होगा। सभी राज्यों के लिए एक सामान कोटा तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि महिला पार्टी सदस्यों की संख्या, महिला कार्यकर्ताओं की उपलब्धता और वर्गीय तथा जन संगठनों में महिलाओं की भागीदारी में, राज्यों के बीच काफी भिन्नता है। पीबी तथा सीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्मलेनों से पहले विवेकसंगत कोटे तय किये जाएं।

पार्टी में युवा

1.99 21वीं पार्टी कांग्रेस में, लोकसभा चुनाव की समीक्षा में यह नोट किया गया था कि युवाओं में पार्टी के प्रति आकर्षण में कमी आई है। आयुवार गठन के अनुसार

19वीं पार्टी कांग्रेस के समय कुल सदस्यता का 16.8 फीसद 30 वर्ष या उससे कम आयु का था। यह हिस्सा 21वीं पार्टी कांग्रेस के समय तक बढ़ कर 20 फीसद हो गया। किन्तु अनेक राज्यों में गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। कई राज्यों में युवा सदस्यों (31 वर्ष और उससे नीचे) का हिस्सा संतोषजनक नहीं है या बहुत ही कम है। अगर यह श्रेणी कुल सदस्यता के 20 फीसद से नीचे है अर्थात कुल सदस्यता का पांचवा हिस्सा है, तो इसे असंतोषजनक ही माना जाना चाहिये।

1.100 हमारे मजबूत राज्यों में केरल (22.6 फीसद), तेलंगाना (25 फीसद) और आन्ध्र प्रदेश (24.6 फीसद) में, युवाओं का हिस्सा संतोषजनक है। त्रिपुरा में पार्टी के आयुगत गठन में सुधार करने की जरूरत है। यहां 31 वर्ष से कम आयु के सदस्य 18.3 फीसद हैं। पार्टी के बड़े जनाधार को देखते हुए यहां और अधिक युवा सदस्य होने चाहिए। पश्चिम बंगाल में युवा सदस्यों का प्रतिशत 13.5 है, असंतोषजनक है।

1.101 हिंदीभाषी राज्यों में और उन कमजोर राज्यों में जिनमें युवा सदस्यों का अनुपात कम है, छात्र और युवा मोर्चे एक तरह से हैं ही नहीं या बहुत कमजोर हैं। उदहारण के लिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बेहतर युवा अनुवाद, छात्र मोर्चे के विकास को प्रतिबिंबित करता है। पार्टी में और विभिन्न स्तरों की कमेटियों में, युवाओं के प्रवाह के अभाव ने पार्टी संगठन में ठहराव में तथा सांगठनिक काम में पहल के अभाव में भी योग दिया है। पार्टी तथा वाम के लिए आकर्षण का अभाव आंशिक रूप से, समाजवाद का वैचारिक आकर्षण घट जाने से है। उसके स्थान पर युवा अराजनीतिकरण, सांप्रदायिक दुहाई या पहचान की राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

1.102 पार्टी के कार्यक्रम तथा अभियान, युवाओं के मुद्दों और चिंताओं की ओर विशेषरूप से उन्मुख होने चाहिए। छात्र तथा युवा, दोनों ही मोर्चों पर प्रगति नहीं हो रही है। यह जरूरी है कि छात्र और युवा मोर्चों द्वारा उठाए जाने के लिए मांगों व मुद्दों को ठोस रूप दिया जाय। एक ख़ास मुद्दा: यह है कि छात्र संगठन, निजी तथा स्ववित्तपोषित शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के बीच किस तरह काम कर सकते हैं। छात्र तथा युवा मोर्चे पर पार्टी निर्माण की तरफ और अधिक ध्यान देना होगा और सदस्यता के युवा गठन को सुधारने के लिए युवाओं की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

पार्टी काडर (कार्यकर्ता)

1.103 काडर या कार्यकर्ता कौन है तथा कार्यकर्ता नीति क्या है, इन सवालों पर पार्टी में बहुत ज्यादा गलतफहमियां और भ्रांतियां हैं। काडर या कार्यकर्ता में शामिल हैं विभिन्न स्तरों पर कमेटियों के सदस्य, जन मोर्चों पर एक निश्चित स्तर पर काम करने के लिए लगाए गए पार्टी कामरेड तथा कुछ क्षेत्रों में जहां पार्टी हस्तक्षेप करती है, खास काम करने के लिए लगाए गए कामरेड। कार्यकर्ताओं में से जो सदस्य पूरे समय पार्टी का काम करते हैं, वे पूर्णकालिक सदस्य या होलटाइमर हैं। वे अपना पूरा समय और ऊर्जा, पार्टी के सामूहिक काम को देते हैं।

1.104 पार्टी को, अपने सभी स्तरों पर, जन मोर्चों पर तथा संस्थाओं में तथा विभिन्न निकायों जैसे राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय व सहकारी संस्थाओं आदि में, काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ताओं की जरूरत है। पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न स्तरों पर, सक्षम कार्यकर्ताओं की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को पर्याप्त संख्या में होलटाइमरों की जरूरत है क्योंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के बगैर, केवल अंशकालिक सदस्यों के बल पर, उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों न हो, विभिन्न मोर्चों पर कई प्रकार के कामों को कुशलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता है। काम को सुनियोजित तथा स्थायी बनाने के लिए और यहां तक कि अंशकालिक कार्यकर्ताओं को काम देने तथा उसकी निगरानी के लिए, पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की भर्ती, संबंधित कार्यकर्ता की समर्थ्यों के सामूहिक तथा वस्तुगत आकलन के आधार पर होनी चाहिए।

1.105 केन्द्रीय कमेटी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे कार्यकर्ता नीति को सूत्रबद्ध करें और लागू करें। प्रश्नावली के उत्तर बताते हैं कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल ने कार्यकर्ता नीति बनायी है तथा उसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य राज्यों में राज्य तथा जिले के स्तर पर पूर्णकालिक सदस्य तो हैं किन्तु उनकी भर्ती, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम पर लगाना, उनके काम की निगरानी करना तथा उनके वेतन का भुगतान, ये सभी काम किसी निश्चित योजना या नीति के तहत नहीं किये जा रहे हैं।

1.106 ज्यादातर राज्यों में पूर्णकालिक साथियों के काम के आकलन और समीक्षा का काम सही तरीके से नहीं किया जाता है। सिर्फ कुछ राज्यों में ही नए कार्यकर्ताओं

तथा अधिक संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए समुचित योजना है। कई राज्यों ने बुनियादी वर्गों से तथा आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच से कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के लिए कोई ख़ास पहल नहीं की है। कुछ राज्यों द्वारा इस दिशा में उठाये गए कदम अपर्याप्त हैं।

1.107 कई राज्यों तथा जिलों में पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन के भुगतान की व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। पूर्णकालिक सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन में अलग-अलग राज्यों के बीच और एक ही राज्य में राज्य केंद्र तथा जिलों के बीच, अलग अलग जिलों के बीच तथा जिलों व निचली इकाइयों के बीच भी अंतर है। वेतन की राशि 500 से लेकर 15,000 रु0 तक है। पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन के भुगतान में आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना की राज्य कमेटियां, निश्चित नीतियों का पालन कर रही हैं। शहर में रह रहे पूर्णकालिक सदस्यों को, जिनके परिवार में पत्नी तथा दो बच्चे हैं, तेलंगाना राज्य कमेटी मकान किराए सहित 13,100 रु0 दे रही है। गांव में रहने वाले पूर्णकालिक सदस्य 11,000 रु0 वेतन पाते हैं। अविवाहित पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को शहर में कमरे के किराए सहित 6,000 रु0 मिलते हैं और गांव में 5,500 रु0 दिए जाते हैं। कुछ राज्य कमेटियों ने फंड इकट्ठा कर बैंकों में जमा किया है और उसके ब्याज से पूर्णकालिक सदस्यों के वेतन का भुगतान किया जाता है। दिल्ली राज्य कमेटी ने डेढ़ करोड़ रु0 का फंड जमा किया है। महाराष्ट्र राज्य कमेटी ने 70 लाख रुपया इकट्ठा कर बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट में जमा किया है।

1.108 पूर्णकालिक सदस्यों का सामाजिक और वर्गीय गठन दिखाता है कि कई राज्यों में कुल सदस्यता के गठन तथा पूर्णकालिक सदस्यों के गठन में मेल नहीं है। बुनियादी वर्गों, महिलाओं, दलितों तथा अल्पसंख्यकों में से पूर्णकालिक सदस्यों की भर्ती की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। कार्यकर्ताओं का सामाजिक तथा वर्गीय गठन को बेहतर बनाने के लिए, उच्चतर कमेटियों को समुचित सांगठनिक कदम उठाने चाहिए।

1.109 पार्टी कार्यकर्ताओं की औसत आयु बढ़ना, दूसरा गंभीर मुद्दा है। अनेक राज्य कमेटियों ने यह नोट किया है कि पार्टी युवाओं तथा छात्रों को, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए आकर्षित नहीं कर पा रही है। इसका पार्टी के काम-काज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रत्येक राज्य को पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सेवानिवृत्ति नीति होनी चाहिए तथा सेवानिवृत्ति लाभों की व्यवस्था होनी चाहिए।

1.110 युवा कार्यकर्ताओं को प्रोन्नत करने के लिए तथा कमेटियों की बढ़ती आयु का खाका बदलने के लिए, केंद्रीय व राज्य कमेटियों को विभिन्न स्तरों पर कमेटियों की औसत आयु का मानदंड तय करना चाहिए। दूसरा तरीका यही है कि सम्मलेन के अवसर के मौके पर ही, एक निश्चित आयु तक के युवा कामरेडों को कमेटी में लाने के लिए कोटा तय किया जाय।

1.111 कुछ राज्यों में गुटबाजी चल रही होने से कार्यकर्ताओं का वस्तुपरक आकलन करने तथा उन्हें प्रोन्नत करने में कठिनाइयां पैदा हुई हैं। कुछ राज्यों में चुनाव में गुटबाजी के जरिए कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया जाता है। इन सभी गलत रुझानों पर दृढ़ता से अंकुश लगाना होगा।

1.112 राज्यों से प्राप्त उत्तर बताते हैं कि कुछ राज्यों में होलटाइमरों का वेतन बहुत कम है तथा नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। बुनियादी वर्गों से, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के बीच से योग्य कार्यकर्ताओं की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वेतन देना जरूरी है। पूर्णकालिक कार्यकर्ता का वेतन, उस राज्य में जीवन यापन पर एक साधारण व्यक्ति तथा उसके जीवनसाथी व उस पर निर्भर बच्चों पर आने वाले खर्च को ध्यान में रख कर, तय किया जाना चाहिए।

1.113 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को वेतन देने के लिए राज्य कमेटियों को प्रतिवर्ष होलटाइमर फंड इकट्ठा करना चाहिए। जहां बड़े राज्य अधिक वेतन दे सकते हैं, सभी कमजोर राज्यों को कम से कम अपने यहां तय न्यूनतम मजदूरी के बराबर वेतन जरूर देना चाहिए। यदि किसी राज्य कमेटी के सामने, फंड एकत्र करने के बावजूद इतना वेतन देने में कठिनाई आती है, तो केन्द्रीय कमेटी को एक निश्चित अवधि तक उस राज्य कमेटी को सब्सीडी देनी चाहिए।

1.114 पार्टी को हजारों नए कार्यकर्ता भर्ती करने हैं तथा सैकड़ों कुशल जन नेताओं को प्रशिक्षित करना है। कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को मार्क्सवाद का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में कुशल तथा प्रतिबद्ध होना चाहिए, वे आत्मत्याग की भावना से भरे हों, वे अपने बल पर समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हों, वे कठिनाइयों का सामना करने में साहसी हों और वर्ग व पार्टी के प्रति वफादार एवं समर्पित हों। पार्टी का विस्तार करने के लिए यह करनेवाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यकर्ताओं की भर्ती तथा प्रशिक्षण के लिए, राज्यों में समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था विकसित करनी होगी।

सारांश

1.115 पार्टी सदस्यों की भर्ती के प्रति रुख को दुरुस्त करो। कोई ढ़ीली-ढ़ाली भर्ती नहीं की जाए। ऑक्जिलरी ग्रुपों का काम करना सुनिश्चित किया जाए। सदस्यता की गुणवत्ता बनाए रखो और निष्क्रिय सदस्यों से निजात पाओ। पार्टी सदस्यता का नवीनीकरण पांच मापदंडों पर आधारित हो।

1.116 वर्गीय बनावट के पहलू से, पार्टी की कुल सदस्यता में बुनियादी वर्गों के हिस्से और राज्य कमेटी व जिला कमेटियों में इन वर्गों से आए सदस्यों के हिस्से के बीच जो असंतुलन है, उसे दुरुस्त करने के कदम उठाए जाएं। मजदूर वर्ग, खेत मजदूरों और गरीब किसानों के बीच से आने वाले कार्यकर्ताओं को नेतृत्वकारी कमेटियों में प्रोन्नत करने के लिए, योजना बनायी जाए तथा कदम उठाए जाएं।

1.117 इसी प्रकार पार्टी सदस्यता की सामाजिक बनावट और राज्य व जिला कमेटियों की सामाजिक बनावट के बीच के असंतुलन को भी दुरुस्त किया जाए। हरेक ठोस मामले में, जहां इस तरह की विसंगति बनी हुई है महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यकों के बीच से कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करने के योजनाबद्ध कदम उठाए जाएं।

1.118 अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी सदस्यता में महिलाओं का हिस्सा बढ़ाने के लिए 2016 से 2018 के बीच, तीन वर्षों में महिला सदस्यता 25 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिये। राज्यों को महिला कार्यकर्ता विकसित करने के योजनाबद्ध कदम उठाने चाहिए। हरेक राज्य में विभिन्न पार्टी कमेटियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

1.119 पार्टी के युवा घटक में सुधार करना जरूरी है, विशेषकर उन राज्यों में जहां युवा सदस्यता 20 प्रतिशत से कम है। पार्टी की गतिविधियां व अभियान, विशेष रूप से युवा समुदाय के मुद्दों व सरोकारों की ओर उन्मुख होने चाहिये। छात्र व युवा मोर्चों की तरफ और उनमें पार्टी का निर्माण करने पर, और अधिक ध्यान दिया जाए। प्लेनम के एक साल के अंदर-अंदर, युवा मोर्चे से संबंधित दस्तावेज स्वीकार कर लिया जाए।

1.120 राज्यों में लागू करने के लिए एक कार्यकर्ता नीति होनी चाहिये। होलटाइमरों की भर्ती उनके राजनीतिक-सांगठनिक स्तर को ध्यान में रखते हुए समुचित तरीके से की जाए। होलटाइमरों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए। कार्यकर्ताओं

की भर्ती व प्रशिक्षण की समयबद्ध योजना बनायी जाए। युवतर कार्यकर्ताओं को प्रोन्नत करने के लिए कदम उठाए जाएं।

इ

जनवादी केन्द्रीयता पर आधारित पार्टी के लिए

1.121 पार्टी का ढ़ांचा जनवादी केंद्रीयता पर आधारित है और उसका आंतरिक जीवन भी जनवादी केन्द्रीयता के सिद्धांतों से संचालित होता है। जनवादी केन्द्रीयता का अर्थ है अंदरूनी लोकतंत्र पर आधारित केन्द्रीयकृत नेतृत्व। पार्टी को प्रभावित करने वाले सभी प्रश्नों, योजनाओं व कार्यों के बारे में पार्टी इकाई के भीतर स्वतंत्र व निर्भीक बहस-मुबाहिसा होना, पार्टी के अंदरूनी जनतंत्र का सार है। कम्युनिस्ट पार्टी का जनतंत्र, जोरदार साझा कार्रवाई का जनतंत्र होता है यानि ऐसा जनतंत्र जिसमें पार्टी के सदस्य न केवल नेतृत्व को चुनते हैं और नीतियों पर विचार करते हैं बल्कि पार्टी के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लेते हैं। जनवादी केन्द्रियता का मतलब एक सच्चा संश्लेषण है, जिसमें जनवाद और केन्द्रीयता का योग होता है।

1.122 जनवादी केन्द्रीयता के क्रियान्वयन में क्षरण तथा जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन, भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। कुछ जगहों पर अति केंद्रीयकरण है। कुछ कमेटियों में अंदरूनी पार्टी जनतंत्र का व्यवहार सिर्फ रस्मी तौर पर ही होता है। प्रश्नावली के उत्तर में राज्यों से प्राप्त जानकारियां दिखाती हैं कि ज्यादातर राज्यों में विभिन्न स्तरों पर इस संबंध में खामियां, भटकाव और उल्लंघन पाए जाते हैं। गुटबंदी, कैरियरवाद, संघवाद, व्यक्तिवाद, नौकरशाहाना रवैया, सामूहिक कार्यप्रणाली का उल्लंघन, नीचे से आलोचना को प्रोत्साहित नहीं करने की कमजोरी, गुटों से संबद्धता के आधार पर चुनाव करना, गुटबंदी के लिये समर्थन जुटाने की नीयत से साथियों की गलतियों की उपेक्षा करना तथा पार्टी कमेटियों का गुटों में विभाजन, आदि कुछ राज्यों में साफ दिखाई देते हैं।

1.123 गुटबाजी की प्रवृत्तियां सामूहिक कार्यप्रणाली को कमजोर करती हैं। पार्टी के भीतर सत्ता के लिये स्पर्धा अथवा पार्टी में वर्चस्व हासिल करने के लिये किसी भी तरह की होड़ का, जनवादी केन्द्रीयता के बुनियादी सिद्धांतों से मेल नहीं बैठता है।

1.124 केरल, कर्नाटक, ओडिशा और पंजाब में लंबे समय से गुटबंदी रही है। केरल में गुटबाजी रोकने और समाप्त करने के सफल प्रयास हुए हैं। फिर भी कुछ चिन्ह अब भी बाकी हैं। पोलिट ब्यूरो और राज्य नेतृत्व को संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्नशील रहना होगा कि जनवादी केन्द्रीयता के नियम-कायदों के आधार पर गुटबंदी के रुझानों से निपटा जाए।

1.125 कर्नाटक, ओडिशा और पंजाब में गुटबंदी की पुरानी विरासत के कारण, अभी भी नेतृत्व में पूर्ण एकता नहीं है। इन राज्यों का अनुभव यह दर्शाता है कि राज्य नेतृत्व की गुटबंदी, नीचे की इकाइयों तक पहुंच जाती है। इन राज्यों में यह महत्वपूर्ण है कि सामूहिक कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए राज्य सचिवमंडल में एकता सुनिश्चित की जाए। यह प्रक्रिया पोलिट ब्यूरो को सुनिश्चित करनी होगी। बहुत सारे राज्यों में जिला व निचले स्तरों पर गुटबंदी की प्रवृत्तियां मौजूद हैं। जनवादी केन्द्रीयता तथा सामूहिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पार्टी को, गुटबंदी के रुझानों से संकल्पपूर्वक लड़ना होगा और उन्हें उखाड़ फेंकना होगा।

1.126 यद्यपि राज्यों में सामूहिक तरीके से निर्णय लिये जाते हैं, फिर भी ज्यादातर राज्यों में इसके क्रियान्वयन की जांच-पड़ताल सही ढ़ंग से नहीं हो रही है। उच्चतर कमेटियों से निचली कमेटियों के लिए रिपोर्टिंग की रिवायत तो अधिकतर राज्यों में है, परंतु नीचे की कमेटियों से ऊपर की कमेटियों में रिपोर्टिंग की स्थिति कमजोर है और कुछ कमेटियों में तो ऐसी रिवायत है ही नहीं। सामूहिक कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जानकारियों का प्रवाहित होना अनिवार्य है। केन्द्रीय कमेटी के निर्णयों व रिपोर्टों को राज्य कमेटियों में जाकर तो पोलिट ब्यूरो अथवा केन्द्रीय कमेटी के सदस्य व्याख्यायित कर रहे हैं। परंतु राज्य कमेटी और केन्द्रीय कमेटी के निर्णय व रिपोर्ट, नीचे की कमेटियों तक ले जाने के मामले में कमजोरियां हैं।

1.127 कई राज्यों में केन्द्रीय कमेटी के कई दस्तावेजों की रिपोर्टिंग, कमेटियों व पार्टी सदस्यों के बीच ठीक से नहीं की गई है। पार्टी की सामूहिक व कुशल कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर रिपोर्टिंग में कमजोरी को ठोस रूप में चिन्हित और दुरुस्त किया जाना जरूरी है।

1.128 कुछ कमेटियों ने यह बताया है कि पार्टी कमेटियों में स्वंतत्र व निर्भीक विचार विमर्श नहीं हो रहा है। अनेक प्रदेशों में कई स्तरों पर संघीय व उदारतावादी

रुझान मौजूद हैं। संघीय रुझानों की तुलना में, उदारतावादी प्रवृत्तियां अधिक पायी जाती हैं।

1.129 पार्टी में विभिन्न स्तरों पर आलोचना व आत्मालोचना को प्रोत्साहित किया जाता है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में अधिकतर राज्यों ने बताया कि आलोचना तो होती है पर आत्मालोचना बहुत कम होती है। आत्मालोचना वास्तविक के बजाय औपचारिक तौर पर किये जाने का रुझान है।

1.130 कुछ राज्य कमेटियों ने इंगित किया है कि ऊपर की कमेटियों व नेताओं के अफसरशाहाना आचरण की शिकायतें हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तमिलनाडु की ओर से बताया गया है कि राज्य स्तर पर पार्टी की अंदरूनी बहसें मीडिया को लीक किये जाने के मामले हुए हैं। पोलिट ब्यूरो और केन्द्रीय कमेटी के स्तर पर भी पार्टी की अंदरूनी बहसों के लीक होने के कुछ उदाहरण सामने आए हैं।

1.131 पार्टी में सभी स्तरों पर तमाम खामियों, कमजोरियों और जनवादी केन्द्रीयता के उल्लंघनों को चिन्हित करके उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिये ताकि जनवादी केन्द्रीयता को सुदृढ़ किया जा सके। प्लेनम के उपरांत, सभी स्तरों की कमेटियों को, हरेक स्तर पर जनवादी केन्द्रीयता की दशा की गंभीर समीक्षा करनी चाहिये। पार्टी में सामूहिक काम-काज का सुदृढ़ किया जाना, बहुत हद तक इस में हमारी सफलता पर ही निर्भर करता है।

1.132 पार्टी के अंदरूनी जनतंत्र को मजबूत करना, मौजूदा हालात में सुधार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पार्टी के अंदरूनी जनतंत्र को संस्थागत रूप देना व मजबूत करना, जनवादी केन्द्रीयता के अनेक उल्लंघनों को रोकने की कुंजी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी सदस्यों को, पार्टी के मामलों व नीति निर्धारण में हिस्सा लेने का अवसर मिले। पार्टी केंद्र तथा राज्य कमेटियों को महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाविकास तथा पार्टी के प्रमुख निर्णयों पर, नियमित रूप से पार्टी लैटर या पत्र जारी करने चाहिए और उनका सभी पार्टी इकाइयों में वितरण होना चाहिए। इन पर नीचे की सभी इकाइयों में विचार-विमर्श होना चाहिए और उनकी राय ली जानी चाहिए। वर्तमान में नीचे से जो रिपोर्टें ली जाती हैं, वे सिर्फ कामों के क्रियान्वयन तक ही सीमित रहती हैं। यह बदलना चाहिये और विशेष रूप से नीचे की इकाइयों से तथा पार्टी सदस्यों से उनके विचार पूछे जाने चाहिये।

मनोगतवाद

1.133 मनोगत समझ से हमारी अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति का गलत आकलन हो जाता है। मनोगतवाद से व्यक्तिवाद भी पनपता है। पार्टी में विभिन्न स्तरों पर मनोगतवाद है। मनोगत आकलन, जो तथ्यों पर आधारित नहीं होते हैं, चुनाव लड़ने संबंधी निर्णय लेने के मामले में, जनसाधारण के झुकाव का तथा चुनाव नतीजों का अनुमान लगाने में और यहां तक कि कई बार कार्यकर्ताओं के मूल्यांकन के मामले में भी काम करते हैं।

उदारवाद का मुकाबला करो

1.134 उदारवाद एक अवसरवादी रुझान है जो जनवादी केन्द्रीयता को कमजोर करता है और राजनीतिक, वैचारिक तथा सांगठनिक मसलों में सिद्धांतहीन समझौतों का द्योतक है। प्रत्येक पार्टी सदस्य को हमेशा पार्टी के राजनीतिक-वैचारिक रुख तथा पार्टी के सांगठनिक सिद्धांतों व रिवायतों पर कायम रहना चाहिए और सभी गलत विचारों व क्रियाकलापों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करना चाहिये ताकि पार्टी के सामूहिक जीवन को, सही राजनीतिक-वैचारिक प्रस्थापनाओं, सांगठनिक सिद्धांतों व रिवायतों पर सुदृढ़ किया जा सके।1.135 उदारवाद वैचारिक संघर्ष को नकारता है और सिद्धांतहीन अमन (शांति) की ओर ले जाता है, जिससे राजनीतिक गिरावट आती है। किसी भी पार्टी सदस्य को हमेशा, दूसरों की गई गलत व कम्युनिस्टविरोधी टिप्पणियों का प्रतिवाद करना चाहिये। कुछ साथी ऐसे हैं जो ऐसी टिप्पणियों का मुकाबला नहीं करते हैं और इस तरह का उदार रुख अपनाते हैं, जैसे कोई बात ही नहीं हो। हरेक पार्टी सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह हमेशा, पार्टी के राजनीतिक-वैचारिक रुख के साथ खड़ा हो।

1.136 उदारवाद पार्टी में सभी स्तरों पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। पार्टी सदस्यों के कम्युनिस्ट गुणों में बढ़ती हुई गिरावट आ रही है। ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रभावशाली पार्टी नेताओं द्वारा पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के मामलों को, सिद्धांतहीन शांति व समझौते के लिए बर्दाश्त कर लिया गया है। 17 राज्यों की ओर से विभिन्न स्तरों पर पार्टी अनुशासन के उल्लंघन को बर्दाश्त करते चले जाने के प्रकरणों के बारे में बताया गया है।

1.137 पार्टी अथवा जनमोर्चों के पद के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार की ऐसी शिकायतों की, जिनमें नेतृत्व में बैठे लोगों का नाम आता हो, जांच करने में हिचकिचाहट व अनिच्छा के उदाहरण भी मौजूद हैं। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि

केन्द्रीय अनुशासन कमीशन बनने के उपरांत, उसके पास अब तक शायद ही कोई शिकायतें पहुंची हैं।

1.138 कुछ साथी, अगर वे इससे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होते हों, मामलों को घिसटते रहने देते हैं, भले ही इससे पार्टी के काम और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ऐसी भी कमेटियां हैं जो अपनी खामियों और गलतियों को जानते हुए भी, उन्हें दुरुस्त करने का कोई प्रयास नहीं करती हैं और उन कमजोरियों और गलतियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं।

1.139 पार्टी में सभी स्तरों पर, हर तरह के उदारवादी रुझानों के खिलाफ, संकल्पबद्ध संघर्ष छेड़ना होगा।

संघवाद

1.140 सलकिया प्लेनम में नोट किया गया था कि पार्टी के असमान विकास की स्थिति में और भारत जैसे विशाल अनेक जातीयताओं वाले देश में, एक रुझान के रूप में संघवाद का पनपता है। एक केंद्रीयकृत पूंजीपति–भूस्वामी राज्य की ताकत से टक्कर लेने के लिये, एकीकृत राजनीतिक लाइनवाली तथा सांगठनिक रूप से कसी हुई, केन्द्रीयकृत पार्टी का होना जरूरी है। संघवाद, ऐसी पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर करता है। सलकिया प्लेनम ने पार्टी संगठन में संघीय रुझानों की मौजूदगी को नोट किया था और इनसे निपटने के लिए कुछ कदम सुझाए थे।

1.141 तब से पार्टी का असमान विकास न केवल जारी रहा है बल्कि कुछ मामलों में तो और ज्यादा तेज भी हुआ है। जहां हमारे तीन मजबूत राज्यों केरल, बंगाल तथा त्रिपुरा की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है, वहीं उनके और दूसरे राज्यों के बीच खाई और भी चौड़ी हो गई है। यह अपने आप में ही संघवाद के लिए आधार तैयार करता है। पश्चिम बंगाल में पार्टी का लगातार 34 साल तक सरकार चलाना, अपने आपमें एक अनोखी स्थिति थी। राज्य सरकार चलाने के काम के तकाजों तथा सरकार चलाने की व्यस्तताओं के चलते, कई बार पार्टी केंद्र के साथ राज्य नेतृत्व के विचार–विमर्श तथा तालमेल में कमी रह गयी। केंद्रीय कमेटी का विभिन्न मुकामों पर वाम मोर्चे की सरकार की कार्यप्रणाली की चौतरफा तरीके से समीक्षा न कर पाने का तथ्य अपने आप में, संघवाद के इस रुझान की ही गवाही देता है।

1.142 महत्वपूर्ण मुकामों पर, जब वाममोर्चा सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों पर राज्य में सवाल उठे, पोलिट ब्यूरो हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहा। बेशक, ऐसे मौके भी आए जब वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारों से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर केन्द्रीय कमेटी में विचार-विमर्श भी किया गया और उनको पार्टी कांग्रेस के सामने पेश किया गया। मिसाल के तौर पर 18वीं पार्टी कांग्रेस में दस्तावेज ''कुछ नीतिगत मुद्दों पर'' आया तथा 19वीं पार्टी कांग्रेस में ''वर्तमान स्थिति और वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारों की भूमिका'' शीर्षक का दस्तावेज। पार्टी केन्द्र और पोलिट ब्यूरो द्वारा अपनी पहल पर, मजबूत राज्यों के अंदर के राजनीतिक व सांगठनिक मामलों में बहुत ही कम हस्तक्षेप किए जाने से भी संघवाद को बल मिला। सम्बन्धित राज्य द्वारा कोई मसला उठाए जाने पर ही केन्द्र, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता था।

1.143 प्रश्नावली के अपने उत्तरों में कई राज्यों ने राज्य स्तर पर संघवाद की प्रवृत्तियां होने की बात लिखी है। प0 बंगाल में 20 में से 16 जिलों में विभिन्न स्तरों पर संघवाद के रुझानों की मौजूदगी की जानकारी दी गई है। तमिलनाडु ने भी जिलों में संघवाद की प्रवृत्तियां होने की बात कही है। कुछ राज्यों ने बताया है कि उनके कुछ जिलों ने राज्य कमेटी के निर्णयों को लागू नहीं किया है अथवा नियमित रूप से रिपोर्टें नहीं भेजी हैं।

1.144 संघवाद की समस्या का एक रूप यह भी है कि बहुत सारी राज्य कमेटियां पार्टी केन्द्र को अपने यहां के राजनीतिक घटनाक्रम अथवा सांगठनिक गतिविधियों की रिपोर्ट नियमित तौर पर नहीं भेजती हैं। नियमित रूप से रिपोर्टें नहीं आती हैं तो पोलिट ब्यूरो तथा केन्द्रीय कमेटी को राजनीतिक घटनाक्रम की चैतरफा व पूरी तस्वीर नहीं मिल पाती है। वर्तमान में राज्यों के स्तर पर यह चलन है कि वे केन्द्रीय कमेटी की बैठकों के अवसर पर रिपोर्टें भेजते हैं। ये रिपोर्टें भी असल में मीटिंग से ऐन पहले अथवा मीटिंग के दौरान ही दी जाती हैं। इससे पार्टी केन्द्र को इसका मौका ही नहीं मिलता है इनका अध्ययन करे और इनके विश्लेषण के आधार पर भावी कार्य योजना सुझाए।

1.145 हमारी कार्यप्रणाली में प्रांतीयता और स्थानीयवाद भी एक हद तक घुस गए हैं। ऐसे मामले आए हैं कि राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों पर, राज्य के नेताओं द्वारा विशुद्ध रूप से अपने राज्य स्तर के परिप्रेक्ष्य से प्रतिक्रियाएं दी गयी हैं, जिनमें अखिल भारतीय संदर्भ गायब था। जनवादी केन्द्रीयता को सुदृढ़ करने हेतु हम जो कदम उठाते हैं, उनमें हर स्तर पर संघीय रुझानों से निपटने का काम भी

शामिल करना जरूरी है ताकि पूरे देश में एक केन्द्रीकृत राजनीतिक-सांगठनिक लाइन को लागू करना सुनिश्चित किया जा सके।

1.146 नौकरशाही, गुटबाजी, संघवाद, मनोगतवाद और उदारवाद जैसी प्रवृत्तियां, सामूहिक कार्यों और जनवादी केन्द्रीयता को कमजोर करती हैं। ऊपर से शुरू करके, हर स्तर पर इनसे जूझना होगा।

संसदवाद

1.147 संसदवाद का बढ़ता रुझान, मार्क्सवादी-लेनिनवादी रास्ते पर एक मजबूत पार्टी संगठन के निर्माण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। पार्टी द्वारा तय किए गए राजनीतिक-सांगठनिक कामों को सही ढंग से लागू करने की प्रक्रिया को कमजोर करने के लिये भी, संसदवाद ही जिम्मेवार है। राज्य कमेटियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों से संसदवाद की मौजूदगी की पुष्टि होती है।

1.148 राज्यों ने उन विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है जिनमें संसदवाद अभिव्यक्त हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने की आकांक्षा बढ़ रही है। वे उन जगहों पर भी चुनाव लड़ने की मांग करते हैं, जहां चुनाव लड़ने का कोई आधार ही नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को जब चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई, उन्होंने चुनावों में काम ही नहीं कर के अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कुछ मामलों में, विशेषकर स्थानीय निकायों के चुनावों में, पार्टी के निर्णयों की अवहेलना तक होती है।

1.149 तेलंगाना व आंध्रप्रदेश कमेटियों ने ऐसे मामले भी रिपोर्ट किए हैं जिनमें पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव में पैसा बहाया है और पूंजीवादी पार्टियों जैसे तौर-तरीके अपनाए हैं। चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कुछेक ने तो ग्रुपबाजी और गुटबंदी का भी सहारा लिया है। संसदवाद का एक और पहलू यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि, जनसंघर्षों पर भरोसा करने अथवा पार्टी की संगठित गतिविधियों के सम्पर्क में रहने के बजाए, केवल अपने चुनाव क्षेत्र के काम पर ध्यन देते हैं।

1.50 जैसाकि केंद्रीय कमेटी के 1996 के दुरुस्तीकरण दस्तावेज में बताया गया है, संसदवाद के कहीं व्यापक आयाम हैं:

1.151 ''संसदवाद एक संशोधनवादी दृष्टिकोण है, जो पार्टी की गतिविधियों को चुनावी कार्यों तक सीमित करता है और यह भ्रम पैदा करता है कि मुख्यत: चुनाव लड़कर पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे जनांदोलनों को

संगठित करने, पार्टी का निर्माण करने और वैचारिक संघर्षों को चलाने के कार्यों की उपेक्षा होती है। संसदीय और गैर-संसदीय दोनों तरह के कार्यों का योग करना होगा ताकि जनांदोलनों और राजनीतिक संघर्षों को मजबूत किया जा सके।''

1.152 कई अति-महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में विफलता भी संसदवाद के बने रहने से जुड़ी है। उदाहरण के तौर पर, जैसाकि इसी रिपोर्ट में एक अन्य स्थान पर उल्लेख किया गया है, दलित उत्पीड़न जैसे सामाजिक सवालों को उठाने तथा उन पर संघर्ष चलाने के प्रति अनिच्छा, इस अवसरवादी डर की वजह से है कि यह वर्चस्वशाली जातियों को नाराज कर, चुनावी संभावनाएं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार, गरीब किसान और खेतिहर मजदूरों की ओर वर्गीय उन्मुखता अपनाने और संघर्ष के लिए उनके मुद्दों को उठाने को भी इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है ताकि प्रभुत्वशाली तबके को नाराज न करने जरिए, चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके।

1.153 इसलिये यह जरूरी है कि संसदवादी रुझान जहां भी प्रकट हो, उसे इंगित किया जाए और उसका मुकाबला किया जाए। पार्टी कमेटियों को, चुनावी संभावनाओं के संबंध में मनोगत आधार पर लगाए गए अंदाजों को नहीं मान लेना चाहिये। अक्सर उच्चतर पार्टी कमेटियां भी, जन-कार्रवाइयों और सांगठनिक ताकत की स्थिति बहुत कमजोर होने के बावजूद, चुनाव में अंधाधुंध तरीके से प्रत्याशी खड़े किये जाने से रोकती नहीं हैं। मजबूत राज्यों को छोड़कर, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामों की, निगरानी व देख-रेख के लिए, पार्टी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिये, पार्टी का प्रभाव बढ़ाने और जनसंगठनों के निर्माण में, स्थानीय निकायों में उनके कामों की बदौलत कोई मदद नहीं मिलती है। विधानसभा सदस्यों के मामले में संबंधित पार्टी राज्य कमेटियों को और स्थानीय निकायों के मामले में जिला कमेटियों को, निर्वाचित निकायों, सहकारी समितियों एवं अन्य संस्थाओं में अपने प्रतिनिधियों के काम का मार्गदर्शन करने तथा देख-रेख करने के लिए सब-कमेटी या कोई अन्य व्यवस्था बनानी चाहिये।

1.154 संसदवाद के बढ़ते रुझानों को देखते हुए, हमें मुख्य रूप से गैर-संसदीय गतिविधियों की ओर से ध्यान देना होगा। संसदीय व गैर-संसदीय गतिविधियों के योग से हमें, वर्तमान पूंजीवादी-भूस्वामी गठजोड़ वाली मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर, एक वाम-जनवादी विकल्प का निर्माण करने के लिए, मजबूत आंदोलन खड़ा करने में मदद मिलेगी। बढ़ते जनांदोलन तथा जनाधार के बल पर

ही हम, विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ा पाए थे। सी पी आइ (एम) के गठन के समय से ही हम संसदीय मंचों पर काम का, जनांदोलनों और पार्टी के प्रभाव का विस्तार करने में उपयोग करते आए हैं। कुल मिलाकर इस सही कार्यनीति की बदौलत ही हमारी पार्टी केरल, बंगाल और त्रिपुरा आदि अपने मजबूत प्रांतों में, अपने आंदोलन और प्रभाव का विस्तार करने में सफल रही है। परंतु अन्य राज्यों में हम इस रुख का सही उपयोग करने में सफल नहीं हुए हैं।

1.155 चौंतीस साल तक वाममोर्चा सरकार चलाने और 2011 के विधानसभा चुनावों में हुई पराजय के अनुभव में भी, पार्टी संगठन निर्माण के लिये सबक छुपे हैं। अब तक की गई समीक्षाएं दर्शाती हैं कि वक्त गुजरने के साथ पार्टी व जनसंगठनों का स्वतंत्र काम घटता गया और सरकार व विभिन्न निर्वाचित संस्थाओं के कामों के आधीन हो गया। वर्गीय व जनसंघर्षों के पृष्ठभूमि में चले जाने का, पार्टी संगठन और जनता के साथ पार्टी के जीवंत संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ा।

1.156 हमें इसे पहचानना होगा कि संसदीय मोर्चे पर काम के मामले में, नई और बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। गत दो दशकों के नवउदारवादी निजाम का, राजनीतिक व चुनावी व्यवस्था पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ा है। चुनावों में तथा राजनीतिक पार्टियों के संचालन में बड़े पैमाने धन झोंके जाने और चुनाव अभियानो के ज्यादा से ज्यादा कार्पोरेट शैली का होते जाने से, सी पी आइ (एम) तथा वामपंथी पार्टियों के लिए गुंजाइश बहुत सिकुड़ गयी है। धन बल के भारी प्रयोग और पूंजीपति वर्ग के पूंजीवादी पार्टियों तथा उनके पंचायत स्तर तक के प्रत्याशियों के साथ गुंथ जाने से, हमारी पार्टी के राजनीतिक विस्तार के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे हालात में अगर संसदवाद के सामने घुटने टेक दिए जाते हैं, तो पार्टी संगठन और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा।

1.157 इस नवउदारवादी राजनीति और धन बल की काट करने का एक ही रास्ता है, पार्टी के जनाधार को खड़ा करना तथा मजबूत करना और संघर्षों व आंदोलनों के जरिए ही हो सकता है क्योंकि इसी से लोगों की राजनीतिक चेतना बढ़ेगी और वे पैसे के व अन्य प्रलोभनों का मुकाबला करने में समर्थ होंगे। पार्टी को चुनाव सुधारों के लिए शक्तिशाली अभियान चलाने होंगे, जिसमें एक प्रमुख मांग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने की होगी। कार्पोरेट मीडिया के असर की काट करने के लिए पार्टी को सोशल मीडिया का और नवोन्मेषी जमीनी अभियान का उपयोग करना चाहिए।

दुरुस्तीकरण

1.158 पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने दुरुस्तीकरण अभियान पर दो दस्तावेज स्वीकार किए थे—1996 और 2009 में। 1996-97 में पार्टी ने दुरुस्तीकरण अभियान चलाया था। 2009 के दस्तावेज में, 1996 के दस्तावेज के स्वीकार किए जाने के बाद के 12 वर्ष के अनुभवों की समीक्षा में आत्मालोचनात्मक तरीके से यह माना था कि पार्टी निरंतरता और सतत तरीके से दुरुस्तीकरण अभियान नहीं चला पाई थी। दस्तावेज में यह भी नोट किया गया कि पिछले अभियान की एक प्रमुख कमजोरी यह रही कि दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया ऊपर से यानि पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय कमेटी से शुरू नहीं की गई थी। पोलिट ब्यूरो व केन्द्रीय कमेटी ने, 2009 के दस्तावेज के आधार पर अपने काम तथा कार्यप्रणाली की आत्मालोचनात्मक जांच-पड़ताल की और खामियों व कर्मजोरियों को चिन्हित किया। 2009 के दस्तावेज की राज्य कमेटियों में रिपोर्टिंग की गई और दुरुस्तीकरण के दस्तावेज अपनाए गए। हालांकि, केन्द्रीय कमेटी ने तय किया था कि दुरुस्तीकरण अभियान की प्रक्रिया जून 2010 के अंत तक सभी जिला कमेटियों व उससे निचले स्तर की पार्टी कमेटियों तक पूरी कर ली जाए, बहुत सारी जिला कमेटियों व नीचे के स्तर की कमेटियों में इसे पूरा नहीं किया जा सका।

1.159 20वीं पार्टी कांग्रेस ने तय किया था कि दुरुस्तीकरण अभियान को जारी रखा जाए और राज्यों में पूरी पार्टी सदस्यता तथा तमाम पार्टी कमेटियों को इसके दायरे में लाकर, केन्द्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित समय सीमा में इसे पूरा किया जाए। केन्द्रीय कमेटी ने दुरुस्तीकरण को सम्पन्न करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। 2013 में अपनायी गयी मध्यावधि समीक्षा रिपोर्ट में यह दिशानिर्देश दिया गया कि 2014 की सदस्यता जांच के अवसर पर, राज्य कमेटियों द्वारा तय किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर, सभी इकाइयों व पार्टी सदस्यों को समेटते हुए, दुरुस्तीकरण पूरा किया जाए। कुछ राज्य कमेटियों ने ही इस दौरान दुरुस्तीकरण अभियान चलाया है। केरल राज्य कमेटी ने 31 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की, जिला व एरिया कमेटियों की बैठकें हुईं और उनसे प्रश्नों के उत्तर लिए गए। लोकल कमेटियों तथा ब्रांचों की भी बैठकें हुईं। यह प्रक्रिया एक साल चली। राज्य कमेटी ने दस्तावेज तैयार किया दुरुस्तीकरण अभियान नहीं चलाया है।

1-160 प्रश्नावली के जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार परिस्थिति में कुल-मिलाकर कोई सुधार नहीं हुआ है और कुछ मामलों में तो और अधिक गिरावट ही आयी

है। एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या पार्टी सदस्य प्रगतिशील मूल्यों का अनुपालन करते हैं, जिसमें अंधविश्वासों, जातिवाद, रूढ़िवादी रिवाजों और महिलाओं के प्रति पितृसत्तावादी व सामंती दृष्टिकोण आदि से बरी होना शामिल है। आंध्रप्रदेश राज्य कमेटी ने बताया है कि सदस्यों का बहुमत प्रगतिशील मूल्यों का अनुपालन नहीं करता है। राजस्थान राज्य कमेटी ने बताया है कि प्रतिगामी सामाजिक मूल्यों जैसे विवाह की अत्यधिक खर्चीली रस्मों, अंधविश्वास, जातिवाद, रूढ़िवाद, पितृसत्ता और महिलाओं के प्रति सामंती दृष्टिकोण में बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने कहा है कि ये ज्यादातर रुझान पार्टी में विद्यमान हैं और लगातार दुरुस्तीकरण अभियान जारी रहने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। राज्यों की रिपोर्टें बताती हैं बहुत से पार्टी सदस्य समाज के आम आदमी से गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हैं।

1.161 कुछ साथियों के संबंध में जीवन शैली, भ्रष्ट तौर-तरीके और कम्युनिस्ट नियम-कायदों का लगातार उल्लंघन किए जाने की शिकायतें हैं। उदारीकरण की नीतियों और पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों के तौर-तरीकों से पैदा हुए वातावरण का भी हमारे साथियों के एक हिस्से पर प्रभाव पड़ रहा है। यह सही है कि पार्टी कमेटियां स्थिति में सुधार के लिए कदम उठा रही हैं और कुछ गलती करने वालों के खिलाफ अनुशासन की कारवाइयां भी हुई हैं। कई राज्यों से पार्टी सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायतों की भी खबर मिली है।

1.162 सात राज्य कमेटियों की रिपोर्टें बताती हैं कि पार्टी सदस्यों की परिसंपत्तियां उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक होने के मामले सामने आए हैं। प0 बंगाल कमेटी ने बताया है कि ज्यादातर जिला कमेटियों ने बताया है कि वहां कुछ साथियों के पास आय से ज्यादा संपत्तियां होने के लक्षण हैं।

1.163 कुछ राज्यों ने रिपोर्ट किया है कि कुछ पार्टी सदस्यों व नेताओं के खिलाफ प्रोपर्टी डीलरों, ठेकेदारों तथा शराब के ठेकेदारों से संबंध रखने और उनकी मदद करने की शिकायतें हैं।

1.164 कुछ पार्टी सदस्यों के संबंध में शाहखर्ची का जीवन जीने, आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा खर्च करके अपनी जरूरत से बड़े मकान बनाने, बच्चों की शादियों में भारी खर्च करने, अन्य आयोजनों में दिल खोलकर खर्चे करने, आदि की शिकायतें मिली हैं। आठ राज्य कमेटियों ने ऐसी शिकायतें मिलने की जानकारी दी है।

1.165 पार्टी या जनमोर्चा में अपने पदों का दुरपयोग कर, पैसा बटोरने की भी शिकायतें आयी हैं। कुछ राज्य कमेटियों ने ऐसे मामलों के बारे में भी बताया है जिनमें पार्टी में प्रभावशाली हैं अथवा नेतृत्वकारी हैसियत के लोगों के खिलाफ आयी शिकायतों की जांच करने में संकोच या हिचकिचाहट का प्रदर्शन किया गया है।

1.166 इस दौरान राज्य, जिला, जोनल, क्षेत्रीय/ लोकल कमेटी सदस्यों तथा पार्टी सदस्यों के खिलाफ, अनुशासन की कारवाइयां हुई हैं। उनके खिलाफ जो दोष पाए गए हैं उनमें पार्टी निर्णयों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, अचल सम्पत्ति के कारोबार करने, नैतिक पतन, चुनाव में पार्टी निर्णयों के खिलाफ काम करने, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने, पार्टी विरोधी गतिविधियां, गुटबंदी, हड़तालों में भाग नहीं लेने, पार्टी के दुश्मनों से जा मिलने, अत्यधिक शराब का सेवन, आदि शामिल हैं।

1.167 हर साल नवीनीकरण के साथ दुरुस्तीकरण अभियान चलाया जाना चाहिए। हर पार्टी कमेटी, अपने से ऊपर की कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश करे।

सारांश

1.168 अंदरूनी जनतंत्र सुनिश्चित करना है ताकि नवउदारवादी केन्द्रीयता का समुचित रूप से काम करना सुनिश्चित किया जा सके । केन्द्रीय कमेटी के निर्णयों की ब्रांच स्तर तक रिपोर्टिंग हो। मनोगतवाद, उदारतावाद, नौकरशाही और गुटबंदी से निजात पाने की जरूरत है। भारत जैसे विशाल व विविधताओं वाले देश में काम करने वाली पार्टी में, संघीय रुझानों से जूझने को महत्व देना चाहिये। राज्यों से नियमित तौर पर पार्टी केन्द्र को राजनीतिक व सांगठनिक घटनाक्रम की रिपोर्टें भेजे जानी चाहिए।

1.169 राजनीतिक व सांगठनिक कार्यों को सही ढंग से न कर पाने के लिए, बढ़ता संसदवाद ही जिम्मेदार है। गैर–संसदीय गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए, उनके साथ संसदीय मंचों व गतिविधयों के उपयोगको जोड़ा जाए ताकि शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करने में मदद मिले। नवउदारवादी राजनीति की काट करना जरूरी है, जिसके कारण चुनावों व राजनीतिक व्यवस्था में, धन का अत्यधिक दुरुपयोग शुरू हुआ है। चुनाव सुधारों और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू कराने के लिए, हमें शक्तिशाली अभियान छेड़ना चाहिये।

1.170 मनोगतवाद से बचने के लिये वस्तुगत रिपोर्टिंग तथा आकलन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उदारवाद से निजात पाओ जो गलत सांगठनिक और

राजनीतिक तरीकों और अनुशासन के उल्लंघन को बर्दाश्त करता है।

1.171 पार्टी सदस्यों से आग्रह किया जाए कि वे प्रगतिशील मूल्यों को अपनाएं और रूढ़िवाद, जातिवाद तथा पितृसत्तावादी दृष्टिकोण को छोड़ें। कम्युनिस्ट मानदंडों का उल्लंघन करने वालों और भ्रष्टचार में संलिप्त होने वालों के खिलाफ कारवाई करो। दुरुस्तीकरण अभियान हर साल नवीनीकरण के साथ चलाया जाए।

ई

वैचारिक संघर्ष चलाओ

1.172 विचारधारात्मक संघर्ष, जो सत्ताधारी वर्ग की विचारधाराओं के विरुद्ध संघर्ष को जनता के बीच लेकर जाता है, पार्टी के प्रभाव को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्टी और जनसंगठनों के संघर्षों और आंदोलनों में आने वाले जनता के हिस्सों के बीच जब तक पार्टी द्वारा विचारधारात्मक अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक वे पार्टी के सचेत समर्थक नहीं बन सकते। विचारधारात्मक कार्य का दूसरा पहलू है, पार्टी सदस्यों के वैचारिक स्तर को ऊंचा उठाना। इसके लिए पार्टी के अंदर तथा पार्टी फ्रैक्शनों द्वारा जन संगठनों के अन्दर, वैचारिक शिक्षा देने का काम करना होगा। मौजूदा मुकाम पर कार्यकर्ताओं के वैचारिक स्तर को ऊंचा उठाकर ही, उनका क्रांतिकारी उत्प्रेरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

1.173 विचारधारात्मक संघर्ष, शासक वर्ग की विचारधाराओं के खिलाफ अनवरत संघर्ष की मांग करता है। नवउदारवाद सिर्फ आर्थिक नीतियों के दायरे तक सीमित नहीं है बल्कि यह ऐसा पूंजीवादी वर्गीय दृष्टिकोण है जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक; जीवन के क्षेत्रों तक पहुंचता है। नवउदारवादी विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली पूंजीवादी विचारधारा का लगातार सामना करना आवश्यक है। हिन्दुत्व और साम्प्रदायिकता के अन्य रूपों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष चलाना भी आवश्यक है, जो आज समाज में पैठ बनाते जा रहे हैं। पार्टी और जनसंगठनों को सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी इस संघर्ष को चलाना होगा। संकीर्ण पहचान की नीतियों और जातिगत पूर्वाग्रहों, अंध-क्षेत्रीयतावाद और पृथकतावाद की पोषक संकीर्ण विचारधाराओं के खिलाफ भी संघर्ष चलाना होगा। पार्टी शिक्षा को कार्यकर्ताओं को इसके लिए सक्षम बनाना चाहिए कि वे

वैचारिक मुद्दों और संघर्षों को, जनता के बीच ले जा सकें।

1.174 समूची पार्टी के वैचारिक स्तर को उन्नत करना ही, पार्टी को चुस्त-दुरुस्त करने और सुदृढ़ करने की कुंजी है। पार्टी शिक्षा को, कार्यकर्ताओं को वैचारिक मुद्दों को समझने में समर्थ बनाना चाहिए और उन्हें संघर्ष को जनता के बीच ले जाने के लिए तैयार करना चाहिए। वैचारिक अभियान को, 20वीं पार्टी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत विचारधारात्मक प्रस्ताव पर आधारित होना चाहिये। सब-कमेटियों और फ्रैक्शन कमेटियों को, जन मोर्चों में पार्टी सदस्यों द्वारा किए जाने वाले विचारधारात्मक कार्य पर विचार करना चाहिए और उसकी योजना बनानी चाहिए।

1.175 एजिट-प्रोप (आंदोलनात्मक-प्रचार) कमेटी] पार्टी शिक्षा कमेटी तथा अखबार/पत्रिका कमेटी को, अपने कार्यों में तालमेल स्थापित करना चाहिये, ताकि विचारधारात्मक संघर्ष में योगदान कर सकें।पार्टी कार्यकर्ताओं को एक ओर आंदोलन तथा प्रचार के बीच और दूसरी ओर विचारधारात्मक संघर्ष और अभियान के बीच, अंतर समझाया जाना चाहिए।

1.176 समाजवाद की परिकल्पना को और भारतीय परिस्थितियों में ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है, इसे कल्पनाशील तरीके से रखा जाना चाहिए। समकालीन और भारतीय संदर्भ में समाजवादी परिकल्पना का प्रचार-प्रसार, युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

1.177 एक केन्द्रीय शोध संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए, जो भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर मार्क्सवादी शोध का कार्य करे और पार्टी के काम में वैचारिक मदद दे। विभिन्न स्तरों पर पार्टी में बुद्धिजीवियों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाली हस्तियों के साथ, विचारों के आदान-प्रदान का कोई तंत्र होना चाहिए।

पार्टी शिक्षा

1.178 सभी स्तरों पर पार्टी सदस्यों को पार्टी शिक्षा उपलब्ध कराना, सांगठनिक काम का अभिन्न हिस्सा है। पार्टी सदस्यों के राजनीतिक-वैचारिक स्तर को ऊपर उठाना इस पर निर्भर करता है कि वे जनसंघर्षों और सांगठनिक गतिविधियों के अनुभवों को, कैसे अपना हिस्सा बनाते हैं। प्रदान की जा रही पार्टी शिक्षा की गुणवत्ता, इसमें एक महत्वपूर्ण कारक बनती है। सभी स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं

के लिए, निरंतर और व्यवस्थित पार्टी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले एक दशक से हम सभी पार्टी सदस्यों को न्यूनतम शिक्षा प्रदान करने पर जोर देते रहे हैं। राज्यों की रिपोर्टें बताती हैं कि हम ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं। संगठन के लिहाज से अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों में लगभग 30 से 40 प्रतिशत पार्टी सदस्यों को ही पार्टी कक्षाओं के दायरे में लाया जा सका है।

1.179 पार्टी शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित करने में विफलता और काफी ब्रांचों की तथा उनके सदस्यों की निष्क्रियता के कारण ही, पार्टी सदस्य अपने लिए आयोजित की जा रही क्लासों में नहीं आते हैं। हमें इस पर आग्रह करना होगा कि पार्टी के सभी सदस्यों को कम से कम चार सत्रों में चार विषयों के शिक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए— पार्टी कार्यक्रम, मार्क्सवादी दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र और पार्टी संविधान व संगठन।

1.180 प्रतिवर्ष राज्य कमेटियां पार्टी शिक्षा की योजना बनाएं और जिला कमेटियां भी उसी अनुरूप योजनाएं तैयार करें। मजबूत राज्यों नियमित पार्टी स्कूल स्थापित करने चाहिए। केरल में ई एम एस अकादमी में एक स्थाई स्कूल है जो, पूरे साल विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को शिक्षा प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में राज्य स्तर पर एक स्थाई पार्टी स्कूल—प्रमोद दासगुप्त एजूकेशनल सेंटर—स्थापित किया गया है और कुछ जिलों के भी अपने-अपने स्कूल हैं। त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को अपने यहां स्थाई स्कूल स्थापित करने की योजना बनानी चाहिये।

1.181 केन्द्रीय स्तर पर भी सुरजीत भवन बन कर तैयार होते ही स्थाई स्कूल की स्थापना कर दी जाएगी। यह स्कूल राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं व जनमोर्चों के कार्यकर्ताओं को नियमित तरीके से शिक्षण मुहैया कराएगा। केन्द्रीय स्कूल को हिन्दी भाषी क्षेत्र के लिए को शिक्षण मुहैया कराने पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

1.182 अविभाजित आंध्रप्रदेश में और अब तेलंगाना तथा आंध्रप्रदेश में, नियमित पार्टी कक्षाओं के अलावा स्टडी सर्कल आयोजित करने के अनुभव का उदाहरण देना होगा। ये स्टडी सर्कल, जिला और मंडल स्तर पर साप्ताहिक आधार पर आयोजित किए जाते हैं। स्टडी सर्कल क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर भी आयोजित होते हैं। ये स्टडी सर्कल हर रविवार को विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए होते हैं। तेलंगाना में राज्य, जिला, मंडल कमेटियों के तथा जिला फ्रैक्शन कमेटियों सदस्य और होलटाइमर, लगभग 1200 कामरेड इन स्टडी सर्कल्स का हिस्सा

हैं। खम्मम में 'रविवार शिक्षा के लिए' कार्यक्रम पिछले 500 सप्ताहों से बिना एक भी हफ्ते के विराम के चल रहा है। इस तरह के स्टडी सर्कल्स का उपयोग, बहुत सी जगहों पर साल में एक बार ही दी जाने वाली औपचारिक पार्टी शिक्षा के पूरक के रूप में किया जा सकता है।

1.183 पार्टी केन्द्र को हर स्तर के पार्टी सदस्यों के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये। राज्य उसमें समुचित संशोधन तथा उासका अनुकूलन कर सकते हैं। शिक्षण प्रणाली को सामान्य रूप से उन्नत बनाने की जरूरत है। दृश्य-श्रव्य माध्यमों, पॉवर प्वाईंट प्रस्तुतियों का उपयोग करना होगा और समूहों में चर्चा और आदान-प्रदान के तरीके अपनाने होंगे। पाठ्यक्रम तैयार करते समय यह पितृसत्ता, लैंगिक उत्पीड़न और जाति व वर्ग तथा सामाजिक दमन से संबंधित विषयों को शामिल किया जाना जरूरी है। पार्टी शिक्षा को कार्यकर्ताओं को विचारधारात्मक अभियान चलाने और जनता के बीच काम संचालित करने के लिए तैयार करना चाहिये।

सांस्कृतिक मोर्चा

1.184 संस्कृति पर पार्टी के परिप्रेक्ष्य को सूत्रबद्ध करने वाला एक सर्वसमावेशी दस्तावेज, एक साल के अंदर-अंदर स्वीकार करना होगा। पार्टी को सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि वे एक व्यापक प्रगतिशील, जनवादी सांस्कृतिक आंदोलन को विकसित करने में योगदान कर सकें। ऐसे सांस्कृतिक फोरमों तथा मंचों को सींचा जाना चाहिए जो लेखकों, रूपंकर कलाओं के कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों को एकसाथ ला सकें। साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी और पोंगापंथी ताकतों का सामना करने को प्राथमिकता प्रदान देनी होगी। इसके साथ ही साथ नवउदारवादी तथा कॉरपोरेट-संचालित सांस्कृतिक मूल्यों का विकल्प भी तैयार करना होगा। एक अलग स्तर पर हमें सांस्कृतिक ग्रुपों तथा दस्तों का निर्माण करना होगा, जो पार्टी की राजनीति तथा संदेश को जनता के बीच ले जा सकें।

सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष

1.185 हिन्दुत्व और अन्य साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष हमें राजनीतिक, विचारधारात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में चलाना होगा। सांप्रदायिक ताकतों की काट करने के लिए गतिविधियां विकसित करने में कमजोरियां रही हैं। जैसा कि राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन की समीक्षा में इंगित किया गया है,

यद्यपि कार्यनीतिक लाइन साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने का निर्देश दिया था, परंतु जमीनी स्तर पर साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं, विशेषकर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में।

1.186 21वीं पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव ने पार्टी और जनसंगठनों द्वारा साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफबहुआयामी संघर्ष चलाने के सम्बन्ध में ठोस निर्देश दिये हैं:

(एक) हिंदुत्व तथा सांप्रदायिकता के अन्य रूपों की प्रतिक्रियावादी तथा विभाजनकारी प्रकृति को बेनकाब करने के अभियान में उपयोग के लिए, लोकप्रिय शैली में विचारधारात्मक तथा राजनीतिक सामग्री तैयार की जानी चाहिये। पार्टी के बौद्धिक संसाधनों तथा पार्टी द्वारा संचालित व शोध केन्द्रों को, साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष के लिए बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों तथा सांस्कृतिक हस्तियों को गोलबंद करने के लिए लगाया जाना चाहिये।

(दो) शिक्षकों व सामाजिक संगठनों की मदद से, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल-पूर्व तथा स्कूल स्तर पर पहलें की जानी चाहिए।

(तीन) मजदूर वर्ग के बीच तथा मजदूर वर्ग के रिहायशी इलाकों में धर्मनिरपेक्ष तथा वैज्ञानिक नजरिए के प्रसार के लिए, पार्टी तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(चार) सांप्रदायिक ताकतों द्वारा फैलाए जा रहे जहरीले, जातिवादी तथा रूढ़िवादी मूल्यों का मुकाबला करने के लिए, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का विकास किया जाए। इस काम के लिए जन विज्ञान आंदोलन को लगाया जाना चाहिए।

(पांच) आदिवासी इलाकों में तथा दलितों के बीच सांगठनिक काम का विकास किया जाए ताकि आरएसएस के संगठनों की चहुंमुखी गतिविधियों की काट की जा सके।

1.187 अपने साथ के बुद्धिजीवियों और जनतांत्रिक बुद्धिजीवियों व विख्यात हस्तियों के साथ अपने सम्पर्क का उपयोग करते हुए, हमें सांप्रदायिकता के खिलाफ संयुक्त मंचों का गठन करना चाहिए। हमारे पास जो बौद्धिक संसाधन व शोध केंद्र हैं, उनका उपयोग करके हमें साम्प्रदायिकता के खिलाफ अभियान के लिए राजनीतिक और विचारधारात्मक सामग्री तैयार करनी होगी।

1.188 आरएसएस अपने विभिन्न मोर्चों के जरिए, स्कूल–पूर्व से उच्चतर माध्यमिक स्तर के लाखों स्कूल चला रहा है। हमें ऐसे स्कूल स्थापित करने में पहल करनी चाहिए जो ट्रस्टों, पंजीकृत समितियों अथवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित होंगे। रिपोर्टों के अनुसार हमारे मजबूत राज्यों के अलावा सिर्फ महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां अनेक जिलों में अच्छी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, जिनका पार्टी अथवा सहयोगी संगठनों से कुछ सम्बन्ध है। यह महत्वपूर्ण है कि अपने मजबूत राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में हम सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हस्तक्षेप करें। इसके साथ ही हमें आरएसएस–संचालित संस्थाओं का मुकाबला करने के लिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने की योजना बनानी चाहिए।

1.189 सांस्कृतिक क्षेत्र में पार्टी को प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों तथा सांस्कृतिक कृतियों की रक्षा के लिए, व्यापक आधार वाले सांस्कृतिक मंचों के गठन को प्रोत्साहित करना चाहिए। ट्रेड यूनियनों को भी मजदूर वर्ग के रिहायशी इलाकों में सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। समुदाय–आधारित संगठनों और इलाका–आधारित जनसंगठनों को भी, सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने के अपने प्रयासों में तालमेल स्थापित करना चाहिए।

1.190 पार्टी और जनसंठनों को मैडिकल कैम्प, स्वास्थ्य केन्द, शैक्षणिक कोचिंग सैंटर, वाचनालय, राहत कार्य आदि, आदि सामाजिक सेवा गतिविधियां संचालित करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सामाजिक मुद्दे

1.191 पार्टी को 18वीं कांग्रेस से लगातार यह निर्देश दिया जाता रहा है कि वह लैंगिक उत्पीड़न, जातिवादी दमन, दलितों व आदिवासियों के अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़े मुद्दों को उठाए। यह पार्टी के लिए आवश्यक है कि वह सर्वाधिक शोषित तथा सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित हिस्सों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाए।

1.192 तमिलनाडु और अविभाजित आंध्र प्रदेश में इस सम्बन्ध में कुछ साहसिक पहलें की गयीं, जिनके बेहतर परिणाम आए हैं। तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा और आन्ध्र प्रदेश में कुलविवक्षम व्यतिरेक पोरटा संघम(के वी पी एस) ने जातिवादी भेदभावविरोधी और अस्पृश्यताविरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। कर्नाटक में हाल के कुछ वर्षों में पार्टी ने मंदिरों में मडे स्नान जैसे अपमानसूचक

जातिवादी आचारों के खिलाफ संघर्ष किए हैं। केरल में अनुसूचित जाति कल्याण संगठन और आदिवासी संगठन के निर्माण से, इन तबकों के मुद्दों को उठाने में सहायता मिली है। केरल और पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों ने रिपोर्ट किया है कि सामाजिक मुद्दों को उठाने से पार्टी के प्रभाव का विस्तार हुआ है और जातिवादी तथा पृथकतावादी ताकतों का मुकाबला करने में मदद मिली है। महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर तथा कुछ जिलों में, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जबकि अन्य जिलों में ऐसे मुद्दे उठाने के बारे अभी जागरूकता नहीं है। उत्तरी भारत में हरियाणा में दलित उत्पीड़न और ऑनर किलिंग (इज्जत के नाम पर हत्या) के मुद्दे निरंतरता में उठाए गए हैं। परंतु उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। बार-बार निर्णय लेने के बावजूद उत्तर प्रदेश, ऐसे अभियान / आंदोलन छेड़ने में पूरी तरह से विफल रहा है। बिहार और मध्यप्रदेश में सामाजिक उत्पीड़न के कुछ मुद्दे छिटपुट ढंग से उठाए गए हैं। पंजाब में भी जातिवादी उत्पीड़न के विरोध की कार्रवाइयां नदारद हैं जबकि पार्टी सदस्यता में दलितों की बड़ी संख्या है। ओडिशा ने निचले स्तर की काफी कमेटियों में ऐसे मुद्दे उठाने के प्रति अनिच्छा रिपोर्ट दी है।

1.193 बहुत सी राज्य कमेटियों ने ऐसे मुद्दे उठाने में विफलता के कारणों की भी व्याख्या की है। सबसे पहला दोषी संसदवाद ही है क्योंकि वह इसका खतरा दिखाता है कि ऐसे मुद्दे उठाने से प्रभावशाली जातियां नाराज हो सकती हैं, चुनावी संभावनाओं को क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा दोषी है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच, विशेषकर हिन्दी राज्यों में मौजूद जातिवादी पूर्वाग्रह, जो दलित उत्पीड़न के मुद्दों को उठाने से मना करने तक ले जाता है और सिर्फ बातों तक ही सीमित करा देता है। तीसरा कारण है, निचला राजनीतिक-वैचारिक स्तर और यह गलत समझ कि आम राजनीतिक संघर्ष और वर्गीय मुद्दों को उठाने से, सामाजिक समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा।

1.194 इसे आत्मआलोचनात्मक रूप से स्वीकार करना होगा कि सामाजिक मुद्दों और समाज सुधार के एजेंडा को, जो सलकिया प्लेनम में तय किया था, उठाने में असफलता, हिन्दी भाषी इलाकों में उल्लेखनीय विस्तार करने में असफल रहने का, एक प्रमुख कारण है।

1.195 केन्द्र और राज्य, दोनों के नेतृत्व के स्तर पर, इसका सतत प्रयास करना होगा कि सामाजिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को नयी दिशा दी जाए। सामाजिक और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को पार्टी के राजनीतिक मंच तथा जनवादी आंदोलन

का जरूरी हिस्सा बनाना होगा।

समाज कल्याण की गतिविधियां

1.196 समाज कल्याण की गतिविधियां जनता से रिश्ते बनाने का एक प्रमुख रास्ता हैं। जिन राज्यों में समाज कल्याण की गतिविधियां संचालित की गई हैं, उनमें केरल और तेलंगाना/ आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा का अनुभव उल्लेखनीय है। केरल ने पूरे राज्य में रोगी पीड़ाहरण गतिविधियों, कचरा शोधन कार्यक्रम और जैविक सब्जी उत्पादन का आयोजन किया है। तेलंगाना में तीन अस्पताल और आदिवासी इलाकों में चिकित्सा शिविर और एक जैनेरिक दवाओं की दूकान को चलाया जा रहा है। आंध्रप्रदेश में भी आदिवासी चिकित्सा कैम्प चल रहे हैं और एक केन्द्र में सब्जी की दूकान चलायी जा रही है। त्रिपुरा में रक्तदान ने जन अभियान का रूप ले लिया है। राज्य कमेटियों ने रिपोर्ट किया है कि इन्हें जनता से अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। समाज कल्याण की गतिविधियां, पार्टी और जन संगठनों के कार्यक्रमों का आवश्यक हिस्सा बननी चाहिए और राज्य कमेटियों को अपनी क्षमता और संसाधन के अनुसार, चाहे छोटे पैमाने पर ही हो, ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए।

पार्टी मीडिया

1.197 केंद्रीय कमेटी के साप्ताहिक, ***पीपुल्स डेमोक्रेसी*** और ***लोकलहर,*** पार्टी सदस्यों और हमदर्दों को, राजनीतिक घटनाक्रम पर पार्टी की समझ से अवगत कराने और आर्थिक, सामाजिक तथा विचारधारात्मक मुद्दों पर, पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए हैं। ये अखबार आम जनता के लिए नहीं हैं। अपने इस चरित्र के बावजूद ये अखबार उनके द्वारा खरीदे और पढ़े नहीं जा रहे हैं, जिनके लिए ये निकाले जा रहे हैं। ***पीपुल्स डेमोक्रेसी*** को उन सभी कार्यकर्ताओं, सदस्यों और हमदर्दों तक पहुंचना चाहिए, जो अंग्रेजी जानते हैं और हिन्दी भाषी इलाकों में ऐसा ही ***लोकलहर*** के मामले में होना चाहिए। प्रसार संख्या के आंकड़ों से साफ है कि ऐसा हो नहीं रहा है। ***पीपुल्स डेमोक्रेसी*** की प्रसार संख्या (अप्रैल-जून 2015 की औसत) 12,918 है (सभी संस्करण) और ***लोकलहर*** की 8, 692। दस वर्ष पहले 2004-05 में ***पीपुल्स डेमोक्रेसी*** की प्रसार संख्या 12,137 और ***लोकलहर*** की 10,116 थी।

1.198 ***लोकलहर*** की बिक्री में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। यह हिन्दी भाषी इलाकों में पार्टी के ठहराव को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में ***लोकजतन*** पाक्षिक की

निरंतरता ही एक मात्र सकारात्मक पहलू है। उसकी प्रसार संख्या 2,700 है। सभी हिन्दी भाषी राज्यों को ***लोकलहर*** की ग्राहक संख्या बढ़ाने का काम गम्भीरता से हाथ में लेना चाहिए।

1.199 चार राज्यों—कनार्टक, महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा—में, जहां पार्टी के दैनिक अखबार नहीं हैं, राज्य कमेटियों द्वारा साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किए जा रहे हैं। गुजरात और मध्यप्रदेश में, पाक्षिक प्रकाशित किए जा रहे हैं। इनकी प्रसार संख्या मामूली कमी या वृद्धि के साथ, पिछले दो दशकों में कमोबेश जहां की तहां ही बनी रही है। ये साप्ताहिक और पाक्षिक भी मुख्यत: पार्टी सदस्यों और हमदर्दों को ही सम्बोधित हैं। इस पर विचार करना जरूरी है कि कहीं हम इन पत्र-पत्रिकाओं को ढर्राबद्ध तरीके से तो नहीं चला रहे हैं। संबंधित राज्य कमेटियों को इन पत्र-पत्रिकाओं की विषयवस्तु, प्रस्तुति और रूपसज्जा पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। ऐसा मान लिया गया प्रतीत होता है कि पार्टी सदस्य तो पार्टी अखबार पढ़ने के अनुशासन से बंधे हैं और इसलिए केन्द्रीय स्तर पर व राज्य स्तर पर प्रकाशित साप्ताहिक अखबारों का एक गजट की तरह सूचनाएं भर दे देना ही काफी है। प्रौद्योगिकी में आए बड़े बदलावों के सहारे, इन प्रकाशनों को आकर्षक और पाठक के कहीं अनुकूल बनाना संभव है। इसके अलावा, पार्टी के सभी नियतकालिक प्रकाशनों को ऑन लाइन (इंटरनैट पर) उपलब्ध होना चाहिए।

1.200 पार्टी ने छ: राज्यों में छ: दैनिक अखबार विकसित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। इनमें से ज्यादातर को सलकिया प्लेनम के बाद विकसित किया गया है। ये दैनिक हैं—***देशाभिमानी*** (केरल), ***गणशक्ति*** (पश्चिम बंगाल), ***दैनिक देशेरकथा*** (त्रिपुरा), **थिक्कथीर** (तमिलनाडु), ***प्रजाशक्ति*** (आंध्र प्रदेश) और *नव तेलंगाना* (तेलंगाना)। ये दैनिक अखबार, इन राज्यों में पार्टी की राजनीतिक-सांगठनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें से त्रिपुरा में *देशेर कथा* ने पिछले एक दशक में प्रसार संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है और त्रिपुरा में दूसरे नंबर का समाचार-पत्र बन गया है। अपने छ: संस्करणों के साथ ***देशाभिमानी*** पार्टी के सभी छ: दैनिक अखबारों में सबसे ज्यादा प्रचार संख्या वाला अखबार है। ***गणशक्ति*** को 2011 से ही लगातार गंभीर हमलों और दमन का सामना करना पड़ रहा है और उसकी प्रसार संख्या को बनाए रखना तथा वित्त प्रबंधन करना, निरंतर एकचुनौती बना हुआ है। ***प्रजाशक्ति*** (हाल तक संयुक्त) के आंध्र प्रदेश में 7 संस्करण निकलते हैं और आर्थिक रूप

में आत्मनिर्भर है। पार्टी सदस्यता के अनुपात में इसकी प्रसार संख्या बेहतर है। *थिक्कथीर* के अब चार संस्करण हैं परंतु इसकी प्रसार संख्या 25, 525 ही है जो कि पिछड़ रही है। पार्टी सदस्यता और पार्टी के प्रभाव को देखते हुए, इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी होनी चाहिए। सबसे नया दैनिक *नव **तेलंगाना*** है, जो तेलंगाना राज्य बनने के बाद शुरू हुआ है। इसके तीन संस्करण प्रकाशित होते हैं।

1.201 टेलिविजन और प्रिंट मीडिया में कॉरपोरेट मीडिया का वर्चस्व है। इसका जबर्दस्त प्रभाव और बहुत भारी पंहुच है। यद्यपि यह मीडिया पार्टी के विचारों और गतिविधियों की पर्याप्त रिपोर्टिंग और कवरेज नहीं करता है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि हम मुख्यधारा के मीडिया में उपलब्ध अवसरों का पूरा उपयोग करें। इसके लिए राज्य कमेटियों को ऐसे नेतृत्वकारी साथियों की मीडिया टीमें गठित करनी चाहिए, जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया में पार्टी का पक्ष प्रस्तुत कर सकें। वे मीडिया की चर्चाओं और प्रश्नों को संभालने के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए।

1.202 विगत वर्षों में पार्टी के दैनिक अखबारों व अन्य प्रकाशनों के संपादकों की कुछ बैठकें हई थीं। इसे एक सालाना कायदा बनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे तालमेल में और प्रकाशनों में सुधार के लिए विचारों के आदान-प्रदान में सहायता मिलेगी।

1.203 ***द मार्क्सिस्ट,*** जो पार्टी का सैद्धांतिक त्रैमासिक है, नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। इसकी सामग्री का राज्यों में प्रकाशित सैद्धांतिक पत्रिकाओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है। फिर भी इसकी प्रसार-संख्या में गिरावट दर्ज हुई है और अब यह संख्या जहां की तहां बनी हुई है। विचारधारात्मक संघर्ष के महत्व को देखते हुए, यह जरूरी है कि इसकी सामग्री व अंतर्वस्तु में सुधार किया जाए और इसकी प्रसार संख्या का बढ़ना सुनिश्चित किया जाए।

सोशल मीडिया का इस्तेमाल

1.204 समग्रता में पार्टी सोशल मीडिया में हमारे दखल के महत्व को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पायी है। एक राज्य द्वारा दिए गए प्रश्नावली के इस जवाब से सार रूप में काफी व्यापक स्तर पर प्रचलित रुख को समझा जा सकता है कि, ''यह हमें जनता से अलगाव की ओर ले जा सकता है।'' दरअसल पूरा नुक्ता तो यह है कि हम आज उपलब्ध नई प्रौद्योगिकी के जरिए, पार्टी के संदेश के कहीं व्यापक हिस्सों तक पहुंचने को कैसे सुनिश्चित करें। युवाओं के संबंध में यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया हमारे जन कार्य का विकल्प या

स्थानापन्न नहीं है बल्कि यह हमारे राजनीतिक और विचारधारात्मक संदेश की जनता तक पहुंच बढ़ाता है।

1.205 केन्द्रीय पार्टी की एक अंग्रेजी वैबसाइट है और हिन्दी की वैबसाइट विकसित होने की प्रक्रिया में है तथा पहले ही ऑनलाइन है।

1.206 फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स एप और अन्य ऐसे एप्स (एप्लीकेशन्स) सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। केन्द्र पर एक टीम कार्यरत है जो फेसबुक (222.facebook.com) तथा ट्वीटर खाते (twitter/cpimspeak) का संचालन करती है। सोशल मीडिया में हस्तक्षेप के महत्व को समझने की ओर पार्टी को उन्मुख करने के लिए, केन्द्र की ओर से दो राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित की जा चुकी हैं।

1.207 आज 18 राज्यों में राज्यस्तरीय कार्यकर्ता/ ग्रुप कार्यरत हैं, हालांकि उनके हस्तक्षेप और काम-काज के स्तरों में भारी भिन्नता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में ही, जिलों के स्तर पर सोशल मीडिया ग्रुपों के गठन के प्रयास किए जा रहे हैं।

1.208 इस काम में सुधार की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर केंद्र से डाली जाने वाली सामग्री व ट्वीटों की शेयरिंग तथा उस पर ''लाइक्स'' (दर्जशुदा अनुमोदन) का स्तर, क्षमता से बहुत कम है। हमें अपने सदस्यों तथा हमदर्दों के विशाल नैटवर्क का उपयोग, पार्टी की सामग्री को प्रचारित करने हेतु करना चाहिए। इस समय हमारी मुख्य कमजोरी है, फेसबुक तथा व्हाट्स एप्प का इस्तेमाल करनेवालों के बीच एक मजबूत नैटवर्क को न बना पाना।

1.209 अन्य साईट्स पर हमारे हस्तक्षेप अथवा चल रही बहसों में हिस्सेदारी के प्रयास, अब तक या तो नदारद हैं या नाम मात्र को ही हैं। यदि धुरी मजबूत होगी तो, उसका तरंग प्रभाव भी पैदा हो सकेगा। लेकिन, इस मामले में हमें अधिकारिक पेजों के सिलसिले में केन्द्र-राज्य समन्वय तथा राज्य-जिला समन्वय को मजबूत करने की और प्राथमिकता के तौर पर केन्द्र को मजबूत करने की जरूरत है। इससे हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी।

सारांश

1.210 जनता के बीच विचारधारात्मक अभियान और कार्य का महत्व है। कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने तथा पार्टी में नयी जान डालने के लिए, पार्टी सदस्यों के वैचारिक

स्तर को ऊंचा उठाना एक महत्वपूर्ण कारक है। युवतर पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए, समाजवादी संकल्पना का प्रचार किया जाए। उपसमितियों और फ्रैक्शन कमेटियों को, विचारधारात्मक कार्य की योजना बनानी चाहिए। प्लेनम के बाद साल भर के अंदर-अंदर, पार्टी के लिए सांस्कृतिक नीति सूत्रबद्ध की जाए। सांस्कृतिक फोरमों तथा मंचों को बढ़ावा दिया जाए, जो विभिन्न धाराओं के कलाकर्मियों तथा सांस्कृतिक हस्तियों को एकजुट कर सकें ताकि सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी और पोंगापंथी ताकतों का मुकाबला किया जा सके और नवउदारवादी तथा कॉरपोरेट-संचालित सांस्कृतिक मूल्यों का, विकल्प प्रस्तुत किया जा सके।

1.211 सभी मजबूत राज्यों में स्थायी पार्टी स्कूलों की स्थापना। राज्य कमेटियों द्वारा सालाना योजना बनायी जाए। सभी पार्टी सदस्यों के लिए कम से कम चार विषयों पर पार्टी शिक्षण हो। अगले दो वर्षों में दिल्ली में स्थाई केन्द्रीय स्कूल की स्थापना। पाठ्यवस्तु और शिक्षण के तरीकों को उन्नत करना।

1.212 हिन्दुत्व और अन्य साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष को वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में संचालित करना होगा। साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान के लिए राजनीतिक व विचारधारात्मक सामग्री तैयार करने में पार्टी के बौद्धिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। स्कूल-पूर्व और स्कूली संस्थाओं की स्थापना, जो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों का धर्मनिरपेक्ष विकल्प प्रस्तुत कर सकें। सांस्कृतिक क्षेत्र में पार्टी और जनसंगठन, सांस्कृतिक मंचों का गठन करें। ट्रेड यूनियनों द्वारा मजदूरों के रिहायशी इलाकों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएं। पार्टी द्वारा चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य केन्द्र, कोचिंग सैंटर, स्वच्छता अभियान, वृद्ध आश्रम आदि समाज कल्याण के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए।

1.213 सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी, व्यापक आधार वाले अभियानों व आंदोलनों के जरिए, सामाजिक मुद्दों को उठाए। हिन्दी भाषी राज्यों और उन राज्यों में जहां इस काम को गंभीरता से हाथ में नहीं किया जा रहा है, इसे विशेष रूप से हाथ में लिया जाए।

1.214 पार्टी के दैनिक अखबारों के अलावा साप्ताहिकों और पत्रिकाओं की साज-सज्जा तथा पाठ्य सामग्री को उन्नत करने व बेहतर बनाने के कदम उठाए जाएं। पार्टी के सभी नियतकालिक प्रकाशनों को ऑनलाइन किया जाए। मुख्यधारा के मीडिया

में प्रतिक्रिया देने के लिए, राज्य कमेटियों द्वारा मीडिया टीमें गठित की जाएं।

1.215 18 राज्यों में सोशल मीडिया ग्रुप गठित किए जा चुके हैं। केवल तीन राज्यों में जिला स्तर पर सोशल मीडिया ग्रुप हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग करने वालों का मजबूत नैटवर्क स्थापित किया जाए।

मुख्य दिशा

1.216 पार्टी संगठन की स्थिति की समग्र समीक्षा, जो ऊपर दी गई है, हमें अपनी कमजोरियों और खामियों को पहचानने में समर्थ बनाती है। जहां पर सांगठनिक प्रगति हुई है, उसे समझने में और उस अनुभव से सामान्य निष्कर्ष निकालने में भी, यह समीक्षा हमारी मदद करती है। पार्टी को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए तथा संगठन को पार्टी की स्वतंत्र ताकत में लगातार बढ़ोतरी करने की ओर उन्मुख किया जाए और वर्गीय तथा जन संघर्षों के जरिए, वाम-जनवादी गठबंधन का निर्माण किया जाए, जो वर्गीय ताकतों के संतुलन में बदलाव लाने में मददगार होगा।

1.217 देशभर में आधार वाली एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी के लक्ष्य की ओर बढ़ने के उद्देश्य से प्लेनम निम्न दिशा और कार्य तय करता है:

1- आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर वर्गीय और जन-आंदोलनों को खड़ा करना ताकि पार्टी के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और वामपंथी तथा जनवादी ताकतों को गोलबंद किया जा सके।

2- जननीति अपनाओ और जनता से जीवंत रिश्ते स्थापित करो।

3- उच्च गुणवत्ता की सदस्यता वाली क्रंतिकारी पार्टी के निर्माण के लिए, संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाओ।

4- युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने के विशेष प्रयास करो।

5- साम्प्रदायिकता, नवउदारवाद और प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष चलाओ।

भाग–2

जनसंगठनों की स्वतंत्र और जनवादी कार्यप्रणाली के काम की समीक्षा

2.1 पार्टी ने जन मोर्चों की स्वतंत्र और जनवादी कार्यप्रणाली की प्रकृति तथा पार्टी और जन संगठनों के बीच के अंतर्संबंध की व्याख्या करते हुए दो दस्तावेज़ पारित किये – 1981 में ''जन संगठनों के बारे में'' और 2004 में ''जन संगठनों के प्रति रवैये के बारे में''। जैसा कि 1992 की 14वीं पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक-सांगठनिक रिपोर्ट में कहा गया, व्यवहार में 1981 के दस्तावेज़ की समझदारी का ज़्यादातर राज्यों और जन मोर्चों में उल्लंघन हो रहा था। ''जन संगठनों के प्रति रवैये के बारे में'' दस्तावेज़ ने जन संगठनों की स्वतंत्र और जनवादी कार्यप्रणाली को मज़बूत करने तथा पार्टी और जन संगठनों के अंतर्संबंध पर दुरुस्त रवैये का निर्वाह करने के लिए कुछ ठोस दिशा-निर्देश दिये थे। जो सवाल उठाये गये वे मुख्यत: 2004 के दस्तावेज़ में दिये गये ठोस दिशा-निर्देशों पर आधारित थे।

2.2 कुल मिलाकर जनसंगठनों के संचालन में पार्टी के सीधे हस्तक्षेप करने का रुझान बना ही हुआ है। विभिन्न रूपों में ऐसा हस्तक्षेप जनसंगठनों के स्वतंत्र रूप से काम करने और उनका आधार व्यापक बनाने के लक्ष्य के लिए बाधक है। विभिन्न स्तरों पर अब भी यह प्रवृत्ति बनी हुई है कि जनसंगठनों को पार्टी का पुंछल्ला बना दिया जाए।

2.3 जो उत्तर आये हैं, बताते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में जन मोर्चों की स्वतंत्र और जनवादी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये गये हैं। पूरी स्थिति में कुछ सुधार है। इसके प्रयास किये गये कि जन मोर्चों के साधारण सदस्यों की चेतना को ध्यान में रखते हुए, जन मोर्चों के मंच से यांत्रिक तरीक़े से पार्टी के नारे दिये जाने से बचा जाए। लेकिन कुछ राज्यों और जन मोर्चों के मामले में अब भी ऐसा हो रहा है। राज्यों से आये उत्तर बताते हैं कि संबंधित जन मोर्चों के साथ नहीं जुड़े हुए पार्टी नेता, राज्य स्तर पर (उन जन मोर्चों के मंच पर) बहुत कम ही देखे जाते हैं। लेकिन, ज़िला स्तर पर और निचले स्तरों पर यह ग़लत चलन जारी है।

2.4 पार्टी द्वारा आयोजित रैलियों और कार्यक्रमों में, मुख्यत: जन मोर्चों में काम करने वाले पार्टी सदस्यों के स्वतंत्र काम के ज़रिए मज़दूर, किसान, खेतिहर मज़दूर, महिलाएं, युवा और छात्र लामबंद किये जाते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में और ख़ास तौर से निचले स्तरों पर, सीधे पार्टी द्वारा जन मोर्चों को निर्देश दिये जाते हैं।

2.5 ज़्यादातर राज्यों में सिर्फ़ अध्यक्ष तथा महासचिव के नाम तथा ट्रेड यूनियन के मामले में कोषाध्यक्ष का भी नाम, पार्टी कमेटी द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं। लेकिन कई जगहों पर नये पदाधिकारियों के बारे में फैसला लेने से पहले फ्रैक्शन कमेटियों के साथ कोई बात नहीं की जाती है। कुछ जन मोर्चों के मामले में, सभी कमेटी सदस्यों को पार्टी कमेटियों द्वारा ही नामित किया जाता है। कुछ जन मोर्चों के मामले में, ज़िले से कमेटी में लिये जाने वाले सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने के लिए, ज़िला कमेटियों को कहने का चलन जारी है।

2.6 संबंधित पार्टी कमेटियों द्वारा फैसले लेने की प्रक्रिया में जनवादी तरीके अपनाए जाने में भी कुछ सुधार हुआ है। कुछ राज्य कमेटियों का कहना है कि कमेटी के सदस्यों के नाम अंतिम रूप से तय करते समय फ्रैक्शन कमेटियों या फ्रैक्शनों द्वारा जन मोर्चों के ग़ैर-पार्टी हिस्से और सदस्यों की राय को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन, कई राज्यों और मोर्चों के मामले में गंभीर कमज़ोरियां बनी हुई हैं।

2.7 ज़्यादातर राज्यों में जन मोर्चे के राज्य कार्यालय, राज्य पार्टी कार्यालय से काम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में किसान सभा, खेतिहर मज़दूर यूनियन, छात्र और युवा मोर्चों के राज्य कार्यालयों का पार्टी कार्यालय से ही काम करना जारी है। ज़िला और निचले स्तरों पर ज़्यादातर जन मोर्चे, पार्टी के ज़िलास्तरीय या निचले स्तर के कार्यालयों से काम कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेड यूनियन मोर्चे के पास अलग कार्यालय हैं। सामान्यत: जन मोर्चे के मुख्य पदाधिकारी ही संबंधित जन मोर्चे के कार्यभार को अंजाम देते हैं। लेकिन किसान और युवा मोर्चे के पदाधिकारियों के मामले में कुछ कमियां हैं। ज़्यादातर राज्यों में जन मोर्चे की समीक्षा रिपोर्टें संबंधित पार्टी कमेटियों के सामने पेश नहीं की जातीं और उन पर विचार नहीं होता है। सिर्फ़ पार्टी सम्मेलनों के समय ही पार्टी की राज्य कमेटियां, जन मोर्चों की रिपोर्ट पर विचार करती हैं। कई राज्यों में जन मोर्चों के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता आवंटित करने में भी कमज़ोरियां हैं।

2.8 सामान्यत: जन मोर्चों के हिसाब-किताब, पार्टी से अलग रखा जाता है। जन मोर्चों के सामने नियमित रूप से हिसाब-किताब प्रस्तुत करने और उन्हें जन मोर्चे

की कमेटी में पारित कराने में, कमियां और कमज़ोरियां हैं।

2.9 कई राज्य कमेटियों ने इसे चिह्नित किया है कि जन मोर्चों की जनवादी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने में पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर कमज़ोरियां हैं। हालांकि यह कहा गया है कि पार्टी की मार्गदर्शन की भूमिका मुख्यत: फ्रैक्शन कमेटियों, फ्रैक्शनों, सब-कमेटियों और राज्य तथा ज़िला स्तर के पार्टी सदस्यों के माध्यम से ही लागू होती है, पर व्यवहार में कई स्थानों पर पार्टी सीधे जनसंगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है। निचले स्तरों पर, संबंधित जन मोर्चा कमेटियों को सीधे ही निर्देश दिये जाते हैं।

2.10 जन संगठनों की स्वतंत्र और जनवादी कार्यप्रणाली को मज़बूत करने के प्रयासों के बावजूद अभी भी काम करने की हमारी शैली यही धारणा निर्मित करती है कि मज़दूरों, किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं आदि के जनसंगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बाजू या पोषक संगठन हैं, न कि स्वतंत्र और जनवादी जन संगठन। पार्टी सदस्य और हमदर्द, जन संगठनों के कमेटी सदस्यों में ज़बरदस्त बहुमत में होते हैं। जन संगठनों में ट्रेड यूनियन मोर्चे और छात्र मोर्चे में, अन्य जनसंगठनों के मुक़ाबले ग़ैर-पार्टी सदस्य और हमदर्द अधिक संख्या में हो सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर और राज्य स्तर पर अधिकांश पदाधिकारी, पार्टी नेता और सदस्य ही हैं। ट्रेड यूनियन और छात्र संगठन में ग़ैर-पार्टी सदस्यों की मौजूदगी तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती है। जनसंगठनों को ग़ैर-पार्टी जनता के बीच फैलाने और उसे लामबंद करने के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए। आम लोगों को अपने अनुभव से यह लगना चाहिए कि ये जनसंगठन, स्वतंत्र जन संगठन हैं और जनवादी तरीक़े से काम करते हैं।

2.11 इस संबंध में जन संगठनों की यूनिट या इकाई स्तर की कार्यप्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेड यूनियनें काम के स्थल या फैक्ट्री के आधार पर कार्य कर रही हैं। छात्र इकाइयां शैक्षणिक संस्थाओं के आधार पर काम कर रही हैं। अन्य जन संगठन, इलाक़ा-आधारित संगठन हैं और कई जगहों पर किसान तथा युवा संगठनों इकाइयां और निचले स्तर की कमेटियां स्वतंत्र तथा जनवादी तरीक़े से काम नहीं कर रही हैं। ब्लाक/तहसील या ज़िला स्तर पर जब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, काम करने के लिए साधारण सभाएं (जनरल बॉडी मीटिंगें) बुलाई जाती हैं। स्थानीय स्तर की इकाइयों और उनकी स्वतंत्र तथा जनवादी कार्यप्रणाली को सक्रिय करने के लिए गंभीर प्रयास किये जाने चाहिए। प्राथमिक इकाई के माध्यम से सदस्यता की भर्ती और नवीनीकरण होने चाहिए। सदस्यता

नवीनीकरण के बाद साल में एक बार इकाई स्तर का सम्मेलन होना चाहिए। ज़िला और राज्य सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन के साथ हो सकते हैं।

2.12 सामान्य जनता के विभिन्न तबकों के मुद्दों को उठाते हुए जनसंगठनों को ग़ैर-पार्टी जनों तक पहुंचने और उन्हें जन संगठनों में लामबंद करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। जन संगठनों के सामने यह महत्वपूर्ण कार्यभार है कि जनसंगठन के स्वतंत्र और जनवादी चरित्र की छवि निर्मित करें ताकि तत्काल समाधान-योग्य मुद्दों को लगातार उठाते हुए, आम लोगों के बीच पहुंचा जा सके, भले ही उनके मन में पार्टी के ख़िलाफ़ पूर्वाग्रह हों।

2.13 हालांकि अलग-अलग जन मोर्चों पर काम करने की पार्टी सदस्यों की ज़िम्मेदारी तय हैं, पर पार्टी सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा अपनी ज़िम्मेदारी निभा नहीं रहा है। इस संबंध में गंभीर कमज़ोरियां मौजूद हैं। अलग-अलग स्तरों पर अन्य जन मोर्चों के साथ एकजुट गतिविधियां आयोजित करने की कोशिश की गई है। जहां ऐसी गतिविधियां आयोजित हुई हैं, वहां अन्य जन मोर्चों के साथ इन एकजुट गतिविधियों ने हमारा प्रभाव बढ़ाने में मदद की है। ऐसे सम्मिलित अभियानों और संघर्षों ने मज़बूत आंदोलन निर्मित करने में मदद की है। लेकिन कुछ राज्यों में, जहां हम निष्क्रिय हैं, कोई प्रगति नहीं हुई है।

जन मोर्चों के अखिल भारतीय केंद्र

2.14 जन मोर्चों के केंद्रों की रिपोर्टें बताती हैं कि जन मोर्चों के पदाधिकारियों, सचिवमंडल और कमेटियों की बैठकें नियमित रूप से होती रही हैं। ट्रेड यूनियन, किसान मोर्चा, खेतिहर मज़दूर मोर्चा और महिला मोर्चा की बैठकों में सदस्यों की औसत उपस्थिति कुल संख्या के 70 फीसद से अधिक रही है। छात्र केंद्र ने रिपोर्ट किया है कि अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद पहले साल के दौरान इन बैठकों में उपस्थिति 70 फीसद के आसपास थी और अगले दो साल में 40 से 50 फीसद के बीच रही। युवा मोर्चा ने भी बताया है कि बैठकों में उपस्थिति कुल कमेटी सदस्यों के 50 से 60 फीसद के बीच रही।

2.15 ट्रेड यूनियन केंद्र में काम करने वाले सात पदाधिकारी हैं, किसान मोर्चा केंद्र में चार, खेतिहर मज़दूर मोर्चा केंद्र में तीन, महिला मोर्चा केंद्र में पांच, छात्र मोर्चा केंद्र में चार और युवा मोर्चा केंद्र में चार। खेतिहर मज़दूर मोर्चा के तीन पदाधिकारियों में से दो के पास राज्य पार्टी की ज़िम्मेदारी है। महिला मोर्चा केंद्र में केवल एक पदाधिकारी पूरावक्ती तौर पर काम कर रही हैं। चार पदाधिकारी

ऐसी हैं जो केंद्र की ज़िम्मेदारी निभा रही हैं जो हर दो महीने पर एक सप्ताह या दस दिन के लिए केंद्र में आती हैं। छात्र और युवा केंद्रों में, केंद्र से काम करने के लिए तय किए गए पदाधिकारियों में से कुछ पदाधिकारी अन्य ज़िम्मेदारियों के कारण उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। युवा और छात्र केंद्रों का काम-काज कमज़ोर है और उसमें बड़े सुधार की ज़रूरत है।

2.16 जन संगठनों के अखिल भारतीय केंद्रों (ट्रेड यूनियन केंद्र को छोड़ कर) की मौजूदा ताकत और कामकाज की स्थिति, संबंधित जन संगठनों के अखिल भारतीय विकास और विस्तार के कार्यभार की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि पदाधिकारियों की एक न्यूनतम संख्या केंद्र से काम करे और अपना पूरा समय जन संगठन के काम को समर्पित करे। इन केंद्रों पर काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी करना ज़रूरी है। यथेष्ट व्यवस्था होनी जरूरी है ताकि संबंधित क्षेत्र के नये घटना-विकासों का अध्ययन किया जा सके और मुस्तैदी से अभियानों तथा आंदोलनों के लिए नारों एवं मांगों को सामने लाया जा सके।

2.17 ट्रेड यूनियन केंद्र द्वारा चार पत्रिकाओं और महिला मोर्चा केंद्र द्वारा दो पत्रिकाओं का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। किसान, खेत मज़दूर, छात्र और युवा मोर्चा केंद्र, अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं। लेकिन ये पत्रिकाएं अनियमित रूप से निकलती हैं। युवा केंद्र ने ज़बरदस्त वित्तीय घाटे के कारण अपना प्रकाशन बंद कर दिया है।

2.18 जन मोर्चा केंद्रों के पास उपलब्ध फंडों के उपयोग के लिए निश्चित नियम-कायदे बनाना भी ज़रूरी।

उप-समितियां और फ्रैक्शन कमेटियां

2.19 ट्रेड यूनियन और महिला मोर्चे की उप-समितियों और फ्रैक्शनों की बैठकें नियमित रूप से होती रही हैं। कृषि उप-समिति ने पिछले तीन साल में बहुत कम बैठकें की थीं और पार्टी कांग्रेस के बाद इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ था तथा कृषि उप-समिति के कामकाज की नियमितता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। युवाओं और छात्रों की फ्रैक्शन कमेटियों के काम-काज को भी बेहतर बनाने की जरूरत है।

2.20 राज्यों से आए उत्तर बताते हैं कि विभिन्न स्तरों पर उप-समितियों और फ्रैक्शन

कमेटियों के कामकाज में कमज़ोरी बनी हुई है। फ्रैक्शन कमेटियों पर इसकी देख-रेख करने का कार्यभार है कि फ्रैक्शन सदस्यों के माध्यम से, जन मोर्चे पर पार्टी की नीतियां और फैसले लागू हों। पर उनसे एकमात्र इसी की उम्मीद नहीं है। उप-समितियों और फ्रैक्शन कमेटियों को पार्टी सदस्यों के राजनीतिक काम की योजना भी तैयार करनी चाहिए जिसमें पार्टी साहित्य की बिक्री, विचारधारात्मक कार्य और पार्टी निर्माण से संबंधित काम, जैसे ऑक्जिलरी सदस्यों व उम्मीदवार सदस्य की भर्ती आदि काम शामिल हैं। ऐसे मुद्दों पर ही केंद्रित हो जाने का रुझान पाया जाता है, जो जन संगठन की कमेटी के कार्य क्षेत्र में आते हैं। पोलिट ब्यूरो ब्यूरो और राज्य कमेटियों को, उप-सिमितियों और फ्रैक्शन कमेटियों के कार्यक्षेत्र तथा कार्यसूची के बारे में, ठोस दिशा-निर्देश देने चाहिए।

2.21 हालांकि यह पहले ही तय हो चुका था कि अखिल भारतीय केंद्रों के काम-काज की समयबद्ध तरीक़े से समीक्षा होगी, पर यह नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। ऐसी समीक्षाएं साल में एक बार उप-समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से होनी चाहिए, उन पर पोलिट ब्यूरो में विचार-विमर्श होना चाहिए और उन्हें केंद्रीय कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिए ताकि जन मोर्चों के काम-काज में बेहतरी लाई जा सके। यह लागू नहीं हो पाया है। अखिल भारतीय केंद्रों की ओर से निकाली जानेवाली पत्रिकाओं और अन्य पर्चों तथा प्रचार सामग्री की अंतर्वस्तु पर भी, उन जन मोर्चों के बुनियादी रुख को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श होना चाहिए। किये गये कामों पर विचार-विमर्श के लिए, जन संगठनों के अखिल भारतीय केंद्रों से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी केंद्र की नियमित बैठकें होनी चाहिए।

2.22 जन अभियानों को विस्तृत और तीव्रतर बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हमसे जुड़े वर्गीय और जन संगठनों के बीच समन्वय कायम किया जाए। इस तरह के समन्वय के ज़रिए ट्रेड यूनियनों व किसान व खेत मज़दूर संगठनों जैसे वर्गीय संगठनों के संयुक्त आह्वान किये जा सकते हैं या फिर सभी वर्गीय और जन संगठनों के संयुक्त आंदोलन का आह्वान किया जा सकता है।

नये संगठन

2.23 हिंदुत्व की चुनौती और आरएसएस के मोर्चों की बढ़ी हुई गतिविधियों के रू-ब-रू यह महत्वपूर्ण है कि नये जन संगठनों और मंचों का विकास करने की ओर ध्यान दिया जाए। उनमें आदिवासियों और दलितों के बीच मंच बनाने की ज़रूरत

भी शामिल है जिन्हें आरएसएस ख़ास तौर से अपना लक्ष्य बना रहा है। 2010 में आदिवासी अधिकार मंच की स्थापना हुई थी और अब 15 राज्यों में इससे संबद्ध आदिवासी संगठन मौजूद हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच की स्थापना एक साल पहले हुई थी और अब यह राज्यस्तरीय मंचों के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। ये मंच इन तबकों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें व्यापक जनवादी आंदोलन के साथ जोड़ने का काम करेंगे ताकि आरएसएस के प्रभाव और संकीर्ण पहचान की राजनीति का प्रतिकार किया जा सके।

2.24 19वीं कांग्रेस के बाद से ही पार्टी सभी राज्यों में बच्चों के संगठन बनाने की ज़रूरत पर बल देती आ रही है। यह अभी भी ज़्यादातर राज्यों में होना बाक़ी है। शहरी क्षेत्रों में काम के लिए बस्ती संगठन और अन्य इलाक़ा / क्षेत्र/ रिहाइशी कालोनी आधारित संगठन होने चाहिए। सामाजिक कल्याण की गतिविधियों और पेंशनभोगियों के मुद्दे उठाने के लिए संगठन निर्माण की पहल होनी चाहिए।

2.25 जन संगठनों की स्वतंत्र और जनवादी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए, अपने रवैये और अपने कामकाज की शैली को सुधारना एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है। 2004 में पारित ''जन संगठनों के प्रति रवैये के बारे में'' दस्तावेज़ यह कहता है कि अगर हमें कमज़ोर राज्यों में एक नयी ज़मीन तोड़नी है, तो मुख्य कार्यभारों में से एक है, वर्गीय और जन संगठनों में इस तरह से काम करना जिससे जनता के व्यापकतर हिस्सों को संगठन में और उसकी गतिविधियों में शामिल किए जा सके। ट्रेड यूनियनों, किसान सभाओं, खेत मज़दूर संगठनों के काम अभी भी, इन बुनियादी वर्गों के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित हैं। यही बात कुछ अपवादों के साथ युवा, छात्र और महिला मोर्चों पर भी लागू होती है। पार्टी को 2004 के दस्तावेज़ में चिह्नित कार्यभारों को अमल में लाने का प्रयास जारी रखना चाहिए।

भाग-3

वर्गीय व जन संघर्षों के लिए नए दिशा-निर्देश

3.1 सामाजिक-आर्थिक हालात पर तथा विभिन्न वर्गों पर नवउदारवादी नीतियों का जो प्रभाव पड़ा है, उससे आनेवाले बदलावों का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय कमेटी ने तीन अध्ययन-समूह बनाये थे। इन समूहों ने कृषि से जुड़े वर्गों पर, मज़दूर वर्ग पर और शहरी क्षेत्रों व मध्यम वर्ग पर अपनी रिपोर्टें जमा कराई हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर केंद्रीय कमेटी ने कुछ क्षेत्रों में नयी कार्यनीतियों और नारों के लिए आवश्यक दिशा को लेकर विचार किया और फैसले लिए। इनमें से कुछ दिशा-संकेतों को पार्टी तथा संबंधित जन-मोर्चों के द्वारा ठोस रूप दिए जाने की ज़रूरत है।

कृषि से जुड़े वर्ग

3.2 ग्रामीण भारत में पूंजीवादी विकास के विस्तार और तीव्रता के साथ-साथ, पुरातन संस्थाओं और सामाजिक बनावट की मौजूदगी, यही चीज़ है जो कृषि संबंधों की वर्तमान रूप की पहचान कराती है। इसकी दूसरी विशेषता है, विश्वीकरण के दौर में गांवों में, पूंजीवादी विकास की असमानता का और अधिक तीखा होना। ज़मीन की मिल्कियत, अन्य कृषि संसाधनों और कृषि तथा गै़र-कृषि आय - इनका केंद्रीकरण तेज़ हुआ है। गांवों में ग्रामीण धनिकों का वर्ग वर्चस्वशाली है जो भूस्वामी-बड़े पूंजीवादी किसानों-ठेकेदारों और बड़े व्यापारियों का गठजोड़ है।

3.3 इस तरह वर्ग संघर्ष और कृषि आंदोलन का विकास, भूस्वामी-ग्रामीण धनिक के गठजोड़ के ख़िलाफ़ लड़ाई पर ही आधारित हो सकता है। भूस्वामियों और बड़े पूंजीपति किसानों की सत्ता का आधार, ज़मीन पर उनका नियंत्रण है। लेकिन, यह उनके द्वारा नियंत्रित एकमात्र संसाधन नहीं है। वे व्यापारिक गतिविधियों, मसलन कर्ज़ देना, अनाज-प्रसंस्करण के मिल लगाना, डेयरी का काम, खाद्यान्नों व खेती में लगने वाली सामग्री का व्यापार तथा वायदा कारोबार, विनिर्माण, अचल संपत्ति, निर्माण, सिनेमा थियेटर, पेट्रोल पंपों, परिवहन, कृषि यंत्रों को भाड़े पर लगाने और शैक्षणिक संस्थान चलाने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।

3.4 एक महत्वपूर्ण विशेषता है किसानों का बढ़ता हुआ सर्वहाराकरण, जिसके चलते

ग़रीब और मध्यम किसानों का एक बड़ा हिस्सा खेतों और ग़ैर-कृषि कार्यों में उजरती मज़दूर के रूप में लगा हुआ है। कृषि और ग़ैर-कृषि क्षेत्र में उजरती मज़दूर, ग्रामीण शारीरिक श्रमिकों का एक विराट वर्ग बनाते हैं। ग्रामीण अमीरों के गठजोड़ से लड़ना, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा मुख्य कार्यभार है। इसके लिए खेतिहर मज़दूर, ग़रीब किसान, मध्यम किसान, ग़ैर-कृषि क्षेत्र में लगे मजदूरों, कारीगरों और ग्रामीण ग़रीब तबके के अन्य हिस्सों की व्यापक एकता ज़रूरी है।

नये संदर्भ में ज़मीन का मुद्दा

3.5 भूस्वामित्व का ख़ात्मा और भूस्वामियों की पूरी ज़मीन का खेतिहर मज़दूरों, ग़रीब किसानों और भूमिहीनों के बीच बंटवारा - यह नारा हमारा रणनीतिक लक्ष्य है। यह लक्ष्य जनता की जनवादी क्रांति के संपन्न होने पर ही पूरा हो सकता है। अभी तक भूमि संघर्ष का रूप हदबंदी से अधिक ज़मीनों का जहां संभव हो अधिग्रहण करने तथा बंजर भूमि, सरकारी ज़मीन और अनुपजाऊ वन भूमियों पर क़ब्ज़ा करने का रहा है। अलबत्ता, मौजूदा समय में, ज़मीन के मुद्दे ने नयी शक्लें अख़्तियार कर ली हैं।

3.6 लेकिन नवउदारवादी नीतियों के आगमन के साथ बूर्जुआ पार्टियों की राज्य सरकारों ने भूमि सुधार क़ानूनों को या तो उलट दिया है या कमजोर किया है। ज़मीनें हड़पे जाने और भूमि अधिग्रहण करने में कार्पोरेटों के लिए शासन की मदद ने खतरनाक रूप से बड़ा रूप ले लिया है। कार्पोरेटों और अचल संपत्ति के कारोबार की की बड़ी मछलियों से किसानों की ज़मीन को बचाना, भूमि संघर्ष का एक बड़ा सवाल बन गया है। ज़मीनों और ख़ास तौर से आदिवासियों की ज़मीन के अधिग्रहण के ख़िलाफ़ लड़ाई, अब उभर कर सामने आयी है। ग्रामीण ग़रीबों के लिए घर बनाने की ज़मीन का संघर्ष ज़मीन के मुद्दे का एक अन्य पहलू है।

3.7 इस प्रकार जमीन ग़रीब तबकों - खेतिहर मज़दूरों, शारीरिक मजदूरी करने वालों और ग़रीब किसानों - को लामबंद करने का एक केंद्रीय मुद्दा है। लेकिन चूंकि यह एक तथ्य है, जैसा कि अध्ययन समूह ने दर्ज किया है, कि ज़मीन भूस्वामी-पूंजीपति काश्तकार वर्ग की आय और आर्थिक गतिविधियों का एकमात्र या कई बार तो मुख्य स्रोत भी नहीं होता है, तो खेत मज़दूर, ग़रीब किसान व ग्रामीण गरीब और उनका शोषण करनेवाले प्रभुत्वशाली वर्ग के बीच का अंतर्विरोध उनकी कृषिगत तथा गैरकृषिगत पूंजीवादी गतिविधियों के माध्यम से भी व्यक्त

होता है। इसलिए, एक शक्तिशाली और संयुक्त आंदोलन के निर्माण के लिए, इन शोषित वर्गों के सभी मुद्दों को उठाना ज़रूरी है।

3.8 जहां लाभकारी दाम तथा ऋण राहत जैसे तमाम किसानों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन चलाने होंगे, वहीं हमें आंदोलन की उन्मुखता बदलनी होगी ताकि वह स्पष्ट रूप से खेत मज़दूरों, ग़रीब किसानों, मध्यम किसानों और जनता के अन्य मेहनतकश तबकों के हितों के गिर्द ही केंद्रित रहे। हमारी मांगों को भूस्वामियों, पूंजीवादी किसानों और उनके सहयोगियों की मांगों से खुद को अलगाना चाहिए। खेत मज़दूर मोर्चा और किसान मोर्चा को, इस समझ को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। जब हम ऋण माफी, ऋण सुविधाओं, खेती की लागत सामग्री के लिए सब्सीडी आदि की मांग करते हैं तो हमारी मांगों को इस तरह से सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए कि उनका लाभ मुख्यत: ग़रीब तथा मंझले किसानों, खेतिहर मज़दूरों और शारीरिक मजदूरी करने वालों को जाए। हमें सिर्फ़ भूस्वामियों और पूंजीवादी किसानों की मांगों से भिन्न मांगें ही नहीं उठानी चाहिए बल्कि ऐसी मांगें भी उठानी चाहिए, जो उनके ख़िलाफ़ जाती हों।

3.9 कई राज्यों में बंटाईदारी का चलन बढ़ता जा रहा है। बंटाई के अनुबंधों में काफी विविधता और जटिलता है और अधिकांश अनुबंध अपनी प्रकृति में अत्यंत शोषणकारी हैं। सामान्यत: ग़रीब किसान परिवार और दलित भूमिहीन, बहुत ऊंचे भाड़े पर ज़मीन लेते हैं। आंध्र प्रदेश को छोड़ कर हम किसी और राज्य में इस मामले में कोई उल्लेखनीय हस्तक्षेप नहीं कर पाये हैं। किसान मोर्चा और खेतिहर मज़दूर मोर्चा को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और बंटाईदारों के हितों को आगे बढ़ाना चाहिए। बंटाईदारी व्यवस्था की विविधतापूर्ण प्रकृति को देखते हुए, दिए जाने वाले नारे उस क्षेत्र की ठोस परिस्थिति और आंदोलन की ताक़त पर निर्भर होंगे।

3.10 भूस्वामी, बड़े पूंजीवादी किसान और उनके सहयोगी, कई तरीक़ों से शोषण करते हैं। कम मज़दूरी देना, ऊंचा भाड़ा वसूल करना, सूद, भूमि व जल का दाम, ट्रैक्टर व हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि उपकरणों का किराया, कृषि उत्पादों का भंडारण, व्यापार और इसी तरह के अन्य माध्यमों से वे शोषण करते हैं। लोगों पर उनका ख़ासा प्रभाव रहता है और वे ग्रामीण इलाक़ों की सारी सरकारी योजनाओं को, जिनमें ग़रीबों के लिए लागू की जाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं हथिया लेते हैं और अक्सर अक्सर उस तरह की योजनाओं की राशियों को अपनी ओर ही मोड़

लेते हैं। भूस्वामियों और ग्रामीण धनिक गठजोड़ के ख़िलाफ़ व्यवस्थित संघर्ष के ज़रिये इन सभी मुद्दों को उठाया जाना चाहिए।

3.11 ग्रामीण इलाक़ों में सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव के ख़िलाफ़ संघर्ष, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र के संगठनों को सामाजिक वंचना के सभी रूपों मसलन शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा रिहाइश की सुविधाओं के अभाव और उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लोगों को कार्यस्थल पर तथा श्रम-विभाजन में खास जगहों तक और सीमित किए जाने के ख़िलाफ़ संघर्ष में सबसे आगे रहना चाहिए। हमें प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति का ठोस तरीक़े से अध्ययन करना है, सामाजिक भेदभाव तथा उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए ठोस कार्यनीति तैयार करनी है और उन्हें ग्रामीण इलाक़ों में वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ना है।

3.12 ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन समय के साथ लगातार बढ़ रहा है। प्रवासी मज़दूर देश के विभिन्न हिस्सों में जो समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का और अपने गृह-गांव में प्रवासी परिवारों की दशा का हमें ठोस अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनके काम और जीविका से संबंधित मांगों तथा मुद्दों को सूत्रबद्ध किया जा सके। प्रवासी मज़दूरों के मुद्दे की जटिलता को देखते हुए, पार्टी को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए और वर्गीय तथा जन संगठनों को दिशा दिखानी चाहिए।

3.13 सहकारिताएं, पैमाने का लाभ दिलाने में मदद करने के जरिए, छोटे और मझोले किसानों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन, मार्केटिंग तथा ऋणों के लिए गांवों में स्वयं-सहायता समूहों और सहकारिताओं को संगठित किया जाना चाहिए। केरल में एक बड़ा नेटवर्क है जो ऋण सुविधाओं और मार्केटिंग के रूप में किसानों को मदद पहुंचा रहा है। बड़ी संख्या में सरकारी योजनाएं तथा कानून हैं, जो हमें इसके लिए हस्तक्षेप करने की सहूलियत मुहैया कराते हैं इन योजनाओं का लाभ, किसान जनता तथा ग्रामीण मज़दूरों को मिलना सुनिश्चित किया जाए। ऐसी कुछ योजनाएं हैं—मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी (आइसीडीएस), दोपहर का भोजन योजना, वनाधिकार क़ानून, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इत्यादि। अगर हम असरदार तरीक़े से हस्तक्षेप करें तो हम ग्रामीण जनता के बड़े हिस्सों को साथ लाने में कामयाब होंगे और यह भी सुनिश्चित कर पायेंगे कि इनका लाभ ग़रीब तबकों तक पहुंचे और उन्हें ग्रामीण अमीरों की दिशा में न मोड़ दिया जाए।

3.14 नव-उदारवादी नीतियां, सिंचाई पर, प्राकृतिक आपदाओं की रोक-थाम पर तथा पर्यावरणीय सरोकारों को संबोधित करने पर, बहुत कम ध्यान देती हैं। ग़रीब और मझोले किसान तथा खेतिहर मज़दूर बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कुपरिणाम अनुपात से ज्यादा झेलते हैं। किसानों को नुकसान का मुआवज़ा नहीं मिलता है। जलवायु परिवर्तन और खेती में पर्यावरणीय गिरावट की मार ग़रीब पर पड़ती है और यह एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसे लेकर हम ग्रामीण जनता को शिक्षित करें तथा इस मुद्दे पर उपयुक्त नारे गढ़े जाने चाहिए।

3.15 अंततः हमारे सामने खेत मज़दूरों और ग्रामीण शारीरिक मजदूरी करने वालों—जो खेती के काम में लगे हुए नहीं हैं—की विराट आबादी को संगठित करने का कार्यभार है।

3.16 जैसा कि अध्ययन समूह ने चिह्नित किया है, ऐसे ग्रामीण मजदूरों की एक बड़ी संख्या है जो खेती के काम में लगे हुए नहीं हैं। यह भी एक तथ्य है कि खेत मज़दूरों की भी एक अच्छी-ख़ासी संख्या को अपने जीविकोपार्जन और जीवन-निर्वाह के लिए, दूसरी तरह के शारीरिक मजदूरी के काम भी करने पड़ते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि बड़ी संख्या में खेत मज़दूर अभी भी असंगठित हैं और खेत मज़दूरों का संगठन सिर्फ 15 राज्यों में है, यह ज़रूरी है कि खेत मज़दूर संगठनों का निर्माण और विस्तार किया जाए।

3.17 जहां तक अन्य ग्रामीण मजदूरों का सवाल है, वे ग्रामीण सर्वहारा का एक बढ़ता हुआ तबका हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से भी संगठित करने की ज़रूरत है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां उन्हें ट्रेड यूनियनों में संगठित किया जा सकता है, मसलन निर्माण, ईंट भट्ठा और परिवहन। प्रवासी मज़दूरों को भी ग्रामीण मज़दूर यूनियन के दायरे में लाया जा सकता है। केरल और आंध्र प्रदेश (अविभाजित) में कारीगरों और पारंपरिक कामों में लगे लोगों को संगठित करने का हमारा तजुर्बा है। विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण मजदूरों को संगठित करना होगा। और एक ग्रामीण मज़दूर फैडरेशन के ज़रिये उनके बीच समन्वय क़ायम किया जाना चाहिए। अलग-अलग राज्यों की स्थितियां अलग-अलग हैं और ग्रामीण मज़दूर यूनियन का गठन, यह किस रूप में बने तथा इन यूनियनों की कोई फैडरेशन गठित की जाए या नहीं, इनका फैसला राज्य स्तर पर होना चाहिए। खेत मज़दूर यूनियन, ग्रामीण मज़दूर यूनियन और किसान संगठनों के बीच समन्वय होना चाहिए ताकि भूस्वामी-ग्रामीण धनिक गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष खड़ा किया जा सके।

मज़दूर वर्ग

3.18 नव-उदारवाद के तहत मज़दूर वर्ग की बनावट में बदलाव आये हैं। जहां मज़दूर वर्ग के आकार में एक बढ़ोतरी हुई है, वहीं यह बढ़ोतरी मुख्यत: असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों और संगठित क्षेत्र में ठेके व दिहाड़ी पर रखे जाने वाले मज़दूरों की है। असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की विशाल संख्या में कई ऐसे हिस्से हैं, जिनमें दिहाड़ी मज़दूर, प्रवासी मज़दूर, घर से काम करने वाले मज़दूर और परियोजनाकर्मी (स्कीम वर्कर्स) शामिल हैं, जिन्हें ''मज़दूर'' की तरह देखा ही नहीं जाता है। असंगठित क्षेत्र के कुछ हिस्से, जैसे निजी परिवहन, जिसमें माल तथा सवारियों, दोनों की ढुलाई शामिल है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और दसियों लाख मज़दूर इनमें काम करते हैं।

3.19 यह भी महत्वपूर्ण है कि इन असंगठित परियोजनाकर्मियों में एक बड़ा भारी बहुमत महिलाओं का है।

3.20 श्रमशक्ति में बड़ा हिस्सा युवा मज़दूरों का है और इसमें आधुनिक हाईटैक उद्योग भी शामिल हैं। युवा मज़दूर निजी संगठित क्षेत्र में शोषण के बदतरीन रूपों के शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें ठेका मज़दूर, एपरेंटिस, प्रशिक्षु आदि रूपों में नौकरी पर रखा जाता है और थोड़ी सी संख्या को ही स्थायी मजदूर के तौर पर लगाया जाता है। युवाओं की बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जहां वे बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के, बहुत कम तनख्वाह पर काम करने पर मजबूर हैं। रणनीतिक महत्व के तथा अति-महत्वपूर्ण उद्योगों में, जिनमें निजी संगठित क्षेत्र तथा नयी विनिर्माण इकाइयां भी शामिल हैं, मज़दूरों को संगठित करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

3.21 मज़दूर वर्ग की बहुरूपता भारतीय पूंजीवाद की कोई अस्थायी विशेषता नहीं है बल्कि उसकी अंगीभूत विशेषता है। मजदूर वर्ग के एक मज़बूत आंदोलन के विकास के लिए, कुंजीभूत महत्व के उद्योगों तथा विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत औद्योगिक मज़दूरों के महत्व को रेखांकित करना होगा। यहां भी ठेके तथा दिहाड़ी पर रखे गये मज़दूरों के मुद्दों, न्यूनतम मज़दूरी के लागू किए जाने या समान क़िस्म के काम के लिए समान मज़दूरी तथा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा लाभों आदि की मांग को उठाने के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी औद्योगिक इकाइयों में चल रही यूनियनों की उन्मुखता में बदलाव

लाने की ज़रूरत है।

3.22 नये निजी उद्योगों में तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में, जहां नियमित मज़दूर आम तौर पर यूनियनों में संगठित नहीं हैं, यूनियन-निर्माण का सुनियोजित प्रयास होना चाहिए और वहां मौजूद स्थिति पर निर्भर करेगा कि कौन से मुख्य मुद्दे उठाये जाएं। जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकार, संवैधानिक लाभों को सुनिश्चित करना और सेवा शर्तों में सुधार, आम मुद्दे हो सकते हैं। ठेका/दिहाड़ी मज़दूरों की मांग वही हो सकती हैं जैसी पुरानी औद्योगिक इकाइयों में थी। इन इकाइयों में ट्रेड यूनियनों का विकास करने के लिए सक्षम और शैक्षणिक रूप से योग्य कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है।

3.23 औद्योगिक क्लस्टर्स में ठेका/दिहाड़ी मज़दूरों के लिए आम यूनियनें हो सकती हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पर लोगों को साथ लाने के लिए समान मुद्दों को उठाने के काम को प्रेरित कर सकती हैं। इसी तरह की आम यूनियनें, औद्योगिक क्लस्टर्स की छोटी इकाइयों के नियमित मज़दूरों के लिए भी बनाई जा सकती हैं।

3.24 संगठित और असंगठित, दोनों तरह के विभिन्न क्षेत्रों में महिला कामगारों को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न समेत महिला कामगारों की दूसरी खास समस्याओं को उठाना, संगठित आंदोलन में उन्हें लाने के लिए ज़रूरी है। महिलाओं को सांगठनिक ज़िम्मेदारियों के लिए बढ़ावा न देने का जो पक्षपाती रुझान दिखता है, उसे दूर किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन मोर्चा की जुझारू महिला कार्यकर्ताओं, खासतौर पर आंगनवाड़ी कामगारों को पार्टी में भर्ती करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3.25 दलित और आदिवासी मज़दूरों के मुद्दे उठाने पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक मुद्दों और वर्गीय शोषण के मुद्दों के अलावा, सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव से जुड़ी उनकी ख़ास समस्याएं भी हैं। इस संबंध में मज़दूरों और कर्मचारियों के बीच सक्रिय अजा/अजजा संगठनों के प्रति हमारे रवैये को, अन्य जाति संगठनों और समूहों के प्रति रवैये से भिन्न होना चाहिए।

3.26 जहां तक युवा मज़दूरों का संबंध है, ट्रेड यूनियनों के काम-काज के पुराने तरीके उन्हें आकर्षित नहीं करते हैं। यह ज़रूरी है कि ट्रेड यूनियन के काडर अपने आपको उपयुक्त कार्य-पद्धतियों तथा भाषा-प्रयोग को अपनाने की दिशा में उन्मुख करें और यूनियन के मज़दूरों के बीच काम करने के लिए अपने को, बौद्धिक और

राजनीतिक रूप से तैयार करें। ऐसा करने में नाकाम रहने की स्थिति में यूनियन के मज़दूर, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी विचारधाराओं के प्रभाव में आने लगते हैं।

3.27 मज़दूरों के बीच सांप्रदायिक विचारधारा व्यापक रूप से फैली हुई है। जातिगत पहचान और प्रभाव भी गहरे पैठे हुए हैं। जहां सांप्रदायिक और जातिवादी प्रभावों का मुक़ाबला करने का कार्यभार सीधे पार्टी को उठाना होगा, वहीं ट्रेड यूनियनों को सांप्रदायिकता से जुड़े मुद्दों को उठाना होगा और मज़दूर वर्ग को बांटने के प्रयासों का प्रतिकार करना होगा। पार्टी को मज़दूर वर्ग के बीच सीधे अपना राजनीतिक काम करना पड़ेगा। पार्टी को मज़दूर वर्गीय इलाक़ों और बस्तियों में पूंजीवादी तथा सांप्रदायिक विचारधारा के ख़िलाफ, राजनीतिक व विचारधारात्मक काम संचालित करना चाहिए। इस तरह का काम, ट्रेड यूनियनों और अन्य जन संगठनों के साथ समन्वय कायम करते हुए किया जाना चाहिए।

3.28 अंततः, 21वीं पार्टी कांग्रेस ने इस अहम सवाल को उठाया था कि रिहायशी इलाक़ों में मज़दूरों को कैसे संगठित किया जाए। पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक-सांगठनिक रिपोर्ट में कहा गया है:

''मज़दूर वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आए बदलाव के संबंध में जो रिपोर्ट है, वह मज़दूर वर्ग की बदली हुई बनावट को सामने लाती है। श्रमशक्ति का 94 प्रतिशत, असंगठित क्षेत्र में विभिन्न हिस्सों में लगे मज़दूरों से बना है। इसमें कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक भी शामिल हैं। कार्य-स्थल पर यूनियन में संगठित करने के पारंपरिक तरीक़े से इन मज़दूरों को संगठित करने में दिक्कतें हैं।

'' सभी तरह के मज़दूरों का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें संगठित क्षेत्र में काम करनेवाले ठेका मज़दूर, अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूर, अपने घर से काम करनवाले मज़दूर, सेवा क्षेत्र के मज़दूर, स्व-रोज़गार में लगे मज़दूर आदि शामिल हैं, शहरों में कच्ची बस्तियों (स्लम) में तथा शहर में निर्धन बस्तियों में या सीमावर्ती के उप-नगरों में रहता है। इन्हें संगठित करने का एक तरीक़ा यह है कि वे जिस इलाक़े में रहते हैं, वहां उनके काम के आधार पर उन्हें आपस में जोड़ा जाए। चूंकि बहुतेरे मज़दूरों के कार्यस्थल बिखरे हुए हैं और वे खुद भी एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लिहाज़ा उनके रिहायशी इलाक़ों में उन तक पहुंच बनाई जा सकती है। यही नहीं, कइयों के लिए तो उनका कार्यस्थल उनका घर ही है, मसलन घर

से काम करनेवाले मज़दूर या आउटसोर्स किये हुए मज़दूर या फिर उनका कार्यस्थल उनका पड़ोस है।

''इसलिए ट्रेड यूनियनों को इलाक़ा-आधारित संगठन बनाने चाहिए। ये पास-पड़ोस/ बस्ती/ मोहल्ला कमेटी के रूप में हो सकते हैं। इस तरह की कमेटियों और नेटवर्कों में युवा, महिला और अन्य इलाक़ा-आधारित संगठन भी शामिल होने चाहिए। ये समुदाय-आधारित कमेटियां भांति-भांति की गतिविधियां कर सकती हैं, जिनमें से कुछ का चरित्र ट्रेड यूनियनवाला होगा। लेकिन उनकी अन्य गतिविधियों में कल्याण कार्य, वाचनालय, सांस्कृतिक क्लब, स्वास्थ्य केंद्र, उपभोक्ता फोरम और कोऑपरेटिव सोसायटियों जैसी चीज़ें हो सकती हैं।

''पार्टी, ट्रेड यूनियनों और अन्य जन संगठनों को, इस तरह के समुदाय-आधारित संगठनों की ओर उन्मुख करने से हमें न सिर्फ़ असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों तक बल्कि आमतौर पर शहरी गरीबों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी।''

मध्यम वर्ग और शहरी क्षेत्रों में काम

3.29 पूंजीवादी विकास के तहत शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। 31.2 फसद लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। पांच राज्यों में 40 फीसद से अधिक आबादी शहरी है। शहरी भूदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। उद्योग, शहरी केंद्रों से बाहर निकल गये हैं और मज़दूर वहां से उखड़ कर, शहरों के बाहरी हिस्सों में बस गये हैं। शहरी क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को देखते हुए पार्टी और जन संगठनों को अपनी उन्मुखता बदलनी होगी और शहरी क्षेत्र के काम के लिए उपयुक्त संगठनिक रूपों को अपनाते हुए, एक कार्य-योजना विकसित करनी होगी। अगर हम बड़े शहरी केंद्रों में पार्टी और वाम के हाशियाकरण को दूर करना चाहते हैं, ऐसा करना ज़रूरी है।

3.30 नव-उदारवादी सुधारों ने गरीबों और निम्नमध्यम वर्ग के काम की दशाओं को और बदहाल किया है। ग़रीब बस्तियों में बुनियादी ढ़ांचे की दशा और ख़राब हुई है और आधारभूत सेवाओं के निजीकरण तथा उपयोग शुल्क लगाए जाने से, जीना और मंहगा हुआ है। आर्थिक सुधारों का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ है कि सरकार से स्थानीय निकायों को मिलने वाले ग्रांट और कर्ज़ कम हो गये हैं। इस तरह सत्ता के विकेंद्रीकरण की लफ्फाज़ी के बावजूद, स्थानीय निकायों की ओर सही अर्थों में सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है।

3.31 अधिकांश शहरी गरीब, झुग्गियों और बस्तियों में निवास करते हैं। शहरी गरीबों के बीच काम करने के लिए बस्ती और स्थानीय संगठन बनाने होंगे। जहां पहले से स्थानीय संगठन काम कर रहे हैं, वहां हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि हम उनके भीतर रहकर ही काम कर सकते हैं या नहीं। बस्तियों की जनता जिन मुद्दों पर साथ आती है वे हैं: आवासन, बस्ती ढहाए जाने (डीमोलिशन) का ख़तरा, पीने का पानी, सफाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूल तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, पुलिस उत्पीड़न और अपराधियों तथा माफिया गिरोहों द्वारा दमन।

3.32 हमें दलित तथा मुस्लिम इलाक़ों, बस्तियों और कॉलोनियों में काम पर विशेष ध्यान देना होगा। कई राज्यों में वे अलग-थलग इलाक़ों में रहते हैं और शहरी गरीबों की सबसे कठिन समस्याएं झेलते हैं।

3.33 जैसा कि पहले कहा गया है, पास-पड़ोस/ बस्ती/ मोहल्ला कमेटियों के रूप में समुदाय-आधारित संगठनों का निर्माण, असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को संगठित करने में भी मदद करेगा। बस्तियों और इलाक़ों में ये संगठन युवा, महिला और अन्य इलाक़ा-आधारित जन संगठनों को, समन्वित तरीके से काम करने के लिए एक साथ ला सकते हैं।

3.34 पूंजीवादी विकास के नवउदारवादी दौर से मध्यम वर्ग में एक बड़ा रूपांतरण आया है। उच्च-मध्यम वर्ग का एक ऐसा हिस्सा विकसित हुआ है जो उच्च शिक्षा पाए हुए है, ऊंची आमदनी वाली नौकरी में है और ज़बरदस्त उपभोक्ता है। यह बाज़ार को मंहगे इलैक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और गाड़ियां आदि बेचने का अवसर देता है। वे अभिजात शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के मुख्य ग्राहक हैं। उच्च मध्यम वर्ग, कुछ अपवादों को छोड़ कर, नवउदारवादी मूल्यों के पक्ष में है और उसका आचरण और समृद्ध होने की आकांक्षा से संचालित है।

3.35 शेष मध्यम वर्ग भी ऊपरी तबके जैसा जीवन जीना चाहता है। लेकिन उनके जीवन की वास्तविकताएं इन आकांक्षाओं को पूरा करने के रास्ते में बाधा खड़ी करती हैं। उन्हें एक फ़्लैट या मकान हासिल करने, अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने, चिकित्सा का खर्च उठाने, बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आदि के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनका रुख और व्यवहार, उनकी आकांक्षाओं और चिंताओं से संचालित है।

3.36 मध्यम वर्ग को उन भांति-भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो मज़दूर वर्ग झेल रहा है। उदारीकरण की नीतियों ने उसे कई तरह से प्रभावित किया है। यह स्थिति उसे अनेक अवसरों पर मज़दूर वर्ग के साथ संघर्ष और आंदोलनों में धकेलती है। उसमें जनवादी आकांक्षाएं भी हैं जिनके कारण यह सभी नागरिकों के लिए इंसाफ़ और न्यायपूर्ण व्यवहार चाहता है। वह चाहता है कि धन-बल, भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण को दूर कर राजनीति को साफ-सुथरा बनाया जाए। लेकिन इसके साथ ही, सामाजिक सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने की आकांक्षा भी है और बाज़ार अर्थव्यवस्था के बारे में भ्रमों का बोलबाला भी है। ये अंतर्विरोधी रुझान हैं जो मध्यम वर्ग के भीतर दिखाई देते हैं और यह कई बार उनकी ढुलमुल भूमिका में नज़र आता है।

3.37 नवउदारवादी निज़ाम के तहत मध्यम वर्गों में आए बदलावों के चलते वाम की अपील और मध्यम वर्ग के साथ उसके संबंध कमज़ोर हुए हैं। हमें मध्यम वर्गों के निचले तथा मध्यम तबकों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें उन तक पहुंचने के लिए, अपने राजनीतिक संदेश को उन तक ले जाने की नयी पद्धतियों और संगठन के नये रूपों को अपनाना होगा। मध्यम वर्गों के इन तबकों के मुद्दों और समस्याओं को, ठोस तरीक़े से उठाने और संबोधित करने की ज़रूरत है।

3.38 हमें भ्रष्टाचार, सुशासन, प्रदूषण, पर्यावरण आदि के मुद्दे उठाने होंगे, जो मध्यम वर्गों के मुख्य सरोकार हैं और इन मुद्दों को उठाने के लिए, गैर-पार्टी मंच गठित करने होंगे, ताकि मध्यम वर्गों के हिस्सों, विशेषत: युवाओं को आकर्षित किया जा सके। हमें बार, मैडीकल, अकाद्मिक शोध, आदि पेशेवर निकायों में, अपनी गतिविधियों के ज़रिये काम करना होगा। आइटी क्षेत्र में, जहां ट्रेड यूनियनें बनाना मुश्किल है, हमें फ्री सॉफ़्टवेयर मूवमेंट के ज़रिये और उपयुक्त मंचों से उनके सरोकार के मुद्दों को उठाते हुए, युवा पेशेवरों को लक्ष्य करना चाहिए।

3.39 उच्च शिक्षा के लिए अध्ययनरत लड़कियां और नौकरीशुदा युवा महिलाएं, शहरी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें भेदभाव, असमान बरताव और यौन उत्पीड़न झेलना पड़ता है। जहां भी हमारी एसोसिएशनें और यूनियनें काम कर रही हैं, हमें इन महिलाओं द्वारा झेले जा रहे मुद्दों को उठाने के लिए सब-कमेटियां बनानी चाहिए। जहां ज़रूरी हो, वहां उनके बीच काम करने के लिए विशेष मंच (फोरम) स्थापित किये जाने चाहिए।

3.40 मध्यम वर्ग के बीच काम का मुख्य क्षेत्र विचारधारात्मक दायरे में आता है। इसके लिए सिटीज़न फोरम, सांस्कृतिक मंच आदि खड़े किए जाने चाहिए, जहां ऐसे विचार–विमर्श और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकें, जो मध्यम वर्गों के जीवन और हितों से संबंधित हों।

3.41 मध्यम वर्गीय इलाक़ों में, अधिकाधिक परिवार बहुमंज़िला इमारतों और अपार्टमेंट्स में रहते हैं। वहां रेजिडेंट एसोसिएशनें हैं और हमें अपने सदस्यों तथा हमदर्दों के माध्यम से, इन एसोसिएशनों के काम में सक्रिय रूप से भागीदारी करनी होगी।

3.42 शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त और पेंशनयाफ़्ता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वे वित्तीय, स्वास्थ्य संबंधी और वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। हमें पेंशनर एसोसिएशनों, स्वास्थ्य सुविधा के प्रावधानों, वृद्धाश्रमों और वृद्धों के लिए बने मनोरंजन केंद्रों आदि में सक्रिय होना चाहिए।

भाग-4

राज्यों में संगठन के लिए निर्देश

केरल

सी पी आइ (एम) केरल की अकेली सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि यह बहुमतप्राप्त पार्टी नहीं है। इस राज्य में पार्टी तथा जनसंगठन सक्रिय हैं और आंदोलन व संघर्ष आयोजित कर सभी राजनीतिक घटनाओं में तथा आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। बुनियादी वर्गों—मजदूरों, खेत मजदूरों तथा गरीब किसानों—के बीच पार्टी मजबूत है। सामाजिक समूहों में, दलित तबकों के बीच पार्टी को अच्छा प्रभाव हासिल है। आदिवासी तबके के बीच प्रभाव बढ़ रहा है। मध्यम तथा धनी किसानों के बीच, जो केरल में दक्षिणपंथी ताकतों का आधार हैं, हमारी पार्टी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। मध्य वर्ग तथा मध्यवर्गीय कर्मचारियों के बीच पार्टी का उल्लेखनीय प्रभाव है। परंपरागत उद्योगों के संकट तथा रोजगार-हानि ने, हमारी पार्टी की गोलबंदी तथा विस्तार की सामर्थ्य के लिए नयी समस्याएं खड़ी की हैं। हालांकि, हमारी पार्टी अल्पसंख्यकों —मुसलमानों (जो आबादी का 26 फीसद हैं) तथा ईसाइयों (जो आबादी का 22 फीसद हैं—के बीच अपने प्रभाव का विस्तार करने के सतत प्रयास करती रही है, ईसाई चर्च की जकड़बंदी और आइ यू एम एल तथा केरल कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव के चलते, इन तबकों के बीच हमारा प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर है। केरल में सांप्रदायिक तथा जातिवादी ताकतें बहुत ही सक्रिय हैं और ये ताकतें, पूंजीवादी विकास के चलते केरली समाज में उभरकर आए नव-धनिकों के एक हिस्से का इस्तेमाल कर, अपने आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा इस राज्य में अपने आधार का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वह इस काम के लिए जातियों के संगठनों के कुछ नेताओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। हमारी पार्टी, भाजपा तथा आरएसएस की अपने आधार का विस्तार करने की कोशिशों का प्रतिरोध करने का प्रयास करती आयी है। पार्टी को अपने आधार का विस्तार करने की अपनी कोशिशों को जोर-शोर से जारी रखना चाहिए। भाजपा-आरएसएस तथा जातिवादी व सांप्रदायिक ताकतों की कोशिशों का कारगर तरीके से मुकाबला किया जाना चाहिए। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच कुछ अतिवादी संगठन सक्रिय हैं।

केरल में दक्षिणपंथी मीडिया बहुत प्रबल है और वह हमारी पार्टी तथा वामपंथ को

बदनाम करने की लगातार कोशिशें करता आया है। इस मामले में पार्टी के पास समृद्ध संसाधन हैं, जैसे दैनिक ***देशाभिमानी,*** जिसकी प्रसार संख्या 3.25 लाख है, ***साप्ताहिक चिंता*** तथा ***देशाभिमानी*** और एक बड़ा प्रकाशनगृह, चिंता पब्लिकेशन्स, जिसने 2014 में 9 करोड़ 3 लाख 27 हजार, 504 रु0 मूल्य की किताबें छापी थीं। एक टेलीविजन कंपनी में भी पार्टी का प्रभाव है, जिसके अब चार चैनल चल रहे हैं। बुद्धिजीवियों, लेखकों तथा कलाकारों की बड़ी संख्या पार्टी के साथ है। इन सभी संसाधनों में कारगर तरीके से तालमेल किया जा सकता है और इनका उपयोग पार्टी तथा वामपंथ के खिलाफ, दक्षिणपंथी ताकतों के राजनीतिक-विचारधारात्मक हमले की काट करने के लिए किया जा सकता है। अंधविश्वासों, पोंगापंथ आदि को पुनर्जीवित करने की कोशिशों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए। पार्टी तथा जनमोर्चों को जनता के बीच वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करने के लिए काम करना चाहिए।

13 शोध संस्थाएं हैं जो पार्टी के नियंत्रण में काम कर रही हैं। अगर इन संस्थाओं का समुचित तरीके से उपयोग किया जाए, इससे पार्टी के राजनीतिक-विचारधारात्मक काम में बुद्धिजीवियों को गोलबंद करने में मदद मिलेगी। विभिन्न कारकों के चलते केरल में आ रहे सामाजिक-आर्थिक बदलावों का अध्ययन करने में शोध संस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। शत्रुओं की ओर से लगातार इसकी कोशिशें की जा रही हैं कि समाज को तथा खासतौर पर युवा पीढ़ी को गैर-राजनीतिक बनाया जाए। उच्च शिक्षा की अंतर्वस्तु तथा ढांचे में आए बदलावों से, इन ताकतों के लिए अनुकूल हालात पैदा हुए हैं। इन ताकतों की कोशिशों की काट करने के लिए पार्टी को बौद्धिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में और शक्तिशाली हस्तक्षेप करने चाहिए।

सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर पार्टी को अपना वैकल्पिक रुख पेश करना चाहिए। राज्य की पार्टी इसके प्रति सचेत है और इस दिशा में कदम उठा रही है। केरल में पार्टी के विस्तार के लिए यह बहुत ही जरूरी है।

केरल में पार्टी ने, आंतरिक गुटबाजी से लड़ने में भारी कामयाबी हासिल की है। पार्टी को, गुटबाजी की प्रवृत्तियों के सभी अवशेषों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। यह भी एक तथ्य है कि पार्टी में लंबे समय से चली आयी गुटबाजाना प्रवृत्तियों का कुछ बुरा असर पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता पर, कॉडर की पदोन्नति की प्रक्रिया पर, पार्टी अनुशासन के कड़ाई से पालन तथा जनवादी केंद्रीयता पर भी पड़ा है। गुटबाजी ने संघीय तथा उदारतावादी प्रवृत्तियों के विकास में भी मदद की है। पार्टी राज्य कमेटी को, गलत प्रवृत्तियों का खात्मा करने के लिए तथा पार्टी में सामूहिक कामकाज तथा एकता को मजबूत करने के लिए, धैर्य के साथ कदम उठाने चाहिए।

पार्टी और जन मोर्चों की सदस्यता में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, पार्टी तथा जनमोर्चों की सदस्यता में बढ़ोतरी, पार्टी के प्रभाव में बढ़ोतरी के रूप में समुचित रूप से अभिव्यक्त नहीं हो रही है। पार्टी ब्रांचों को सक्रिय करने तथा पार्टी सदस्यों का राजनीतिक-विचारधारात्मक स्तर सुधारने के लिए उठाए गए कदमों को जारी रखा जाना चाहिए तथा और मजबूत किया जाना चाहिए।

अनेक जिलों में सदस्यता में ढीली-ढाली भर्ती, उम्मीदवार सदस्यों के ड्राप आउट होने के ऊंचे फीसद में प्रतिबिंबित होती है। ऑक्जिलरी ग्रुपों के काम-काज में कमजोरी है। ऑक्जिलरी ग्रुपों को सक्रिय बनाया जाना चाहिए और उनके सदस्यों को ठोस जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए और उनके प्रदर्शन पर नजर रखी जानी चाहिए। ऑक्जिलरी ग्रुपों के सदस्यों को राजनीतिक-विचारधारात्मक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। पार्टी के पिछले राज्य सम्मेलन से पहले हुए सांगठनिक प्लेनम में पार्टी में गलतियों, खामियों तथा कमजोरियों की सही ही पहचान की गयी थी। इनमें विभिन्न स्तरों पर कुछ कॉडरों की रईसाना जीवनशैली भी शामिल है। गलतियों, खामियों तथा कमजोरियों को दुरुस्त करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। पार्टी में ज्यादा महिलाओं को भर्ती करने के प्रयास के कुछ नतीजे निकले हैं। लेकिन, कमेटियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है। महिला कार्यकर्ताओं को प्रमोशन देकर आगे बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए।

वर्गीय तथा जनसंगठनों के रोजमर्रा के काम में पार्टी के हस्तक्षेप करने के रुझान का बोलबाला बना हुआ है। इसे सुधारा जाना चाहिए ताकि जन संगठनों का स्वतंत्र व जनतांत्रिक तरीके से काम करना सुनिश्चित किया जा सके।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की सांगठनिक स्थिति को 2011 के चुनाव में वाम मोर्चा की हार और उसके बाद से पिछले साढ़े चार साल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस द्वारा, पुलिस की मिलीभगत से, छेड़े गए अभूतपूर्व आतंक के संदर्भ में रखकर देखना होगा। इस दौरान वाम मोर्चा के जो 170 शहीद हुए हैं उनमें, 163 नेता, कॉडर तथा समर्थक, हमारी ने ही खोए हैं। एक लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बहुत भारी राजनीतिक दमन का सामना करना पड़ रहा है। उनका झूठे मामलों में फंसाया जाना, तृणमूल कांग्रेस के राज में रोज-रोज की चीज हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों में पार्टी के 24वें राज्य सम्मेलन ने तय किया था कि संगठन को वर्गीय तथा जनसंघर्ष छेड़ने के लिए उन्मुख किया जाए,

जनसंगठनों के जरिए अवाम के साथ जीवंत रिश्तों के विस्तार के लिए कदम उठाए जाएं, अभियानों व जनांदोलनों के संचालन के लिए उनकी स्वतंत्र भूमिका का विकास किया जाए तथा पार्टी सदस्यता तथा पार्टी इकाइयों को सक्रिय कर पार्टी संगठन को चुस्त-दुरुस्त किया जाए और असाध्य तरीके से निष्क्रिय सदस्यों को हटाने तथा पार्टी सदस्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। यह सब, हमसे विमुख हो गयी जनता के लिए खासतौर पर दिलचस्पी वाले कदम हैं। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि सरकार में रहने की लंबी अवधि में संगठन में जो नकारात्मक रुझान घुस आए थे, उनके खिलाफ संघर्ष का काम जारी रखा जाए।

राज्य सम्मेलन के बाद से जनता के विभिन्न तबकों के सतत संघर्ष तथा आंदोलन विकसित करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। वर्गीय तथा जनसंगठनों ने भी गतिविधियों, अभियानों तथा संघर्षों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न हड़ताली संघर्ष हुए हैं जिनमें चाय बागान मजदूरों की दो दिन की हड़ताल, परिवहन हड़ताल और 2 सितंबर की आम हड़ताल शामिल हैं। किसान संगठन ने पांच दिन के जत्थे निकाले जो सभी जिलों में सभी ब्लाकों तक पहुंचे। राज्य सरकार के सचिवालय (नबान्न) और पुलिस मुख्यालय पर जनप्रदर्शन हुए, जिन पर नृशंसता से लाठियां बरसायी गयीं। विभिन्न संघर्षों के चलते पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ज्यादा सक्रिय हुए हैं और दमन का सामना करने के उनके हौसले बढ़े हैं। यह सब, जनतंत्र पर हमलों का मुकाबला करने तथा तृणमूल सरकार की करतूतों का मुकाबला करने और सांप्रदायिक ताकतों के, जिनका प्रतिनिधित्व भाजपा-आरएसएस जोड़ी करती है, बढ़ते खतरे के प्रतिरोध खड़ा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे उठाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस काम के लिए मंच निर्मित किए गए हैं, जैसे कि आदिवासियों के लिए मंच।

हालांकि, पार्टी संगठन की कमजोरियों की पहचान कर ली गयी है तथा कुछ उपचारात्मक कदम भी उठाए जा चुके हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए जहां पार्टी को लगातार तृणमूल राज के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, यह सब काफी नहीं है। राज्य सम्मेलन में और उसके बाद भी, दो-टूक तरीके से यह कहा गया है कि पार्टी सदस्यों की गुणवत्ता में सुधार करने, निष्क्रिय सदस्यों को सक्रिय करने और पार्टी सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया को कसने के लिए, कोशिशें की जानी चाहिए। राज्य कमेटी ने जोर देकर कहा है कि पार्टी ब्रांचों के काम-काज में सुधार तथा जनसंगठनों के जुझारू कार्यकर्ताओं के बीच से आक्जिलरी ग्रुपों के गठन के साथ, पार्टी सदस्यों को सक्रिय करने की सभी कोशिशें की जानी चाहिए। पुन: यह जरूरी है कि ऐसे तत्वों को निकाल बाहर किया जाए, जो न्यूनतम कम्युनिस्ट मानकों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

पार्टी सदस्यता का गठन दिखाता है कि मजदूर वर्ग के प्रतिनिधित्व में कमी है। यह कमी लंबे अर्से से बनी हुई है और अब इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। मजदूर वर्ग के बीच सदस्यता को बढ़ाने के लिए और ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही साथ खेत मजदूरों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के बीच से सदस्यों की भर्ती पर जोर रहना चाहिए। सदस्यता में (31 वर्ष से कम आयु के) युवाओं का हिस्सा सिर्फ 13.5 फीसद है, जो असंतोषजनक है। और ज्यादा युवाओं को पार्टी में भर्ती करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कुछ कदम उठाए गए हैं जिनके फलस्वरूप राज्य कमेटी से लगाकर लोकल कमेटी के स्तर तक, कमेटियों के सदस्यों की औसत आयु में कमी की जा सकी है।

महिलाओं के बीच पार्टी सदस्यता बढ़ाने के लिए अब तक जो कदम उठाए गए हैं, उनसे खास प्रगति नहीं हुई है। यह फैसला लिया गया है कि हरेक ब्रांच में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए और जहां कोई महिला सदस्य नहीं है, ऑक्जिलरी गुप में जरूर महिला सदस्य होनी चाहिए। इसे अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। इस सिलसिले में दुरुस्ती के कदम उठाए जाने चाहिए। यह तय किया गया है कि लोकल तथा जोनल कमेटियों में एक-एक से ज्यादा महिलाएं होनी चाहिए और जिला कमेटियों में महिलाओं की संख्या में कम से कम एक-एक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। हरेक जिला सेक्रेटेरियट में एक महिला सदस्य होनी चाहिए। इन प्रयासों में कुछ ठोस सफलता मिली है। अभी और किया जाना बाकी है।

राज्य सम्मेलन ने राजनीतिक-विचारधारात्मक काम को मजबूत करने पर जोर दिया है और एक स्थायी पार्टी स्कूल ने काम करना भी शुरू कर दिया है। कुछ जिलों में स्थायी पार्टी स्कूल काम कर रहे हैं और इसका सभी जिलों तक विस्तार किया जाना है। सभी पार्टी सदस्यों तक पहुंचने वाली पार्टी शिक्षा की शुरूआत कर दी गयी है। जनता के बीच सघन विचारधारात्मक अभियान के साथ, मौजूदा हिंदुत्ववादी विचारधारा की काट करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी कार्यकर्ताओं को समाज के सभी क्षेत्रों में इस अभियान को चलाने के लिए तैयार करना होगा।

राज्य कमेटी को सभी कमेटियों की रूढ़िबद्ध कार्य शैली को बदलने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए ताकि संगठन का इस तरह चुस्त-दुरुस्त किया जा सके कि वह मौजूदा प्रतिकूल हालात का सामना करने में समर्थ हो जाए। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक-सांगठनिक कार्य के रूप में जनता से नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से चंदा किए जाने पर जोर रहना चाहिए।

वाम मोर्चा के शासन के लंबे दौर में जनसंगठनों के स्वतंत्र काम-काज में और

विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर संघर्षों के लिए जनता को गोलबंद करने में गिरावट हुई थी। जनसंगठनों का स्वतंत्र काम-काज सुनिश्चित करने और उनकी उन्मुखता बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। पार्टी संगठन में और कामरेडों के एक हिस्से में पनप गयीं अपवर्गीय प्रवृत्तियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके लिए दुरुस्तीकरण का अभियान खासतौर पर जारी रखा जाना चाहिए और तेज किया जाना चाहिए।

राज्य सम्मेलन के निर्णय के अनुसार, खास इसी काम के लिए बुलायी गयी राज्य किसान मोर्चे की कन्वेंशन में, खेत मजदूरों के लिए एक अलग संगठन कमेटी का गठन कर लिया गया है। इसका अगला कदम, कुछ ही महीने में अलग-अलग सम्मेलनों का आयोजन होगा।

पार्टी इस समय स्थायी बूथ (मतदान केंद्र) पार्टी टीमें और वामपंथी जनसंगठनों की बूथ संघर्ष समितियां कायम करने में लगी हुई है ताकि हासिल की जा सकने वाली स्थानीय मांगों पर संघर्ष के साथ-साथ और 15 सूत्री मांगपत्र पर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़े जा सकें और उन्हें जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा जनता की रोजी-रोटी की हिफाजत के तीनों मोर्चों पर संघर्ष के साथ जोड़ा जा सके। वामपंथी नेतृत्ववाले 113 जनसंठनों की एक राज्यस्तरीय कन्वेंशन में जनसंगठनों के बंगाल मंच (बीपीएमओ) का गठन किया गया है। बीपीएमओ ने नवंबर के महीने में राज्य के सभी 77,000 बूथों तक पहुंचने के लिए जत्थे निकाले।

त्रिपुरा

त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहां पार्टी लगातार प्रगति दर्ज करा रही है। पार्टी राज्य इकाई अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने में और जनता के विभिन्न तबकों के बीच संगठन का विकास करने में सफल रही है। लेकिन, अब भी समाज के कुछ ऐसे तबके रहते हैं जिनके बीच पार्टी के राजनीतिक प्रभाव तथा संगठन का प्रसार किए जाने की जरूरत है। पार्टी को इन तबकों तक भी पहुंचना होगा। शहरी मध्यवर्ग के हिस्से इसी श्रेणी में आते हैं।

लंबे अर्से तक हमारी पार्टी का प्रभाव आदिवासियों तक ही सीमित था, जबकि कांग्रेस पार्टी का गैर-आदिवासियों के बीच मजबूत आधार था। बहरहाल, सतत राजनीतिक व सांगठनिक काम के चलते और विभिन्न वर्गीय व जनसंघर्षों के जरिए, हमारी पार्टी इस बड़ी कमजोरी को दूर करने में सफल रही है और अब आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों, दोनों के बीच पार्टी सबसे आगे है। पार्टी, आदिवासी जन और गैर-आदिवासी जन के

बीच की एकता को मजबूत करने में कामयाब रही है, जोकि वाम मोर्चा सरकार के उदय तथा उसके कायम रहने का आधार है। इसीलिए, विभिन्न विभाजनकारी ताकतें इसी एकता को तोड़ना चाहती हैं। इन कोशिशों में ऐसे अतिवादी संगठनों का इस्तेमाल भी शामिल है, जिन्हें विदेशी एजेंसियों द्वारा पाला-पोसा जा रहा है। पार्टी को इसकी काट करने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। ये ताकतें, आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य के अपने विभाजनकारी तथा हवाई नारों के सहारे, फिलहाल आदिवासी छात्रों, युवाओं तथा कर्मचारियों को निशाना बनाने की कोशिश कर ही हैं। इन विघटनकारी चालों की काट करने के लिए और आदिवासी युवाओं, छात्रों तथा शिक्षित तबकों को गोलबंद करने के लिए जबर्दस्त विचारधारात्मक तथा राजनीतिक अभियान चलाने के लिए, पार्टी को सक्रिय रहना होगा।

त्रिपुरा राज्य इकाई को उपलब्धियों को तथा हासिल हुए प्रभाव को सुदृढ़ करना होगा और जो कमजोरियां बनी हुई हैं उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे। पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता पर समझौता किए बिना ही, पार्टी की सदस्य संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जा सकती है। राज्य कमेटी ने तय किया है कि हर साल, हरेक ब्रांच ऑक्जिलरी ग्रुपों में कम से कम तीन नये सदस्य भर्ती करेगी और इन तीन में से एक का महिलाओं के बीच से, एक का छात्र-युवाओं के बीच से और एक का मजदूर वर्ग तथा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से होना सुनिश्चित किया जाएगा। विभिन्न तबकों के युवाओं की भर्ती पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि कुल सदस्यता में युवाओं का हिस्सा असंतोषजनक है।

यह जरूरी है कि सघन आदिवासी इलाकों में तथा आमतौर पर आदिवासियों के बीच, पार्टी संगठन को मजबूत तथा चुस्त-दुरुस्त किया जाए ताकि वामपंथविरोधी आदिवासी संगठनों की संकीर्ण तथा विभाजनकारी चालों की काट की जा सके। ये संगठन ऐसे अतिवादी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो पृथक आदिवासी राज्य का नारा देते हैं।

आम तौर पर पार्टी सदस्यों की राजनीतिक-विचारधारात्मक तथा सांगठनिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पार्टी को नियोजित, व्यवस्थित तथा पद्धतिबद्ध तरीके से पार्टी शिक्षा के नियमित काम पर समुचित जोर देना होगा। स्थायी राज्य पार्टी स्कूल अविलंब स्थापित किया जाना चाहिए। आगे चलकर चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर पर भी स्थायी पार्टी स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं।

होलटाइमरों की समस्याओं की समीक्षा की जानी चाहिए। होलटाइमरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और नये भर्ती होने वाले होलटाइमरों का मजदूर वर्ग, अनुसूचित

जाति/ जनजाति, महिलाओं तथा युवाओं के बीच से होना सुनिश्चित करना होगा। होलटाइमरों का वेतन बढ़ाना होगा ताकि वे अपनी न्यूनतम जरूरतें पूरी कर सकें।

दैनिक ***देशेरकथा*** की प्रसार संख्या लगातार बढ़ती गयी है। जल्द ही प्रसार संख्या बढ़ाकर 50,000 करने का लक्ष्य अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, ***पीपुल्स डैमोक्रेसी*** की प्रसार संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

जमीनी स्तर पर जनता से जीवंत संपर्क बनाए रखने के लिए, एक मतदान केंद्र के अंतर्गत आने वाले इलाके को तीन-चार हिस्सों में बांटकर, वहां नागरिक कमेटियां गठित की जानी चाहिए और सामाजिक गतिविधियों के अलावा स्थानीय मुद्दों पर जनता को गोलबंद करने की कोशिश की जानी चाहिए।

वाम मोर्चा सरकार के लंबे समय से बने होने के संदर्भ में, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वर्गीय व जनसंगठन स्वतंत्र रूप से काम करें और सरकार पर ही निर्भर रहने के बजाए, जनता के मुद्दे उठाएं। किसी भी तरह अपवर्गीय रुझानों के पनपने के प्रति, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों या कॉडर के बीच भ्रष्टाचार का पनपना भी शामिल है, सतर्कता रहनी चाहिए।

तमिलनाडु

तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां द्रविड़वादी पार्टियों ने गहरी जड़ें जमा रखी हैं और 1960 के दशक के आखिर से ये पार्टियां ही राज्य की राजनीति पर हावी रही हैं। राज्य में बनी रही द्विध्रुवीय स्थिति, जहां द्रमुक तथा अन्नाद्रमुक राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रही हैं, सी पी आइ (एम)तथा स्वतंत्र वामपंथी आधार व राजनीतिक प्रभाव के विकास के खिलाफ काम करती रही है।

पार्टी के राज्य सम्मेलन के निर्णय में और 21वीं कांग्रेस की राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन में, पार्टी के स्वतंत्र आधार को मजबूत करने को और वामपंथी तथा जनतांत्रिक ताकतों को गोलबंद करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इसके लिए जरूरी है कि उन्मुखता को बदला जाए और पार्टी संगठन तथा जनसंगठनों के काम-काज को इसके हिसाब से ढाला जाए।

केरल और बंगाल के बाद, पार्टी के सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या तमिलनाडु में (1,06,247) ही है। 39 लाख से ज्यादा सदस्य विभिन्न वर्गीय व जनसंगठनों में हैं। पार्टी और जनसंगठन, दोनों की ही सदस्यता में तो लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पार्टी के प्रभाव व जनाधार के विस्तार में इसका प्रतिबिंबन नहीं हो रहा है। कन्याकुमारी में तथा

डेल्टाई क्षेत्र के कुछ इलाकों जैसे पार्टी के परंपरागत क्षेत्रों में, पार्टी का प्रभाव घटा है।

स्थानीय मुद्दे उठाने और सतत संघर्ष चलाने पर कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा।

सामाजिक मुद्दे उठाने में पार्टी कारगर रही है। छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आधार वाले संगठन के रूप में टी एन यू ई एफ का गठन और इस मंच द्वारा संचालित गतिविधियों से, दलितों तथा प्रगतिशील तबकों के बीच पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस अनुभव को देखते हुए यह जरूरी है कि भांति-भांति के मुद्दे उठाकर, जिनमें लैंगिक दमन के प्रश्न भी शामिल हैं, सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन का दायरा बड़ा किया जाए।

करने वाला सबसे जरूरी काम है, पार्टी में ढ़ीली-ढ़ाली भर्ती खत्म की जाए और पार्टी संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाए ताकि पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। ड्राप आउट होने की ऊंची दर, पार्टी सदस्यों की बड़ी संख्या का निष्क्रिय होना, अनेक पार्टी सदस्यों का पार्टी कार्यक्रम व संविधान तक से अपरिचित होना और ब्रांचों का त्रुटिपूर्ण काम-काज, ये सभी पार्टी सदस्यता के ढ़ीले-ढ़ाले होने के ही संकेतक हैं। ऐसा लगता है कि पार्टी सदस्य और जनसंगठन के सक्रिय सदस्य के बीच, कोई खास अंतर ही नहीं रह गया है। ऑक्जिलरी ग्रुपों के जरिए, जिनमें न्यूनतम शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाए, पार्टी सदस्यों की भर्ती की समूची प्रक्रिया को ही शुरू करना होगा। भर्ती का मुख्य मानदंड, जनसंघर्षों तथा आंदोलनों में भागीदारी हो।

यह जरूरी है कि कुछ प्राथमिकता के जिलों/ क्षेत्रों की निशानदेही की जाए, जिन पर पार्टी तथा जनसंगठन अपने प्रयत्नों तथा संसाधनों को केंद्रित करें ताकि वहां पर जनाधार को व्यापक तथा गहरा बनाया जा सके। यह जरूरी है क्योंकि हमारा जनाधार थोड़ा-थोड़ा पूरे राज्य में बिखरा हुआ है।

अधिकांश पार्टी सदस्य, केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर से लेवी नहीं देते हैं। पार्टी कमेटियों ने लेवी की घटी हुई दरों को मंजूर कर लिया लगता है। इसे दुरुस्त करना होगा और केंद्रीय कमेटी की दर से लेवी का भुगतान कड़ाई से लागू कराना होगा।

राज्य में स्थायी पार्टी स्कूल होना जरूरी है। इसके साथ ही, इस तरह पार्टी शिक्षा आयोजित की जाए, जिससे उसकी पहुंच सभी सदस्यों तक हो सके। सिर्फ 20 फीसद सदस्यों का पार्टी कक्षाओं में शामिल होना, इसके लिए प्रेरणा की कमी को दिखाता है।

यह सब सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत की ओर इशारा करता है, जिसकी शुरूआत भर्ती की प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। पार्टी सदस्यों को सक्रिय करने तथा सदस्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के जरिए ही, पार्टी के स्वतंत्र काम-काज और प्रभाव में बढ़ोतरी की जा सकती है। राज्य ने पार्टी में महिलाओं की भर्ती पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया है। फिर भी पार्टी सदस्यता में महिलाओं का हिस्सा 20 फीसद से भी कम

यानी 17.3 फीसद ही है। जिला कमेटियों में अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा महिलाएं हैं और पार्टी में 74 महिला होलटाइमर हैं।

पार्टी का एक प्रकाशगृह है जिसने नयी पुस्तकों और पुनर्प्रकाशन को मिलाकर, विभिन्न विषयों पर 752 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। पार्टी राज्य कमेटी की ओर से, राज्यस्तरीय अभियानों में उपयोग के लिए, विभिन्न विषयों पर पेंफलेटों की करीब 12 लाख प्रतियां छापी गयी हैं। पार्टी दैनिक, *तिक्कतीर* के चार संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। उसकी प्रसार संख्या 25,525 है। पार्टी की सदस्य संख्या तथा उसके प्रभाव को देखते हुए, यह प्रसार संख्या कम है। प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

यह ऐसा राज्य है जहां जनसंगठनों ने विस्तार दर्ज कराया है। निम्नलिखित पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है: अ) यह सुनिश्चित करना कि पार्टी के सभी सदस्य किसी न किसी जनसंगठन में काम करें, ब) वर्गीय तथा जनसंगठनों में, राजनीतिक चेतना का स्तर बढ़ाने तथा पार्टी के निर्माण के लिए, कम्युनिस्टों वाले काम करना।

तेलंगाना

2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, 10 जिलों तथा 459 मंडलों को लेकर और हैदराबाद को राजधानी बनाकर, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तेलंगाना राज्य की आबादी 3.5 करोड़ है और क्षेत्रफल 1,14,845 वर्ग किलोमीटर। एक हद तक राज्य का सामाजिक व राजनीतिक गठन भी बदल गया है। अब 12 फीसद अल्पसंख्यक, 16 फीसद दलित तथा 10 फीसद आदिवासी, मिलकर आबादी का 38 फीसद हिस्सा हो जाते हैं और पिछले वर्ग के 54 फीसद को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो, इन सामाजिक समूहों का आबादी में कुल हिस्सा 92 फीसद हो जाता है। नवगठित राज्य में 38 फीसद आबादी शहरी इलाके में है, जो मुख्यत: हैदराबाद तथा आस-पास के इलाके में केंद्रित है। उल्लेखनीय आदिवासी आबादी वाले मंडल मुख्यत: आदिलाबाद, खम्मम तथा नलगोंडा व वारंगल जिलों में हैं। ज्यादातर मुस्लिम आबादी 38 शहरी केंद्रों में बसी हुई है। इन इलाकों में विधानसभाई चुनाव में नतीजे यही तबका तय करता है।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), जिसने पृथक तेलंगाना राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया था, 2014 की मई में हुए पहले राज्य विधानसभा के चुनाव में जीती और उसने सरकार बनायी। राजनीतिक मैदान में मुख्य प्रतिद्वंद्वी तो टीआरएस और कांग्रेस ही हैं, फिर भी टीडीपी, भाजपा, एमआइएम तथा वामपंथी पार्टियों का भी कुछ जगहों पर

उल्लेखनीय राजनीतिक प्रभाव तथा जनाधार है। हालांकि, टीडीपी तेलंगाना के इलाके में अपने संगठन को बचाए रखने की कोशिश कर रही है, राज्य में एक बड़ी ताकत बने रहने की उसकी कोशिश के रास्ते में अनेक गंभीर बाधाएं हैं। हालांकि, तेलंगाना में सांप्रदायिकता की कुछ परंपरागत जड़ें रही हैं, फिलहाल भाजपा के बढ़ने की संभावनाएं भी ज्यादा नहीं हैं। लेकिन, हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि समय के साथ यह स्थिति आगे चलकर बदलेगी नहीं। वामपंथ की मजबूत एकता पिछले कुछ समय में अनेक एकजुट कार्रवाइयों में देखने को मिली है। चूंकि राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर द्विध्रुवीय राजनीति हावी नहीं है, जैसे-जैसे टीआरएस सरकार से जनता का मोहभंग हो रहा है, वामपंथ की गतिविधियों तथा संगठन और जनतांत्रिक ताकतों के बढ़ने की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।

जनसंगठनों की कुल सदस्य संख्या, 28,15,186 है। 2014 के विधानसभाई चुनाव में पार्टी को 37 विधानसभाई क्षेत्रों में कुल 2,99,258 वोट मिले थे। राज्य में कुल 47,502 पार्टी सदस्य हैं, जो राज्य के कुल 449 मंडलों में से 186 मंडलों में स्थित, 4,580 ब्रांचों में संगठित हैं। ज्यादातर पार्टी सदस्य 3 जिलों में ही केंद्रित हैं। इन जिलों में पार्टी सदस्यता का 74 फीसद से ज्यादा हिस्सा केंद्रित है। राज्य में कुल 856 होलटाइमर काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन में विभिन्न स्तरों पर सदस्यता का सामाजिक गठन, कमेटियों में अनूसूचित जातियों तथा जनजातियों के हिस्से के लिहाज से, अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्वपूर्ण कहा जा सकता है। लेकिन, महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जहां सदस्यता में महिलाओं का हिस्सा 16.55 फीसद है, जिला कमेटी तथा राज्य कमेटी के स्तर पर महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 9.25 फीसद है और होलटाइमरों में 7.7 फीसद।

हैदराबाद में एक स्थायी पार्टी स्कूल काम कर रहा है। दैनिक *नवतेलंगाना* की प्रसार संख्या पार्टी की शक्ति के अनुरूप नहीं है। मासिक राजनीतिक पत्रिका, *तेलुगू मार्क्सिस्ट* की प्रसार संख्या 2813 है। बहरहाल, *पीपुल्स डैमोक्रेसी* की प्रसार संख्या सिर्फ 164 है।

हमें जनता के मुद्दे उठाने में अपने जनसंठनों को सक्रिय करना चाहिए और साझा मुद्दों पर विभिन्न वामपंथी व सामाजिक शक्तियों को गोलबंद करने के लिए, एक व्यापक मंच का निर्माण करना चाहिए। इस एकजुट गतिविधि के जरिए हमें भविष्य में एकजुट वामपंथी तथा जनतांत्रिक मंच के निर्माण के लिए ताकतों को एकत्र करने की कोशिश करनी चाहिए।

पार्टी राज्य कमेटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनसंगठन, अपने ही

नियम–कायदों के हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करें।

राज्य कमेटी विभिन्न सामाजिक मुद्दे उठाती आयी है और दलितों तथा अन्य पिछड़े वर्ग की मांगों पर अभियान चलाती आयी है। इस प्रक्रिया में वह इन तबकों से जुड़े अन्य संगठनों के साथ संयुक्त मंच गठित करने में समर्थ हुई है। इस रास्ते पर चलते हुए, वर्गीय नजरिए को बनाए रखना जरूरी है। विचारधारात्मक काम का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि प्रबल सांप्रदायिक वातावरण बना हुआ है और पहचान–आधारित सामाजिक ताकतों के साथ काम करते हुए, पार्टी की वर्गीय जड़ों को बनाए रखना जरूरी है।

राज्य कमेटी द्वारा 2014 के जून में तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार, यह तय किया गया है कि गांव तथा बस्ती स्तर पर जमीनी काम को बेहतर बनाने के जरिए नलगोंडा तथा खम्मम जिलों में पार्टी के मौजूदा जनाधार को मजबूत किया जाए; आपस में लगते हुए आदिवासी इलाकों में काम पर ध्यान केंद्रित किया जाए; हैदराबाद तथा आस–पास के इलाके में काम को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं और इसके लिए ट्रेड यूनियन मोर्चे पर तथा शहरी गरीबों के बीच काम को तेज किया जाए।

छात्र मोर्चे पर काम को मजबूत करना जरूरी है ताकि इस मोर्चे से ज्यादा कॉडर निकाले जा सकें।

आंध्र प्रदेश

तेलंगाना के अलग होने के बाद, 13 जिलों तथा 4.5 करोड़ की आबादी के साथ बचा हुआ आंध्र प्रदेश, नया राज्य बन गया है। इसमें तीन अलग–अलग क्षेत्र हैं—केंद्रीय विकसित हिस्सा, दक्षिण–पश्चिमी पिछड़ा सूखा–प्रवण रायलसीमा क्षेत्र और उत्तरी पिछड़ा उत्तर आंध्र, जिसके पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं। पांच जिलों में फैले 146 मंडलों की सघन आदिवासी पट्टी, जहां ज्यादातर आदिवासी आबादी केंद्रित है, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूती है।

राज्य की आबादी में आदिवासियों का हिस्सा 5.53 फीसद है, जो मुख्यत: सघन आदिवासी क्षेत्रों में ही बसा हुआ है। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 17.08 फीसद है, जो मुख्यत: राज्य के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में केंद्रित है। राज्य में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 7.3 फीसद है, जो मुख्य रूप से रायलसीमा के शहरी केंद्रों में ही बसा हुआ है। तेलंगाना की तुलना में इस राज्य में शहरी आबादी का हिस्सा अपेक्षाकृत थोड़ा है, लेकिन यह हिस्सा राज्य भर में फैला हुआ है।

ज्यादातर बड़े तथा कुंजी की तरह महत्वपूर्ण उद्योग विशाखापट्टनम शहर में ही केंद्रित हैं। कृषि में पूंजीवादी संबंधों का काफी विकास होने के चलते, काफी गैर–कृषि रोजगार पैदा हुआ है, जिसने अनेक मंडल मुख्यालयों को, जो सबसे निचली प्रशासनिक इकाई होते हैं, मजदूरों–किसानों के संगम के केंद्रों में बदल दिया है। डेल्टाई क्षेत्रों में बंटाईदारी (टेनेंसी) छोटे किसानों के शोषण का महत्वपूर्ण तरीका बन गयी है।

भाजपा के साथ गठबंधन में तेलुगू देशम् पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और नवगठित राज्य की पहली सरकार बनायी। यह सरकार इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की मदद से एक औद्योगिक, वाणिज्यिक और मनोरंजन व सेवा प्रदाता पावरहाउस में रूपांतरित करने की कल्पना को लेकर चल रही है। मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी पार्टी के इस एजेंडा के असर में आ गया है। वाइ एस आर सी पी, जोकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, अपनी गतिविधियों से जनता का विश्वास हासिल करने में असमर्थ है। इसके बावजूद, राज्य की राजनीति द्विध्रुवीय बनी हुई है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण तीसरी ताकत है ही नहीं। इन हालात में पार्टी को वामपंथी एकता को मजबूत करना चाहिए और राज्य में तमाम वामपंथी व जनतांत्रिक ताकतों को गोलबंद करने के लिए काम करना चाहिए।

नवगठित राज्य में हमारी पार्टी का जनाधार कमजोर है। हाल ही में तेलंगाना के कुछ आदिवासी मंडलों का इस राज्य में विलय होने के बाद से, उस विधानसभाई क्षेत्र में हमारा जनाधार मजबूत हुआ है। राज्य में जनसंगठनों की सदस्य संख्या 24,40,465 है। 2014 के विधानसभाई चुनाव में 31 विधानसभाई क्षेत्रों में पार्टी को 1,06,664 वोट मिले थे।

पार्टी के 33,753 सदस्य हैं, जो राज्य के कुल 670 मंडलों में से 575 में फैली, 3,826 ब्रांचों में संगठित हैं। राज्य में कुल 994 होलटाइमर काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन में विभिन्न स्तरों पर सामाजिक गठन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है। जहां पार्टी सदस्यों में महिलाओं का हिस्सा 19.6 फीसद है, जिला कमेटी तथा राज्य कमेटी के स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 8.1 फीसद है और होलटाइमरों में 7.9 फीसद। विभिन्न कमेटियों में अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा महिलाओं के बीच से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

एक स्थायी पार्टी स्कूल स्थापित करने का काम अपने आरंभिक चरण में है। दैनिक *प्रजाशक्ति* की प्रसार संख्या पार्टी की शक्ति के अनुरूप नहीं है। मासिक राजनीतिक पत्रिका, *तेलुगू मार्क्सिस्ट* की प्रसार संख्या 7,221 है। लेकिन, *पीपुल्स डैमोक्रेसी* की प्रसार संख्या 221 ही है।

पार्टी और जनसंगठनों का मुख्य काम संगठन को जनगतिविधियों तथा संघर्षों के लिए तैयार करना होना चाहिए, ताकि पार्टी के जनप्रभाव को बढ़ाने का आधार तैयार किया जा सके। हमें ट्रेड यूनियन तथा छात्र मोर्चे पर ऊर्जा केंद्रित करना चाहिए ताकि राज्य भर में आंदोलन को फैलाया जा सके और नयी पीढ़ी को वामपंथी राजनीति की ओर खींचा जा सके। किसानों के बीच हमारे कमजोर आधार को देखते हुए यह जरूरी है कि ग्रामीण गरीबों, बंटाईदार किसानों, गरीब व मध्यम श्रेणी के किसानों और खेत मजदूरों को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य कमेटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनसंगठन, अपने ही नियम-कायदों के हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करें।

आदिवासी इलाकों में पार्टी के काम को फैलाने के लिए हमें राम्पाशोदावरम विधानसभाई क्षेत्र में अपने जनाधार को पुख्ता करना चाहिए और जिन कुछ अन्य आदिवासी इलाकों में हमारी खासी मौजूदगी है, हमें अपने आधार का विस्तार करना चाहिए। राज्य केंद्र को, आवश्यक संसाधन तथा मार्गदर्शन मुहैया कराने के जरिए, आदिवासी पट्टी पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यह भी जरूरी है कि पिछड़े क्षेत्रों, खासतौर पर रायलसीमा के विकास के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाए।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की स्वतंत्रता संघर्ष की और समाज सुधार आंदोलनों की एक समृद्ध विरासत रही है। भाषायी राज्य की मांग पर, संयुक्त महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा आंदोलन उठा था, जिसका नेतृत्व वामपंथी व धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने किया था। मजबूत ट्रेड यूनियन आंदोलन ने, समाज पर प्रगतिशील प्रभाव डाला था। लेकिन, 1960 के दशक में शिव सेना के उभरने के साथ हालात बदल गए। कांग्रेस और बड़ी पूंजी, दोनों ही राज्य में ट्रेड यूनियन तथा वामपंथी आंदोलन को कमजोर करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। आज यह राज्य राजनीतिक रूप से दो खेमों में बंटा हुआ है, एक का नेतृत्व कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस करती हैं और दूसरे का शिव सेना-भाजपा। हमारी कोशिशों के बावजूद, वामपंथी पार्टियों के साथ कुछ दलित ग्रुपों व अन्य ताकतों से बनने वाला व्यापक वामपंथी-प्रगतिशील खेमा, एक वहनीय राजनीतिक विकल्प बनकर सामने आ ही नहीं पाया है।

महाराष्ट्र में हमारे आंदोलन की ताकत ठाणे-पालघर-नासिक की लगती हुई ग्रामीण पट्टी में आदिवासियों के बीच हमारी अनवरत मौजूदगी है। इस पट्टी में इस समय पार्टी के पास एक विधानसभाई सीट है और एक के बाद एक लोकसभा चुनावों में भी यहां से

पार्टी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करती आयी है। 7 जिलों में जिला परिषद, पंचायत समिति, नगरपालिका आदि स्थानीय निकायों में इस समय पार्टी के 41 निर्वाचित सदस्य हैं। पश्चिमी तथा उत्तरी महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में, हमारी गतिविधियों के कुछ नये केंद्र भी उभरकर सामने आए हैं। इनमें नासिक का ट्रेड यूनियन केंद्र और अहमदनगर तथा परभणी जिलों के किसान केंद्र खास हैं। लेकिन, इन केंद्रों में से किसी में भी पार्टी का आधार इतना मजबूत नहीं है कि विधानसभाई सीट जीत सके। ऐसी स्थिति तो सोलापुर सिटी और उपरोक्त आदिवासी पट्टी में ही है।

हमारे प्रभाव के अलग-थलग केंद्रों के आस-पास के इलाके में पार्टी का फैलाव नहीं हो पाने के चलते, हमारे ये अपेक्षाकृत छोटे शक्ति केंद्र बहुत बार हमले का निशाना बनते हैं। विदर्भ क्षेत्र हमारे संगठन की सबसे कमजोर कड़ी है, जबकि गरीब किसानों, खेत मजदूरों, दलितों व आदिवासियों की विशाल संख्या रहती है। मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों के साथ ही, विदर्भ भी गहरे कृषि संकट की चपेट में रहा है और उसने देश की किसान आत्महत्याओं की राजधानी का दु:खद खिताब हासिल कर लिया है।

हाल के वर्षों में धैर्यपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप पार्टी और वर्गीय व जनसंगठनों की गतिविधियों और गोलबंदी की क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। वर्गीय व जनसंगठनों की कुल सदस्यता इस समय 7.25 लाख है। लेकिन, देश के दूसरे अनेक हिस्सों की तरह यहां भी, यह बढ़ोतरी हमेशा राजनीतिक चेतना का स्तर ऊपर उठने तक नहीं ले गयी है, जिसकी अभिव्यक्ति हमारी चुनावी शक्ति में किसी दर्शनीय बढ़ोतरी में होती।

इस तमाम काम के बावजूद, पार्टी की सदस्यता 12,000 के करीब ही अटकी रही है। ब्रांच से लेकर जिला कमेटियों तक, पार्टी संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने की भारी जरूरत है। महाराष्ट्र पार्टी में कुछ गुटबाजाना प्रवृत्तियां भी रही हैं, जिन्होंने विकास की हमारी संभावनाओं पर प्रतिकूल असर डाला है। संसदवाद जैसे अन्य भटकावों का भी, जिनकी ओर दुरुस्तीकरण के दस्तावेज में इशारा किया गया है, मुकाबला किए जाने की जरूरत है।

इसकी जरूरत है कि राज्य केंद्र से नियमित रूप से काम करने वाली टीम के साथ, इस केंद्र को मजबूत किया जाए। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, विकास के लिए प्राथमिकतावाले जिलों/इलाकों तथा मोर्चों पर, खासतौर पर किसान तथा छात्र मोर्चे पर, नये सिरे से विचार किए जाने की जरूरत है।

नयी परिस्थिति में, जहां राज्य में तथा केंद्र में भाजपा के नेतृत्ववाली सरकारें हैं, नये अवसर पैदा हो रहे हैं। जनविरोधी नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध और सांप्रदायिक हमलों तथा दलितों व अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों पर हमलों के विरुद्ध,

एकीकृत संघर्ष की जरूरतें, वामपंथी व जनतांत्रिक हस्तक्षेप के लिए और एक वैकल्पिक नीतिगत मंच को सामने लाने के पक्ष में स्थितियां बन रही हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से, वामपंथी तथा अन्य जनतांत्रिक ताकतों ने सतत रूप से एकजुट गतिविधियां आयोजित की हैं। भाजपा परंपरागत रूप से मजबूत नहीं रही है और शिव सेना से लगातार उसका टकराव चल रहा है। कांग्रेस और एनसीपी की ओर से भी, अपने पुनर्जीवन की कोई खास कोशिशें नहीं हो रही हैं। इन हालात में इसकी अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं कि खेती के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने और सतत रूप से स्थानीय संघर्ष चलाने के जरिए, वामपंथ को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ट्रेड यूनियनें भी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मैदान बन सकती हैं।

छात्र, युवा तथा महिला आदि अन्य जनसंगठनों ने भी लागातार गतिविधियां जारी रखी हैं, हालांकि ये गतिविधियां कुछ इलाकों तक ही सीमित रही हैं। इस सक्रियता को जमीनी स्तर पर इन संगठनों की इकाइयों तक ले जाना होगा और उनके लड़ाकू कार्यगर्ताओं को सुव्यस्थित तरीके से पार्टी में भर्ती करना होगा। राज्य में तीन मंच कायम किए गए हैं—आदिवासियों का मंच, जाति के अंत के लिए मंच और अल्पसंख्यक अधिकार मंच। इन मंचों को जिला स्तर पर सक्रिय करना होगा ताकि सामाजिक मुद्दों को सतत तरीके से उठाया जा सके।

विचारधारात्मक हस्तक्षेप की अब जितनी जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी। पार्टी के साप्ताहिक, *जीवनमार्ग* और कुछ अन्य प्रकाशनों ने इसमें कुछ योगदान किया है, लेकिन जरूरत जितनी बड़ी है उसे देखते हुए, यह बिल्कुल अपर्याप्त है।

बिहार

बिहार भारत में वामपंथ के परंपरागत केंद्रों में से रहा है। सांप्रदायिक तथा जातिवादी राजनीति के चलते वामपंथ हाशिए पर पड़ता जा रहा है। 1964 में जब पार्टी में विभाजन हुआ था, पार्टी सदस्यों का बड़ा हिस्सा सी पी आइ के साथ गया था। बाद में भी पार्टी को कुछ नेताओं के छोड़ जाने के चलते, विभाजन झेलना पड़ा। बिहार में वामपंथी पार्टियों के बीच हम तीसरे नंबर पर हैं।

पार्टी सदस्यों की संख्या के लिहाज से बिहार की पार्टी इकाई केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बाद, सातवें नंबर पर है। बिहार में पार्टी जहां की तहां खड़ी है, लेकिन बेगुसराय, चंपारण, भागलपुर तथा पूर्णिया जिलों के अपने पुराने केंद्रों में उसमें गिरावट आ रही है। पार्टी सदस्यों की संख्या दरभंगा में

जनप्रभाव में उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं होती है।

जनमोर्चों में किसान सभा ही अपेक्षाकृत सक्रिय है और मुद्दे उठाती है। किसान तथा खेत मजदूर मोर्चों के विस्तार की संभावनाएं हैं। खेत मजदूर मोर्चे के राज्य केंद्र को मजबूत करने की जरूरत है ताकि जिला कमेटियों को सक्रिय किया जा सके। अगर ट्रेड यूनियन केंद्र के सामूहिक काम-काज को और मजबूत किया जाए तो, ट्रेड यूनियन आंदोलन के विस्तार की भी संभावना है। छात्र और युवा मोर्चे सक्रिय नहीं हैं। छात्र तथा युवा कार्यकर्ताओं को विकसित करने के लिए उनकी देख-भाल करने की और उनकी जरूरतें पूरी करने की, लंबे अर्से से अनदेखी होती आयी है। इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि महिला मोर्चे का अखिल भारतीय सम्मेलन बिहार में हुआ था, इस मौके का आंदोलन के विस्तार के लिए उपयोग नहीं किया जा सका है।

राज्य पार्टी केंद्र के सामूहिक काम-काज को मजबूत करने की जरूरत है। जिलों की सांगठनिक समस्याओं से निपटने में राज्य सेक्रेटेरियट को दृढ़, सिद्धांतनिष्ठ रुख अपनाना चाहिए। राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम में हस्तक्षेप करने में कमजोरी है।

राज्य में पार्टी को दिखाई देना चाहिए। पार्टी और जनमोर्चों के विस्तार की संभावनाएं हैं। राज्य केंद्र को, राजनीतिक घटनाविकास में और जिलों की सांगठनिक समस्याओं को निपटाने में, अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहिए। राज्य पार्टी को, छात्र तथा युवा मोर्चों के निर्माण को और ज्यादा महत्व देना चाहिए। पर्याप्त कार्यकर्ताओं की पहचान करनी होगी और उन्हें तैनात करना होगा। जनमोर्चों की स्वतंत्र व जनतांत्रिक कार्यपद्धति सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य में सामाजिक मुद्दे उठाने के मामले में भी कमजोरी है। पार्टी सदस्यों में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 3.8 फीसद है, जोकि देश भर में सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर है। पार्टी राज्य कमेटी को, पार्टी में और ज्यादा महिलाओं की भर्ती के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर सांगठनिक कमजोरियों को दुरुस्त कर लिया जाए तो, पार्टी के विस्तार की काफी गुंजाइश है।

असम

1970 के दशक के आखिर में पार्टी एक ध्यान खींचने लायक राजनीतिक ताकत बनकर सामने आयी थी और किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के बिना विधानसभा के लिए हमारे 11 सदस्य चुने गए थे। उस दौर में पार्टी तथा जनसंगठनों की सदस्यता भी बढ़ी थी। लेकिन, असम आंदोलन ने और धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों के खिलाफ भावनाएं भड़काए जाने ने, असम के समाज को

विभाजित कर दिया। इस दौर में पार्टी को धक्का लगना शुरू हुआ। उसके बाद से, विभिन्न उपजातीय (इथनिक) पहचानों के आधार पर समाज में और ज्यादा विभाजन पैदा किए गए। सांप्रदायिक ताकतें असम में सक्रिय हो गयीं। भाजपा और आरएसएस द्वारा इस राज्य में अपने आधार का विस्तार करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को उभाड़ने की भी कोशिशें की जा रही हैं। इन सभी कारकों के चलते, जनता के बीच हमारा जो प्रभाव है उसे बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा है।

असम के प्राथमिकता वाले राज्य के रूप में चुने जाने के बाद से राज्य कमेटी, जिला कमेटियों तथा निचली कमेटियों और जन मोर्चों के काम में कुछ सुधार हुआ। राज्य केंद्र, राज्य कमेटी तथा अधिकांश जिला कमेटियों तथा और निचली कमेटियों के सामूहिक काम-काज में भी सुधार हुआ। कुछ इलाकों में पार्टी ने कुछ प्रगति भी कर पायी थी। लेकिन, कुछ अर्सा बाद पार्टी गतिरोध की स्थिति में आ गयी और पहचान की आक्रामक राजनीति और इथनिक टकरावों के चलते, अपने परंपरागत आधार क्षेत्रों में भी पार्टी में गिरावट शुरू हो गयी। इस अवधि में धार्मिक अल्पसंख्यकों, बंगालियों और बोडोओं के बीच भी हमारे प्रभाव में गिरावट आयी।

राज्य कमेटी तथा राज्य केंद्र के काम-काज में कमजोरी बनी हुई है। असम के घटनाक्रम के मामले में राज्य कमेटी को कहीं ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। राज्य कमेटी को सभी मुद्दों पर अपने सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए, पार्टी का राजनीतिक, विचारधारात्मक तथा सांगठनिक नेता बनकर सामने आना चाहिए।

2014 में राज्य कमेटी की सिर्फ 4 बैठकें हुई थीं। इसी वर्ष में राज्य सेक्रेटेरियट की 14 बैठकें ही हुई थीं। बहरहाल, राज्य सेक्रेटेरियट के 8 सदस्य हैं जो पार्टी राज्य केंद्र से काम करते हैं। राज्य कमेटी तथा राज्य सेक्रेटेरियट की कहीं ज्यादा बैठकें करने की जरूरत है। राज्य केंद्र के सामूहिक काम-काज को भी मजबूत किया जाना चाहिए। राज्य केंद्र से राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दों पर समय पर हस्तक्षेप किए जाने के मामले में कमजोरी है। पार्टी को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्तक्षेप करना चाहिए और आंदोलन व संघर्ष संगठित करने चाहिए। इसके अलावा सभी स्तरों पर स्थानीय/ फौरी मुद्दे उठाने तथा सतत संघर्ष आयोजित करने में भी कमजोरी है। पार्टी ने कुछ सामाजिक मुद्दे उठाए हैं, जैसे लैंगिक उत्पीड़न के प्रश्न, अल्पसंख्यकों के अधिकारों व सुरक्षा के प्रश्न, आदिवासियों व पिछड़े तबकों को प्रभावित करने वाले प्रश्न, आदि। लेकिन, इन हस्तक्षेपों के जरिए मिले लाभ को सुदृढ़ करने में पार्टी विफल रही है।

हाल के दौर में पार्टी की सदस्यता में गिरावट आयी है। पार्टी सदस्यों को सक्रिय करने के और प्रयास किए जाने की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस के दस्तावेजों की रिपोर्टिंग के

दायरे में 25 फीसद से भी कम सदस्यों को ही लाया जा सका है। पार्टी सदस्यों की औसत उम्र का बढ़ना चिंता का विषय है और कहीं ज्यादा युवाओं को पार्टी में भर्ती करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ट्रेड यूनियन गतिविधियां बढ़ी हैं और इसका प्रतिबिंबन ट्रेड यूनियन सदस्यता की बढ़ोतरी में हुआ है। महिला मोर्चा अपनी शक्ति बनाए रख सका है। अन्य जनमोर्चों की और खासतौर पर छात्र व युवा मोर्चों की सदस्यता में गिरावट आयी है। छात्र और युवा मोर्चे बहुत ही कमजोर हैं। छात्र तथा युवा मोर्चों को सक्रिय करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास किए जाने चाहिए। असम में अनगिनत कृषि संबंधी समस्याएं हैं, जो समाधान की मांग कर रही हैं। किसान मोर्चे को लगातार ऐसे मुद्दे उठाने में समर्थ होना चाहिए।

अनेक जिला कमेटियां, सुसंबद्ध निकायों और मार्गदर्शक केंद्रों की तरह काम नहीं कर पा रही हैं। जिला कमेटियों की कमजोरी को दूर करना होगा ताकि लोकल कमेटियों, ब्रांचों, पार्टी सदस्यों तथा जनमोर्चों को सक्रिय किया जा सके।

लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के मौके पर, विभिन्न स्तरों पर संसदवादी रुझान देखने में आता है। कुछ कमेटियां जनमोर्चों में काम की भी अनदेखी करती हैं और चुनाव पर ही सारा ध्यान केंद्रित करती हैं। पार्टी के फैसलों का उल्लंघन करने के लिए पार्टी को कई सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ी है।

पार्टी, साप्ताहिक *गणशक्ति* का प्रकाशन कर रही है। इसकी प्रसार संख्या सिर्फ 3,930 है। हालांकि, इसकी प्रसार संख्या बढ़ाने की अनेक कोशिशें की गयी हैं, उनका कोई फल नहीं मिला है। पार्टी मुखपत्र की अंतर्वस्तु तथा प्रसार संख्या, दोनों में सुधार किया जाना चाहिए।

कर्नाटक

कर्नाटक में सी पीआइ (एम) के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। बहरहाल, इन अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए, विभिन्न स्तरों पर पार्टी कमेटियों तथा पार्टी कॉडर के कहीं ज्यादा सतत तथा एकजुट प्रयास की जरूरत है। इस दिशा में कुछ देखने लायक सुधार भी हुआ है। लेकिन, और बहुत कुछ है जो किए जाने की जरूरत है तथा किया जा सकता है। पहला कदम यही होना चाहिए कि राज्य नेतृत्व को एकजुट किया जाए और राज्य सेक्रेटेरियट तथा राज्य कमेटी के सामूहिक तरीके से काम-काज करने को स्थापित किया जाए।

पार्टी का मामूली विस्तार हुआ है, जिसका पता पार्टी की सदस्यता में मामूली बढ़ोतरी से और विभिन्न जनसंगठनों की सदस्यता में, खासतौर पर योजनाकर्मियों, दलितों, देवदासियों आदि के बीच सदस्यता में बढ़ोतरी से होता है। बहरहाल, और ज्यादा संकेंद्रित सांगठनिक काम तथा अभियान की जरूरत है। पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता और जनसंगठनों के सदस्यों की सक्रियता का स्तर संतोषजनक नहीं है।

पार्टी सदस्यता का गठन आमतौर पर संतोषजनक है। सदस्यों में 45 फीसद से ज्यादा मजदूर वर्ग से हैं और 35 फीसद, खेत मजदूर व गरीब किसान तबके से। सदस्यता का सामाजिक गठन भी बहुत अच्छा है क्योंकि करीब 30 फीसद सदस्य अनुसूचित जातियों व जनजातियों से हैं। पार्टी में महिलाएं भी सक्रिय हैं और उनका हिस्सा 24.4 फीसद है। बहरहाल, कई जिलों में महिला योजनाकर्मियों को पार्टी में भर्ती किए जाने की अब भी गुंजाइश है।

जनसंगठनों में मजदूर वर्ग तथा किसान संगठनों के विकास की संभावनाएं कहीं बेहतर हैं। युवा तथा छात्र संगठन भी, कार्यकर्ता मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अतिवादी तत्ववादी ताकतों के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी ओर खींचे जाने तथा उन्हें गुमराह किए जाने को देखते हुए, पार्टी को छात्र व युवा मोर्चों पर खासतौर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सांस्कृतिक मोर्चा एक व्यापक रुख लेकर चल रहा है, हालांकि कुछ अस्वस्थ रुझानों के चलते, कुछ दुरुस्ती के कदम उठाना जरूरी है।

सामाजिक तथा स्थानीय मुद्दों को उठाने में अच्छा सुधार देखने में आ रहा है। ऐसे मुद्दों पर हमारे हस्तक्षेप से पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बहरहाल, इसे पार्टी के प्रभाव में तब्दील करने के लिए, आगे की गतिविधियों की जरूरत है।

योजनाबद्ध तरीके से पार्टी की शिक्षा का काम हाथ में लेना होगा। चूंकि 60 फीसद से ज्यादा पार्टी सदस्य, 2008 के बाद पार्टी में आए हैं, पार्टी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिए जाने की जरूरत है।

पार्टी के अखबार, जनशक्ति की पहुंच बहुत सीमित है—सिर्फ 2300 प्रतियों तक। पार्टी सदस्यों में सिर्फ एक हजार ही पार्टी का अखबार लेते हैं। इसे सुधारने की जरूरत है।

हमारे प्रभाव के परंपरागत आधार क्षेत्रों जैसे चिकबल्लापुर, गुलबर्गा तथा मंगलूरु में भी वोट के हमारे हिस्से में गिरावट चिंताजनक है। राज्य कमेटी को प्राथमिकतावाले जिलों या इलाकों का चयन करना होगा और वहां अपने काम तथा संसाधनों को केंद्रित करना होगा।

स्थानीय निकायों के चुनाव में, कुछ इलाकों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुने जाने वाले पार्टी सदस्यों व हमदर्दों के मार्गदर्शन के लिए, आवश्यक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

वर्गीय संगठनों तथा महिलाओं के अलावा युवा तथा छात्र आंदोलनों के बीच से कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के सचेत प्रयास गंभीरता से किए जाने चाहिए। गुटबाजी, इस राज्य में विभिन्न स्तरों पर पार्टी के विकास को बाधित करती आयी है और सम्मेलनों के दौरान खुल्लमखुल्ला इसकी अभिव्यक्ति हुआ करती थी। 21वीं पार्टी कांग्रेस तक की प्रक्रिया में एक हद तक इस पर अंकुश लगाया जा सका था, हालांकि विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग हद तक यह बीमारी अब तक बनी ही हुई है। इसी के हिस्से के तौर पर विभिन्न स्तरों पर जनवादी केंद्रीयता के अलग–अलग प्रकार के उल्लंघन भी पनप गए हैं। पार्टी के राज्य नेतृत्व को एकजुट तरीके से इस नुकसानदेह प्रवृत्ति से निपटना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व के मनोगत रुख पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। इसमें कुछ प्रगति हुई है, पर और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

ओडिशा

इस राज्य में पार्टी के विकास में गतिरोध बना रहा है और जिन पांच राज्यों में हमारा परंपरागत आधार रहा है, सदस्यता में गिरावट आयी है। इस पर काबू पाना होगा। इसके लिए मुख्य जोर सतत आधार पर स्थानीय संघर्ष विकसित करने पर रहना चाहिए। इससे पार्टी और उसके जनाधार का विकास करने में मदद मिलेगी। हाल में मलकांगिरि, नबरंगपुर, गजपति तथा मयूरभंज के नये आदिवासी केंद्रों में कुछ प्रगति हुई है। आदिवासी इलाकों में काम को और संगठन व प्रभाव के सुदृढ़ किए जाने को, समग्रता में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन इलाकों में विराट संभावनाएं हैं, जबकि हमारे संसाधन सीमित हैं। इसे देखते हुए, विकास व विस्तार की सालाना व दीर्घावधि योजनाओं की प्राथमिकताओं का दोबारा निर्धारण किया जाना चाहिए।

पार्टी के विकास के लिए खेत मजदूर, गरीब किसान, बंटाईदारों आदि के मोर्चों को और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तथा योजनाकर्मियों को, प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। छात्र तथा युवा मोर्चों पर, जिनकी लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है, खास ध्यान देने की जरूरत है।

दलितों के मंदिर में प्रवेश और नाइयों से ली जाने वाली बंधुआ मजदूरी जैसे कुछ सामाजिक मुद्दों को भी उठाया गया है। लेकिन, इन्हें अव्यवस्थित तरीके से ही उठाया

गया है। सामाजिक मुद्दों पर और ज्यादा सतत आंदोलनों की जरूरत है।

जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर वर्गीय व जनसंघर्षों को छेड़े बिना पार्टी ब्रांचों, कार्यकर्ताओं तथा कमेटियों को सक्रिय नहीं किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं के नियोजन की, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के प्रति सही रुख की और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए फंड जुटाने की कमी है। इस सिलसिले में राज्य कमेटी को नियमित रूप से जनता से सार्वजनिक चंदा करना चाहिए और जिलों में ऐसा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य के कुल 30 जिलों में से 10 में जिला कमेटियां हैं, 10 अन्य में जिला संगठन कमेटियां हैं और दो और में एक-एक ब्रांच है। अनेक जिला कमेटियों का कोई काम करने वाला केंद्र ही नहीं है। कुछ जिलों को चौतरफा विकास के लिए प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में चुना जाना चाहिए।

ओडिशा ऐसा राज्य है जहां 1990 के दशक में गुटबाजी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी गयी थी। कुछ गुटबाजाना रुझान पिछले दो राज्य सम्मेलनों के दौरान फिर से उभरकर आए हैं। इसका मुकाबला संसदवाद के खिलाफ, उदारवाद के खिलाफ तथा जनवादी केंद्रीयता के व्यवहार के उल्लंघनों के खिलाफ अनवरत संघर्ष से ही किया जा सकता है। राज्य सेक्रेटेरियट के एकजुट काम को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

2011-13 के दौरान पार्टी सदस्यता से ड्राप आउट होने की दर बहुत ज्यादा रही थी। 2014 में यह दर गिर गयी है। इससे और इसके साथ ही सिर्फ 40 फीसद पार्टी सदस्यों के ब्रांच मीटिंगों में हिस्सा लेने से, पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत का पता चलता है। इसके लिए आक्जिलरी ग्रुपों को सक्रिय करने के जरिए पार्टी सदस्यों की भर्ती में सुधार और पार्टी सदस्यों के प्रशिक्षण की जरूरत है।

झारखंड

झारखंड ऐसा राज्य है जहां 26 फीसद आदिवासी आबादी है। यह एक खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य भी है और कोयला उद्योग, इस राज्य का मुख्य उद्योग है। इसलिए, आदिवासी जनता के बीच पार्टी तथा जनसंगठनों का काम विकसित करने पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मजदूर वर्ग के मोर्चे को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पिछले राज्य सम्मेलनों में जन-कार्य के संबंध में और सांगठनिक कामों के संबंध में कुछ निर्णयों तथा दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए पार्टी ने कुछ कदम उठाए हैं।

राज्य केंद्र से लगाकार, पार्टी के सामूहिक काम-काज में सुधार हुआ है। अब सेक्रेटेरियट के नौ सदस्यों को पार्टी राज्य केंद्र से काम करना चाहिए। यह जरूरी है कि इस निर्णय को लागू किया जाए और इन सभी सेक्रेटेरियट सदस्यों का पार्टी केंद्र पर आ जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य कमेटी की बैठकें तो नियमित रूप से होती हैं, लेकिन इस कमेटी में विचारधारात्मक और यहां तक कि राजनीतिक बहस-मुबाहिसा भी नहीं होता है और कमेटी ढ़र्राबद्ध तरीके से काम करती है। राज्य नेतृत्व को इस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और राज्य कमेटी में तथा समूची पार्टी में ही और ज्यादा विचारधारात्मक तथा राजनीतिक बहस-मुबाहिसा सुनिश्चित करना चाहिए। पार्टी कक्षाओं के मामले में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत है।

जिला कमेटियों के काम-काज में सुधार किया जाना जरूरी है। ऐसे जिले बहुत कम ही हैं, जहां एक सक्रिय जिला केंद्र काम कर रहा है और इसका लोकल कमेटियों तथा ब्रांचों के काम-काज पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण काम है जिसे पार्टी को गंभीरता से हाथ में लेना होगा। राज्य के सामने एक बड़ी समस्या, फंड के अभाव की है। कॉडर नीति के अमल पर और पार्टी के काम के विस्तार पर इसका सीधे-सीधे असर पड़ता है। ऊपर से नीचे तक, इस समस्या से गंभीरता से नहीं निपटा जा रहा है और सार्वजनिक चंदे का बार-बार फैसला लिए जाने के बावजूद, यह नहीं किया जा रहा है।

पार्टी सदस्यता और जनसंगठनों की सदस्यता में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। मजदूर वर्ग, किसानों तथा सामाजिक रूप से वंचित तबकों के बीच पहुंच बढ़ी है। आदिवासियों के बीच काम में नयी पहलें की गयी हैं। इस दौर में जनसंघर्ष भी बढ़े हैं, जिनमें संबंधित इलाके के प्रासंगिक मुद्दों पर स्थानीय संघर्ष भी शामिल हैं।

जनांदोलनों का आगे बढ़ना सुधार की कुंजी है। बहरहाल, ज्यादातर जनसंगठनों के काम-काज में गंभीर कमजोरियां बनी हुई हैं। झारखंड में एक भी जनसंगठन का अपना सक्रिय राज्य केंद्र नहीं है। यह सबसे बड़ी कमजोरी है और इसका, इन संगठनों के स्वतंत्र काम-काज तथा संघर्ष की पहलों पर, गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।

मजदूर वर्ग के बीच काम प्राथमिकता पर है। बहरहाल, इसमें सांगठनिक कमजोरी बनी हुई है। न तो वर्गीय संगठन का कोई केंद्रीय राज्य कार्यालय है और न ही जिला कमेटियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

किसान आंदोलन का अनेक संघर्षों के बीच से विकास हुआ है, जिनमें विस्थापन के खिलाफ और भूमि पर कब्जे के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलें भी शामिल हैं। केंद्रीय

काम-काज में भी सुधार हुआ है क्योंकि अपेक्षाकृत ज्यादा साथी राज्य केंद्र से काम करने के लिए उपलब्ध हैं। सदस्यता में बढ़ोतरी की संभावनाओं का उपयोग नहीं हो पाया है।

अन्य जनसंगठनों में लैंगिक मुद्दों पर महिलाओं के संघर्ष बढ़े हैं, जिसकी अभिव्यक्ति बढ़ी हुई सदस्यता में भी हुई है। बहरहाल, इस मामले में भी कोई राज्य केंद्र नहीं है। जनकार्य में एक बड़ी कमजोरी, छात्रों तथा युवाओं के बीच काम में है। यदा-कदा किए जाने वाले हस्तक्षेपों को छोड़कर, छात्रों के बीच कोई काम ही नहीं है। युवाओं के बीच भी, मुख्यत: राज्य केंद्र के स्तर पर कमजोरी होने के चलते, संभावनाओं को हासिल नहीं किया जा सका है।

जहां तक सामाजिक समूहों का सवाल है, आदिवासियों के बीच हमारे काम में कुछ बढ़ोतरी हुई है और हाल ही में उनके एक सदस्यता-आधारित संगठन की स्थापना की गयी है।

उत्तर प्रदेश

पूरे देश के और हिंदीभाषी क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य में पार्टी संगठन बहुत ही कमजोर है। उत्तर प्रदेश हिंदू सांप्रदायिक गोलबंदी का केंद्र बन गया है, जिसकी शुरूआत रामजन्मभूमि आंदोलन के साथ हुई थी। 1990 के दशक में तेजी से जातिगत आधार पर राजनीति का स्तर विभाजन भी हुआ था। इस राज्य में पार्टी और वामपंथ का जितना भी जनाधार तथा प्रभाव था भी, उसे भी इस दुहरे घटनाविकास ने हाशिए पर खिसका दिया। कुल नतीजा यह हुआ है कि पिछले दो दशकों में पार्टी के जनाधार तथा जनांदोलनों का कोई विस्तार नहीं हुआ है। उल्टे जनता को गोलबंद करने की पार्टी की सामर्थ्य में गिरावट ही आयी है।

एक सक्रिय राज्य केंद्र कायम करने में कुछ सफलता मिली है और छ: सेक्रेटेरियट सदस्य लखनऊ से काम कर रहे हैं। बहरहाल, राज्य सेक्रेटेरियट तथा राज्य केंद्र की टीम के सुसंबद्ध तरीके से काम करने का अभाव है। स्वतंत्र व बेलाग बहस और सामूहिक समझदारी बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर पार्टी संगठन में अनेक कमजोरियां हैं। ज्यादातर ब्रांचें सक्रिय इकाई के तौर पर काम नहीं कर रही हैं और स्थानीय मुद्दों पर गतिविधियां शुरू नहीं कर पाती हैं। 11 जिला कमेटियों में से कुछ में ही सक्रिय जिला केंद्र काम कर रहे हैं, जहां जिला सचिव और सेक्रेटेरियट के एक-दो सदस्य, जिला केंद्र की रीढ़ की तरह काम करते हैं। जिला कमेटियों के और जिला केंद्रों के काम-काज को विकसित करने की जरूरत है।

प्राथमिकता वाले जिलों के चयन के तजुर्बे के भी कोई नतीजे नहीं मिले हैं क्योंकि न तो वहां राज्य केंद्र की ओर से अपनी ऊर्जा का कोई वास्तविक केंद्रीकरण हुआ और न ही राज्य केंद्र के लिए, प्राथमिकता वाले जिलों तथा मोर्चों के विकास के लिए पर्याप्त कार्यकर्ताओं व संसाधनों को लगाना संभव हुआ।

एक बड़ी कमजोरी यह रही कि राज्यभर में कहीं भी किसी ध्यान देने लायक तरीके से सामाजिक मुद्दों को नहीं उठाया जा सका। राज्य नेतृत्व खुद ही, सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए जरूरी जोर तथा दिशा देने में विफल रहा। इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सबसे कम होलटाइमरों वाले राज्यों में से है। होलटाइमरों को दिया जाने वाला वेतन भी कम है। राज्य केंद्र पर भी, विवाहित होलटाइमर को 3,000 रु0 महीना ही मिलता है। जनता से नियमित रूप से चंदा करने का कोई अभ्यास नहीं है। राज्य कमेटी को सार्वजनिक चंदे का आह्वान करना चाहिए और सभी राज्य कमेटी सदस्यों को खुद चंदा अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए।

जनसंगठनों में खेत मजदूर संगठन की सदस्यता में कुछ बढ़ोतरी हुई है। 2004-05 के 64,370 के आंकड़े से बढ़कर 2013-14 में यह सदस्य संख्या 1,08,172 तक पहुंच गयी। अकेले महिला संगठन ने ही महिलाओं के विभिन्न मुद्दे उठाने के जरिए, एक हद तक काम-काज में स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया है और 2014 में उसकी सदस्यता 64,284 थी। ट्रेड यूनियन मोर्चे को, संगठन के केंद्र पर इस काम के लिए योग्य कार्यकर्ताओं के अभाव और व्यक्तिवादी काम-काज से नुकसान पहुंचा है। छात्र मोर्चा प्रगति नहीं कर पा रहा है और उसकी सदस्यता सिर्फ 6,643 है।

पार्टी में नये तथा युवा कार्यकर्ताओं की भर्ती का अभाव है, जो कि सदस्यता के आयुगत गठन की दरिद्रता से साफ हो जाता है। 31 वर्ष से कम आयु वालों का हिस्सा सिफ 8.3 फीसद है। पार्टी को छात्र मोर्चे पर और जनसंगठनों से युवा कार्यकर्ताओं की भर्ती पर ध्यान देना होगा।

राजस्थान

पिछले विधानसभाई चुनाव में धक्का लगने के बाद से, सांगठनिक गतिविधियों में कुछ कमजोरी आयी थी। बहरहाल, पार्टी सम्मेलनों के दौरान इस पर काबू पा लिया गया। राज्य में पार्टी और जनसंगठनों का कोई उल्लेखनीय विस्तार नहीं हुआ है।

भाजपायी सरकार की लोकप्रियता गिरावट पर है और हमारी पार्टी ने संघर्ष संगठित करने के लिए अनेक मुद्दे उठाए हैं। जनांदोलनों के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं और

इस काम को गंभीरता से लेना होगा। इससे निश्चित रूप से पार्टी तथा जनसंगठनों के विस्तार में मदद मिलेगी। राज्य कमेटी ने, राज्य सम्मेलन के दिए निर्देशों का अमल के लिए हाथ में लिया है। सभी जनसंगठनों के नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी कक्षाएं आयोजित की गयी हैं। इनसे इन संगठनों को एक निश्चित अवधि में अपने विस्तार की योजनाओं को लागू करने के लिए बल मिलेगा। उपकमेटियों तथा फ्रैक्शन कमेटियों ने अपने कार्यक्रम तय कर लिए हैं और उनके अमल के लिए इन संगठनों का मार्गदर्शन कर रही हैं। पिछले राज्य सम्मेलन में संगठन की जिन कमजोरियों की निशानदेही की गयी है, उन्हें दूर करना होगा। ये कमजोरियां हैं: पार्टी ने अब तक अपनी कार्यकर्ता नीति तैयार नहीं की है, जो कार्यकताओं की समुचित भर्ती, प्रशिक्षण तथा उनके भरण-पोषण का प्रावधान करे। हालांकि, राज्य कमेटी के स्तर पर काम-काज में कुछ सुधार हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण जिला कमेटियों के अंतर्गत तहसील स्तर पर काम-काज कमजोर बना हुआ है। ब्रांचों के काम-काज में कमी अब भी पार्टी के विकास के रास्ते में मुख्य बाधा बनी हुई है। लेवी संग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। दुरुस्तीकरण का अभियान कागज तक ही सीमित रहा है। सामाजिक मुद्दे उठाने में कमी है। राजस्थान की ठोस परिस्थितियों को हिसाब में लेकर, कोई केंद्रित तरीके से सांप्रदायिकताविरोधी अभियान नहीं चलाया गया है। इन खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

पिछले राज्य सम्मेलन में कुछ गुटबाजाना रुझान देखने को मिले थे, जिनकी अभिव्यक्ति राज्य कमेटी के चुनाव में भी हुई थी। पैनल के दो सदस्यों को, जिनमें एक राज्य स्तर पर प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता भी शामिल था, सुनियोजित तरीके से हरा दिया गया। ऐसा लगता है कि एक जिले में लंबे अर्से से हावी गुटबाजी अब दूसरे इलाकों में भी फैल गयी है। इससे निपटा जाना चाहिए और सही सांगठनिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

जनसंगठन कोई नयी जमीन नहीं तोड़ पाए हैं। एक छात्र मोर्चा ही है जिसने महत्वूर्ण प्रगति दर्ज करायी है। लेकिन, इस मोर्चे पर पार्टी निर्माण की समुचित योजना नहीं बनायी गयी है। किसान संगठन अपने पहले के शिखर तक नहीं पहुंच पहुंच पाया है। कुछ गुटबाजाना प्रवृत्तियों के चलते ट्रेड यूनियन मोर्चे पर कुछ प्रतिकूल असर पड़ा है। खेत मजदूर यूनियन तीन जिलों से आगे नहीं फैल पायी है। महिला मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं हुई है और युवा मोर्चे पर थोड़ी सी ही बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

एक मासिक हिंदी बुलेटिन का प्रकाशन शुरू हुआ है और पार्टी साहित्य की बिक्री में कुछ सुधार हुआ है।

राजस्थान की भाजपा सरकार, सभी क्षेत्रों में सबसे प्रतिक्रियावादी सरकार है। यह

सरकार जनतांत्रिक अधिकारों पर भी हमले कर रही है, जैसे पंचायत चुनाव लड़ने के लोगों के अधिकार पर अंकुश लगाना। सरकार की सभी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में पार्टी को आगे-आगे रहना चाहिए।

पार्टी को, आदिवासी इलाकों में काम का विस्तार करने पर और दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा अन्य उत्पीड़ित तबकों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाने पर विशेष ध्यान देना होगा।

राज्य केंद्र को मजबूत करना होगा। उपलब्ध सेक्रेटेरियट सदस्यों की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि पार्टी के हस्तक्षेप में बढ़ोतरी हो। राज्य कमेटी को जनसंगठनों के काम की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। यह जरूरी है कि सार्वजनिक चंदे के जरिए नकदी तथा सामान इकट्ठा किया जाए और अलग से एक होलटाइमर कोष खड़ा किया जाए। ब्रांचों के काम-काज में सुधार प्राथमिकता वाला काम है। पार्टी को सभी स्तरों पर पार्टी शिक्षा को ऊपर उठाना होगा। पार्टी कमेटियों के काम-काज में जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांतों का व्यवहार किया जाना जरूरी है।

पंजाब

पंजाब में पार्टी की महान परंपराएं रही है। वह भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरूआती केंद्रों में से एक रहा है। जब सी पी आइ (एम) का गठन हुआ था, कम्युनिस्ट आंदोलन के पुराने नेताओं में से एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आया था। खालिस्तानी फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ और देश की एकता के लिए संघर्ष में, पार्टी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन, जनता की फौरी समस्याओं को उठाने और आंदोलन व संघर्ष संगठित करने में विफलता के चलते, पार्टी इस राज्य में आंदोलन को टिकाए रखने तथा विस्तार करने में नाकाम रही है।

राज्य केंद्र में तथा अनेक जिला केंद्रों पर सामूहिक काम के अभाव में तथा गुटबाजी जारी रहने ने, पार्टी तथा जनमोर्चों को कमजोर किया है। इस दौर में पार्टी को दो-दो राज्य सचिवों को, पार्टी अनुशासन भंग करने तथा दुर्व्यवहार के लिए पार्टी से निष्कासित करना पड़ा है। क्षुद्र झगड़ों के जारी रहने का मुख्य कारण है, कार्यकर्ताओं का राजनीतिक-विचारधारात्मक स्तर नीचा बना रहना।

पाटी की चुनावी शक्ति लगातार घट रही है। फिर भी यह एक सचाई है कि जब

भी हमने आम जनता के मुद्दे उठाए हैं तथा हम जनता के बीच गए हैं, पार्टी और जन मोर्चों को जनता से अच्छा समर्थन मिला है। पार्टी, जनसंगठनों के अखिल भारतीय सम्मेलनों के लिए आर्थिक साधन जुटाने में कामयाब रही है।

जन मोर्चों में ट्रेड यूनियन मोर्चा सक्रिय है तथा विस्तार भी कर रहा है। लेकिन, राज्य केंद्र पर और अनेक जिला केंद्रों में भी, पार्टी और ट्रेड यूनियन नेतृत्व के बीच तालमेल का अभाव है। किसान तथा खेत मजदूर आंदोलन के विस्तार की गुंजाइश है। इन दोनों मोर्चों को, अपने राज्य केंद्रों तथा जिला कमेटियों के काम-काज को मजबूत करना चाहिए। हाल ही में छात्र-युवा मोर्चों को सक्रिय करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। छात्र तथा युवा मोर्चों को सक्रिय किए बिना, कार्यकर्ताओं तथा पार्टी सदस्यों की औसत उम्र बढ़ने की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। 31 वर्ष से कम आयु के सदस्यों का हिस्सा इस समय सिर्फ 10.2 फीसद है। महिला मोर्चा निष्क्रिय है और उसे सक्रिय करने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जनता के फौरी मुद्दे उठाने और आंदोलन तथा संघर्ष खड़े करने में कमजोरी है।

राज्य सेक्रेटेरियट और राज्य कमेटी को सामूहिक काम-काज को मजबूत करने और परस्पर विश्वास का निर्माण करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। एकजुट राज्य नेतृत्व ही, जिलों की सांगठनिक समस्याओं को हल कर सकता है। नेतृत्व को सामने आने वाले मुद्दों को निजी पसंद-नापसंद के आधार पर नहीं, सांगठनिक सिद्धांतों के आधार पर देखना चाहिए। जन मोर्चों को स्वतंत्र व जनतांत्रिक, जनसंगठनों के रूप में काम करना चाहिए। पार्टी के नेताओं को, जो जनमोर्चों के नेताओं की हैसियत से काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा पार्टी के निर्णयों का पालन करना चाहिए और उन्हें जनमोर्चे के अपने काम के अलावा पार्टी के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सदस्यता में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 6 फीसद है। हालांकि, हमारा आंगनवाड़ी आंदोलन बहुत मजबूत है और आंगनवाड़ी आंदोलन की अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जतायी है, अनेक जिला कमेटियां उन्हें पार्टी में भर्ती करने के प्रति अनिच्छुक हैं। पार्टी को महिलाओं की और बड़ी संख्या में भर्ती करने के लिए प्रयास करने चाहिए। पार्टी सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं की बढ़ती औसत आयु, पंजाब में एक और सांगठनिक समस्या है। 44.5 फीसद पार्टी सदस्य अनुसूचित जाति से हैं, लेकिन जिला कमेटियों में तथा राज्य कमेटी में उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

गुजरात

गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आरएसएस-भाजपा की जड़ें जमी हुई हैं और वे मध्य वर्ग के हिस्सों को तथा अन्य तबकों को सांप्रदायिक बनाने में सफल रहे हैं। ऐसे हालात में, एक समुचित योजना होनी चाहिए, जिसके तहत प्राथमिकता वाले जिलों तथा मोर्चों का चुनाव किया जाए, जिन पर पार्टी के सीमित संसाधनों को केंद्रित किया जा सके।

साबरकांठा-अरावली जिलों के आदिवासी इलाकों में काम में कुछ प्रगति हुई है। इन जिलों में, जिनमें विशाल आदिवासी आबादी है, काम को केंद्रित करने के लिए, योजनाएं बनानी होंगी। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से लगते हुए आदिवासी इलाकों में, जहां कुछ संभावनाएं हैं, काम में तालमेल करने के लिए भी योजना बनानी होगी। सामाजिक मुद्दे उठाने की जरूरत है।

भावनगर में, खासतौर पर मध्य वर्ग के बीच और अन्य जिलों में भी, पार्टी के मुख्य आधार का क्षय हुआ है। बहरहाल, जनता के विभिन्न तबकों के बीच और खासतौर पर युवाओं व किसानों के बीच बढ़ते असंतोष का उपयोग कर, फौरी मांगों पर आंदोलनों तथा संघर्षों का निर्माण किया जा सकता है।

हालांकि यह राज्य देश के औद्योगिक नक्शे पर काफी ऊंचाई पर है, जहां उद्योग कुछ जिलों में केंद्रित हैं, ट्रेड यूनियन मोर्चे पर कोई बताने लायक विकास नहीं हुआ है।

छात्र तथा युवा मोर्चों पर काम पर फौरन ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसकी लंबे अर्से से उपेक्षा की जाती रही है। किसानों के बीच काम बढ़ाया जाना चाहिए और इसके साथ ही खेत मजदूरों को अलग से संगठित करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। आंगनवाड़ी तथा आशा वर्करों को उनकी मांगों के गिर्द गोलबंद करने में कुछ सफलता मिली है। इन महिला कार्यकर्ताओं का उपयोग, महिला संगठन का विस्तार करने के लिए और नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए भी किया जाना चाहिए।

राज्य केंद्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल सिर्फ एक ही सेक्रेटेरियट सदस्य राज्य केंद्र से काम कर रहा है।

पार्टी ब्रांचों, कार्यकर्ताओं तथा कमेटियों को सक्रिय किया जाना चाहिए और जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जन तथा वर्गीय संघर्ष छेड़े जाने चाहिए।

सभी वर्गीय तथा जनसंठनों के काम-काज को चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा।

पार्टी शिक्षा की योजना बनानी होगी और ब्रांच स्तर से लेकर ऊपर तक नियमित आधार पर और व्यवस्थित तरीके से कक्षाएं लेनी होंगी।

कार्यकर्ता नीति सूत्रबद्ध करनी होगी और बुनियादी वर्गों तथा महिलाओं के बीच से नये कार्यकर्ता भर्ती करने के लिए कदम उठाने होंगे। होलटाइमर फंड इकट्‌ठा करने के लिए और होलटाइमरों को समय पर वेतन देने के लिए, विशेष अभियान छेड़ना होगा।

हरियाणा

हरियाणा देश का अनाज का कटोरा कहलाने वाले क्षेत्र में आता है। अविभाजित पंजाब से अलग कर यह राज्य बनाया गया था। इससे पहले देश के विभाजन से पहले और फौरन बाद में, यहां से बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी का पलायन हुआ था। इसलिए, इस क्षेत्र में जहां खेतिहर जातियों का विशाल हिस्सा, सिंचाई परियोजनाओं व कृषि क्रांति से काफी हद तक लाभान्वित हुआ है, आरएसएस के कुछ पुराने प्रभाव क्षेत्रों को छोड़कर, राजनीतिक गोलबंदी के मुख्य आधार के रूप में बहुत हद तक जाति का प्रश्न ही काम करता रहा है, न कि सांप्रदायिक प्रश्न। दिल्ली से सटा हुआ होने के चलते, परमिट-लाइसंस राज ने भी इस राज्य में तथा खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी से लगते हुए, इस राज्य के दक्षिणी हिस्से में, नये उद्योगों के विकास का रास्ता बनाया था।

पंजाब के विपरीत, इस राज्य में पार्टी का इतिहास, अपेक्षाकृत हाल का ही है। इमर्जेंसी के विरुद्ध संघर्ष से और छात्र आंदोलन के विकास के बीच से कार्यकर्ता निकल कर आए थे, जिन्होंने पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

कार्यकर्ताओं की इस पीढ़ी के ट्रेड यूनियन तथा किसान आंदोलन के निर्माण का काम संभालने के साथ, पार्टी का निर्माण शुरू हुआ था। हालांकि, राज्य में पार्टी अब भी छोटी ही है, फिर भी उसकी एक बडी शक्ति, उसके गुटबाजी से बरी होने तथा एकजुट बनी रहने में है। कुल मिलाकर वामपंथ का प्रभाव थोड़ा ही है और पार्टी का विकास मुख्य रूप से संगठित प्रयासों से ही हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में जन तथा वर्गीय संगठनों की गतिविधियों का विस्तार हुआ है। पार्टी का सामाजिक गठन एक अच्छी तस्वीर पेश करता है, जहां पार्टी की कतारों में दलितों की काफी बड़ी संख्या है। हरियाणा की पार्टी दलित समुदाय के खिलाफ बड़े जगह-जगह पर होने वाले हमलों के प्रति संवेदनशील बनी रही है और उसने हमेशा ऐसे अत्याचार के प्रमुख प्रकरणों पर अपना विरोध दर्ज कराया है। महिला आंदोलन भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा उनका विस्तार करने में और खासतौर पर तथाकथित घर की इज्जत तथा समुदाय की इज्जत के जाति-संचालित एजेंडा से जुड़े प्रश्न उठाने में सक्रिय रहा है।

फिर भी इन सकारात्मक विकासों को अब तक राजनीतिक चेतना के स्तर के बड़े

पैमाने पर ऊपर उठाए जाने में तब्दील नहीं किया जा सका है। विभिन्न तबकों के संघर्षों को वर्गीय व जनसंगठनों के जमीनी स्तर के ताने-बाने में किसी उल्लेखनीय बढ़ोतरी में सुदृढ़ नहीं किया जा सका है। इससे, लड़ाकू कार्यकर्ताओं की पार्टी में भर्ती जिस हद तक संभव थी, उस हद तक होने में बाधा पड़ी है। एक और बड़ी कमजोरी, दक्षिणी हरियाणा में उभर कर आ रहे नये औद्योगिक केंद्रों में ट्रेड यूनियनों का निर्माण करने में विफलता है।

परंपरागत रूप से राज्य की राजनीति द्विध्रुवीय रही है, जो एक ओर कांग्रेस और दूसरी ओर, देवीलाल-ओम प्रकाश चौटाला के राष्ट्रीय लोकदल के बीच विभाजित रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में ही पहली बार भाजपा बड़े पैमाने पर चुनावी कामयाबी हासिल करने में सफल रही थी और वह भी बहुत हद तक नकारात्मक रूप से। हालांकि, सी पी आइ (एम) राज्य में वामपंथी पार्टियों में बड़ी है, कुल मिलाकर वामपंथ इतना कमजोर है कि राज्य में जो राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था, उसका फायदा नहीं लिया जा सका। सतत स्थानीय संघर्षों पर, खेती के मुद्दों पर संघर्ष को प्राथमिकता देने पर, दक्षिणी हरियाणा में ट्रेड यूनियन से संचालित विकास को आगे बढ़ाने पर और सामाजिक मुद्दों के आधार पर हरियाणा के समाज का जनतांत्रीकरण करने पर तथा संप्रदायकीरण की बढ़ती कोशिशों का मुकाबला करने पर, ध्यान केंद्रित रखना होगा।

यह बहुत ही जरूरी है कि किसान आंदोलन का एक समुचित केंद्र कायम किया जाए। छात्र आंदोलन पर, जिसका फिर से संगठित होना शुरू हुआ है, लगातार ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश

हिंदीभाषी राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासी व दलित आबादी वाला राज्य है। यह ऐसा राज्य है जहां अगर मुद्दों की सही तरीके से पहचान की जा सके और उन्हें व्यवस्थित तरीके से उठाया जा सके, तो पार्टी की शक्ति का विस्तार हो सकता है। पिछले कुछ ही समय से पार्टी राज्य के विभिन्न हिस्सों में, विस्थापन का मुद्दा उठा रही है। यहां राज्य सरकार द्वारा कार्पोरेट स्वार्थों को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की खुली छूट दी जा रही है। पार्टी ने यह भी तय किया है कि इन संघर्षों के साथ ही जुड़े अन्य ग्रुपों या सामाजिक आंदोलनों के साथ, एकता कायम की जाए या रिश्ते कायम किए जाएं। हम अगर गंभीरता से इस काम को करेंगे, इससे निश्चित रूप से नतीजे निकलेंगे। ज्यादातर आदिवासी ही विस्थापित किए जा रहे हैं। प्रश्नावली पर अपने जवाब में राज्य कमेटी ने कहा है कि आदिवासियों के बीच हमारे काम में (झाबुआ-रतलाम) कुछ सुधार दिखाई

दे रहा है। यह एक उत्साहवर्द्धक संकेत है और विस्थापन के खिलाफ संघर्ष हाथ में लेने होंगे और सतत रूप से उन पर लड़ना होगा।

अनेक जिलों में भारी गतिरोध है और यहां तक कि कई में तो पीछे फिसलने की भी नौबत आयी है। इसका उपचार करना होगा। हिंदीभाषी राज्यों में शायद मध्य प्रदेश में ही समर्थ तथा सुशिक्षित राज्य स्तरीय नेताओं की सबसे बड़ी संख्या है। उन्हें इसके लिए प्रेरित करना होगा कि अपने हस्तक्षेपों को बढ़ाएं और उनके ज्यादातर काम में जो शिथिलतापूर्ण, ढर्राबद्धता आ रही है, उससे बचें। राज्य केंद्र के काम में और राज्य सेक्रेटेरियट के काम-काज में सुसंबद्धता में सुधार की जरूरत है। उनका आपसी तालमेल बढ़ना चाहिए और उन्हें बेलाग तरीके से मुद्दों पर तथा अपने मतभेदों पर बहस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जनसंगठनों की बहुत ही कम सदस्यता के लिए राज्य नेतृत्व की उक्त कमजोरियां ही जिम्मेदार हैं। यह बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है कि ऐसा कोई जनसंगठन ही नहीं है जिसकी सदस्य संख्या उल्लेखनीय हो। ट्रेड यूनियन मोर्चा निश्चित रूप से अच्छी प्रगति दिखा सकता है। कोयला तथा इस्पात मजदूरों के बीच हाल की हड़तालें बहुत ही सफल रही थीं और उनमें अस्थायी मजदूरों की बहुत विशाल संख्या ने सबसे सक्रिय तथा सबसे जुझारू भूमिका अदा की थी। इसलिए, ट्रेड यूनियन के विकास की बहुत भारी संभावनाएं हैं। अन्य हिंदीभाषी राज्यों के विपरीत, मध्य प्रदेश में अब भी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में अनेक बड़े उद्योग हैं। मजदूरों के बीच हमारा काम बढ़ना चाहिए और पार्टी में उनकी भर्ती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार, इसके बावजूद कि मध्य प्रदेश में देशभर में सबसे ज्यादा आदिवासी तथा गैरआदिवासी भूमिहीन रहते हैं, खेत मजदूर संगठन पर इस राज्य में खास ध्यान ही नहीं दिया गया है।

महिला मोर्चा इस राज्य में पिछले कई दशकों से सक्रिय है, लेकिन उसकी सदस्यता व आंदोलन में जो गतिरोध बना हुआ है उस पर चर्चा किए जाने, उसे समझे जाने और उससे निपटे जाने की जरूरत है।

युवा तथा छात्र मोर्चों पर भी इसी तरह से ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश पार्टी इस लिहाज से भी सौभाग्यशाली है कि राज्य के कुछ प्रमुख लेखक तथा बुद्धिजीवी पार्टी की कतारों में हैं। विभिन्न मंचों को तथा लेखक संगठनों को सक्रिय करना होगा और नयी प्रतिभाओं को, खासतौर पर आदिवासियों व दलितों के बीच से ऐसी प्रतिभाओं को खींचना होगा।

राज्य कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सामाजिक मुद्दों पर कुछ खास

नहीं किया जा रहा है और सामाजिक रूप से वंचित तबकों से कामरेडों को भर्ती करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विशेष प्रयास करने की जरूरत होगी, ताकि इस दिशा में सुधार किया जा सके।

जहां तक युवा कार्यकर्ताओं की भर्ती का सवाल है, स्थिति दयनीय है और उसे दुरुस्त करना ही होगा। इसके अलावा, 90 फीसद पार्टी सदस्यों के कार्यक्रम ही न पढ़े होने का अर्थ यह है कि समूची पार्टी की राजनीतिक शिक्षा को फौरी काम के तौर पर हाथ में लेना होगा।

छत्तीसगढ़

अविभाजित मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद, सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। इस खनिज–धनी राज्य की आबादी में 33 फीसद आदिवासी और 12 फीसद दलित शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में ही माओवादियों का सबसे मजबूत आधार है।

अपनी स्थापना के समय से ही पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित तथा अनुभवी कार्यकर्ताओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, पार्टी की गतिविधियां बढ़ी हैं, फिर भी ये गतिविधियां मुख्यत: प्रतीकात्मक होती हैं, जिनमें लोगों की हिस्सेदारी सीमित ही होती है। कुछ जिला कमेटियों ने कुछ परिणामोन्मुखी स्थानीय मुद्दे उठाने में पहलकदमी दिखाई है, फिर भी मुख्य कमजोरी अब भी स्थानीय मुद्दों पर सतत संघर्ष छेड़ने के मामले में ही है।

राज्य कमेटी और जिला कमेटियों की बैठकें अब नियमित रूप से हो रही हैं और इस स्तर तक, राजनीतिक रिपोर्टिंग भी हो रही है। लेकिन, चूंकि एरिया कमेटी तथा ब्रांच स्तर तक राजनीतिक रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, पार्टी कतारों का स्तर बहुत ही निचला बना हुआ है, जिसका समूची पार्टी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ट्रेड यूनियन फ्रंट को छोड़कर, जोकि नियमित तरीके से काम कर रहा है, दूसरे सभी वर्गीय तथा जनसंगठन बहुत ही कमजोर हैं। इसकी मुख्य वजह है, कार्यकर्ताओं की भारी कमी। राज्य कमेटी और जिला कमेटियों को जनसंगठनों को मजबूत करने के लिए और अपने–अपने जिले में कायम ही नहीं हुए जनसंगठनों का निर्माण करने के लिए, ठोस कदम उठाने होंगे। कार्यकर्ताओं का विकास करने के काम को गंभीरता से लेना होगा।

युवा तथा छात्र मोर्चे काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी को इन दोनों मोर्चों पर ध्यान देना चाहिए और छात्र मोर्चे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आदिवासियों, किसानों तथा छात्रों के बीच जनसंगठनों तथा पार्टी के विकास की खासतौर पर भारी संभावनाएं हैं। शर्त यह है कि पार्टी उनके फौरी मुद्दों को उठाए और सतत संघर्षों में उन्हें गोलबंद करे। इसके लिए जरूरी है कि ऊपर से नीचे तक जन-दृष्टि तथा जन-लाइन का विकास किया जाए और पार्टी को इस दिशा में मोड़ा जाए। अपने मुद्दों पर आम जनता को गोलबंद करने में एरिया कमेटियों और ब्रांचों की केंद्रीय भूमिका है। इसलिए, पार्टी राज्य केंद्र तथा जिला केंद्रों को उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सक्रिय करना होगा और उनकी राजनीतिक चेतना व पहलकदमी के विकास और उनके प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

आठ में से छः राज्य सेक्रेटेरियट सदस्य पार्टी के राज्य केंद्र से काम कर रहे हैं। उन्हें सामूहिक काम-काज तथा आपसी विश्वास को विकसित करना होगा ताकि पार्टी संगठन और वर्गीय व जनसंगठनों को चुस्त-दुरुस्त बनाया जा सके और उनकी उन्मुखता बदली जा सके। उन्हें जिला स्तर पर भी सामूहिक काम-काज और टीम भावना का विकास करना होगा।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में 1977 में पार्टी का पुनर्गठन किया गया था। उस समय राज्य में सदस्यों की संख्या कुल 70 थी। 1978 में औपचारिक रूप से पार्टी राज्य कमेटी का चुनाव किया गया था। अब पार्टी की कुल सदस्य संख्या 2,360 है। जनसंगठनों की मौजूदा कुल सदस्यता, 1,55,500 है। राज्य में चार जिला कमेटियां और दो जिला संगठन कमेटियां काम कर रही हैं। 90 कामरेड, जो अपेक्षाकृत युवा हैं, होलटाइमरों के रूप में काम कर रहे हैं। पी डी और लोकलहर की कुल ग्राहक संख्या, 600 है।

हिमाचल प्रदेश में दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। इस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार है। पिछले चुनाव के समय तक राज्य में भाजपा की सरकार थी। चुनाव के दौरान इन दो पार्टियों के बीच ही ध्रुवीकरण हो जाता है। हमारा मुख्य आधार शिमला और उसके गिर्द के इलाके में है। हमारे कामरेड शिमला नगर निगम के मेयर तथा उप-मेयर के पदों के लिए चुने गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में पार्टी की प्रतिष्ठा और बढ़ी है। पार्टी राज्य सम्मेलन ने राज्य में एक वाम-जनवादी मोर्चे के निर्माण का आह्वान किया था। इस दिशा में राज्य सम्मेलन ने यह निर्णय लिया था कि प्राथमिकता वाले इलाकों, ऐसी विधानसभाई सीटों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और 2017 में होने वाले चुनाव में विधानसभा में प्रवेश पाने के लिए काम किया जाए।

राज्य सम्मेलन द्वारा तय किए गए निम्नलिखित सांगठनिक कामों को अमल के लिए हाथ में लेना होगा: अ) राजनीतिक-सांगठनिक काम को मजबूत करना; आ) दलितों, महिलाओं तथा आदिवासियों के मुद्दे उठाना; इ) होलटाइमरों के लिए समुचित विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रशिक्षण; ई) होलटाइमर नीति को अद्यतन बनाना ; उ) सभी स्तरों पर पार्टी तथा जनसंगठनों के केंद्रों को मजबूत करना; ऊ) सभी स्तरों पर दुरुस्तीकरण अभियान।

शिमला, कुल्लू तथा मंडी जिलों की प्राथमिकतावाले जिलों के रूप में पहचान की गयी है। किसान सभा तथा छात्र मोर्चे को राज्य में प्राथमिकता के जनसंगठनों के रूप में चुना गया है। यह भी तय किया गया है कि अधिकतम स्थानीय संघर्ष छेड़े जाएं।

हिमाचल प्रदेश में 90 फीसद आबादी गांवों में रहती है और कुल 68 फीसद आबादी खेती तथा बागवानी की गतिविधियों पर निर्भर है। किसान मोर्चे ने सेब जैसी पैदावारों की दाम और भंडारण के मुद्दे उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद, सरकारी व वन भूमियों से किसानों की बेदखली का, अपनी जमीनों व घरों से उनकी बेदखली का मुद्दा, एक मुख्य मुद्दा था जो उठाया गया। किसान मोर्चे ने किसानों को संगठित किया तथा इस मुहिम का प्रतिरोध किया और राज्य सरकार को इसका एलान करना पड़ा कि वह गरीब किसानों के लिए नीति सूत्रबद्ध करेगी। इससे राज्य में हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जलविद्युत परियोजनाओं तथा अन्य गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए जमीन के जबरिया अधिग्रहण के खिलाफ जुझारू प्रतिरोध का था। मजदूर वर्ग तथा किसान को जोड़कर, पार्टी ने प्रभावित तबकों को और ज्यादा मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर पहल की। ज्यादातर जगहों पर किसानों तथा मजदूर वर्ग के संघर्ष सफल रहे। विभिन्न जनमुद्दों पर वहनीय आधार पर स्थानीय संघर्ष छेड़े गए हैं, जिससे लोकप्रिय समर्थन हासिल करने में हमारी पार्टी तथा जनसंगठनों को मदद मिली है।

हिमाचल प्रदेश में छात्र मोर्चा लगातार आगे बढ़ता रहा है और यह ऐसा अकेला मोर्चा है जिसका राज्यव्यापी ताना-बाना है तथा प्रभाव है। यह मोर्चा पार्टी को युवा तथा शिक्षित कार्यकर्ता व होलटाइमर मुहैया कराता आया है। फिर भी पिछले दो वर्षों से राज्य सरकार ने छात्रों के खिलाफ, जो बड़े पैमाने पर निजीकरण तथा फीस में बढ़ोतरियों का विरोध कर रहे हैं, नृशंस हमले किए हैं।

राज्य में समग्रता में पार्टी का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पार्टी राजनीतिक तथा विचारधारात्मक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, पार्टी स्कूलों व कक्षाओं के आयोजन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य कमेटी तथा अन्य इकाइयों की बैठकों की आवृत्ति

को बढ़ाना होगा। राज्य सेक्रेटेरियट के सदस्यों को, पार्टी राज्य केंद्र के काम के लिए कहीं ज्यादा समय देना चाहिए। परियोजना क्षेत्रों में चल रहे जुझारू प्रतिरोध को, पार्टी के विस्तार में तब्दील किया जाना चाहिए। स्थानीय संघर्ष संगठित करने की पहले से जारी प्रक्रिया को और चुस्त-दुरुस्त किया जाना चाहिए। छात्र मोर्चे से युवा कार्यकर्ताओं को होलटाइमरों के रूप में भर्ती करने पर और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

दिल्ली

दिल्ली राज्य कमेटी, राज्य सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए कदम उठा रही है। पार्टी और अधिकांश जनसंगठनों की सदस्यता में कुछ बढ़ोतरी हुई है। पार्टी में महिलाओं की भरती एक सकारात्मक विशेषता है। समीक्षा करने तथा काम तय करने के लिए, राज्य सेक्रेटेरियट तथा राज्य कमेटी की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। कमेटी ने होलटाइमरों के लिए एक समुचित वेतन नीति लागू करने की कोशिश की है। पार्टी उल्लेखनीय रूप से बड़ा होलटाइमर फंड निर्मित करने में भी सफल रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा नागरिक सुविधाओं के सवालों पर अनेक स्थानीय संघर्ष चलाए गए हैं, जिनसे कुछ लाभ भी मिले हैं। फिर भी, आगे कदमों की कमजोरी के चलते, इन सफलताओं के फलस्वरूप पार्टी के जनप्रभाव या जनाधार में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

ट्रेड यूनियन मोर्चे पर जहां असंगठित क्षेत्र में काम बढ़ा है, औद्योगिक मजदूरों के बीच गिरावट आयी है। हाल ही में गाजियाबाद तथा नोएडा, दोनों के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों पर और ध्यान केंद्रित करना, इस क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आंदोलन में नये प्राण फूंकने के लिए जरूरी है। इस क्षेत्र में ट्रेड यूनियन आंदोलन पर कपड़ा जैसे अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों के बंद होने की भारी मार पड़ी है। औद्योगिक इलाकों में ट्रेड यूनियन आंदोलन का पुनर्जीवन सिर्फ उसकी प्रहार शक्ति से ही नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि उसका पार्टी के वर्गीय गठन तथा जुझारूपन से भी सीधा संबंध है।

छात्र मोर्चे पर, खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारी धक्का लगा है। खोयी हुई जमीन दोबारा हासिल करने के प्रयास जारी हैं। सुधार के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। युवाओं के बीच एक भी होलटाइमर नहीं है। इसका संबंधित मोर्चे के काम-काज पर प्रभाव पड़ रहा है।

महिला जनसंगठन का अलग कार्यालय है। पार्टी के कार्यक्रमों में महिलाएं बड़ी संख्या में हिस्सा लेती हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घर से काम करनेवाले

मजदूरों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलें की गयी हैं। बहरहाल, इस काम को जारी रखना जरूरी है। मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच काम पर भी, जोकि फिलहाल नगण्य है, समुचित ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिल्ली जैसे शहर में महिला, छात्र तथा युवा, तीनों मोर्चों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। जनसंगठनों का स्वतंत्र काम-काज सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही साथ, जैसाकि पार्टी कांग्रेस का निर्देश है, ट्रेड यूनियन मोर्चे को ओर अन्य इलाका-आधारित जनसंगठनों को, चुनिंदा बस्तियों में तथा मजदूर वर्ग के रिहाइशी इलाकों में, समुदाय-आधारित संगठन निर्मित करने चाहिए, जो बहुविध गतिविधियां चलाएं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हमें इलाका-आधारित संगठनों के नये रूपों की खोज करनी होगी।

दिल्ली में पार्टी तथा जनसंगठनों को कार्यकर्ताओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें होलटाइमरों की कमी भी शामिल है। पार्टी तथा जनसंगठनों की कमेटियों को फौरन इस कमी पर काबू पाने के लिए ठोस तरीकों व उपायों पर विचार करना चाहिए।

दिल्ली में मुख्य कमजोरी है, जनलाइन तथा जनदृष्टि का अभाव। राज्य कमेटी ने अपने काम की समीक्षा में स्थानीय संघर्षों और सरकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के बीच की दूरी; दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर कमजोर नीतिगत हस्तक्षेपों और राजधानी में विकसित होते मुद्दों पर पार्टी के रुख पर राजनीतिक प्रचार की अपर्याप्तता; को दर्ज किया है। अब जबकि इन कमजोरियों की पहचान कर ली गयी है, पार्टी को समुचित कदमों से इन पर काबू पाना होगा।

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष परिस्थितियों के चलते, हमारी राज्य कमेटी बड़ी कठिनाइयों के बीच पार्टी संगठन का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। हर गुजरने वाले दिन के साथ और देश में तथा खासतौर पर इस राज्य में उभरते परिदृश्य में, रोजमर्रा के काम करना भी बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। बिगड़ते सामाजिक तथा राजनीतिक हालात के बीच, कई बार तो रोजमर्रा के काम जारी रखना भी बहुत मुश्किल होता है। सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें ऐसी ब्रांचों में संगठित करना जो नियमित तरीके से काम करें, लेवी एकत्र करना तथा सदस्यों को विभिन्न जनसंगठनों में संगठित करना, आदि कामों को चुस्त-दुरुस्त करना होगा। राज्य नेतृत्व के सामूहिक काम-काज के विकास पर ध्यान देना होगा।

उर्दू भाषा में सामग्री की अनुपलब्धता, हमारे कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने तथा

मार्क्सवादी विचारधारा से लैस करने में एक बड़ी कमी बनी हुई है। हालांकि, ज्यादातर पार्टी सदस्य उत्साह के साथ पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों तथा अभियानों में हिस्सा लेते हैं, नियमित आधार पर ब्रांचों का काम-काज सुनिश्चित करने में कमी है। पार्टी संगठन से संबंधित विभिन्न जानकारियों का व्यवस्थित तरीके से रिकार्ड रखने में कमजोरी है। राज्य कमेटी और जिला कमेटियों को, इस कमजोरी को दूर करने के लिए गंभीर रूप से काम करना होगा।

जनसंठनों का जनतांत्रिक तरीके से काम-काज करना और पार्टी के काम-काज में जनवादी केंद्रीयता का सिद्धांत, दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। नियमित रूप से सार्वजनिक चंदा करने और होलटाइमरों को वेतन या भत्ता देने का कोई अभ्यास ही नहीं है। राज्य के सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण और समाज में बने हुए निषेधों को देखते हुए, महिलाओं की भर्ती नगण्य है। छात्र तथा महिला संगठनों की अनुपस्थिति, पार्टी के विस्तार में गंभीर रूप से बाधा पैदा कर रही है। उपसमितियों तथा फ्रैक्शनों के अभाव में, जनसंगठनों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत स्तर पर आ जाती है। जनसंगठनों का तालमेलपूर्ण काम और जनसंगठनों में पार्टी के निर्माण का काम भी प्रभावित हो रहा है। हमारे कामरेडों में समर्पण, साहस, प्रतिबद्धता और कुर्बानी की भावना की कोई कमी नहीं है। जरूरत इसकी है कि हमारे कामरेडों के इन गुणों को समुचित रूप से बांधा जाए और उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। विभिन्न स्तरों पर पार्टी कमेटियों का सांगठनिक सिद्धांतों के आधार पर नियमित रूप से काम करना, वांछित लक्ष्य हासिल करने में मददगार होगा।

उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य का गठन, सन 2000 के नवंबर में, उत्तर प्रदेश से काटकर किया गया था। उस समय नवगठित राज्य में पार्टी की कुल सदस्यता 500 के करीब थी। राज्य के विभाजन के मुद्दे पर हमारे रुख के चलते, शुरूआती दौर में पार्टी को, नये राज्य के गठन के जुनून के बीच, एक कठिन दौर से गुजरना पड़ा था। लेकिन, इन कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए, राज्य के गठन के बाद के शुरू के वर्षों में ही पार्टी ने, जनता के मुद्दों पर विभिन्न आंदोलनों का विकास करने के एकजुट तरीके से काम करते हुए, एक दिखाई देने वाली राजनीतिक ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। इस प्रक्रिया में पार्टी की सदस्यता, 2014 में 1300 के करीब हो गयी। लेकिन, इस तरह की पहल के वेग को बाद में दौर में बनाए नहीं रखा जा सका, जिसके सांगठनिक तथा सामाजिक-राजनीतिक, दोनों तरह के अनेक कारक जिम्मेदार थे।

लगातार पार्टी के दो राज्य सम्मेलनों ने जिस मुख्य समस्या की पहचान की है, वह है राज्य में पार्टी सदस्यों के बहुमत को नियमित पार्टी कार्य में सक्रिय करने में विफलता। इसकी अभिव्यक्ति ज्यादातर जनमोर्चों की एक हद तक ठंडी गतिविधियों में भी होती है। पिछले दो राज्य सम्मेलनों के बीच पार्टी की सदस्य संख्या में, ड्राप होने वालों को भी हिसाब में लिया जाए तो, करीब 100 की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। यह पार्टी में लगभग गतिरोध की ही स्थिति को दिखाता है।

राज्य कमेटी की आम तौर पर, औसतन दो महीने में बैठक होती है। इसके साथ इसके बीच की अवधि में सेक्रेटेरियट स्तर पर विचार-विमर्श होता है और समय-समय पर केंद्रीय कमेटी द्वारा तय किए जाने वाले कार्यक्रमों/ गतिविधियों के आयोजन का प्रयास किया जाता है और आंदोलन, अभियान व गोलबंदियों के लिए स्थानीय मुद्दों को भी उठाने का प्रयास किया जाता है। बहरहाल, इन कार्यक्रमों/ गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से जिला व स्थानीय कमेटियों द्वारा राज्य भर में पार्टी सदस्यों तक ले जाए जाने में तथा उन्हें इन गतिविधियों में शामिल करने में विफलता, इस तरह के परिपालनों को और स्थानीय संघर्ष के लिए पहलों को गंभीर रूप से सीमित कर देती है।

कोशिशों के बावजूद, एक कार्यशील राज्य पार्टी केंद्र अब तक विकसित नहीं हो पाया है। यह राज्य सेक्रेटेरियट के सामूहिक काम-काज को सीमित करता है। एक राज्य पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए पहल की गयी है, लेकिन निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। केंद्र से काम-काज के लिए जरूरी होलटाइमरों के भरण-पोषण के लिए संसाधनों की कमी की समस्या अब भी बनी हुई है, जिससे सामूहिक रूप से निपटने की जरूरत है।

जनमोर्चों में ट्रेड यूनियन मोर्चा ही है जो एक हद तक नियमित रूप से काम कर रहा है। उसकी भी नियोजित गतिविधियों की और राज्य, जिला तथा यूनियन स्तर पर नियमित बैठकों की गंभीर रूप से कमी है। इसकी अभिव्यक्ति पिछले तीन साल के दौरान इस मोर्चे की सदस्यता करीब-करीब जहां की तहां बनी रहने में हुई है।

हालांकि पार्टी सदस्यों की बहुसंख्या औपचारिक रूप से किसान मोर्चे से जुड़ी हुई है, किसान मोर्चा भी अपनी गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने में विफलता से जूझ रहा है। यह इसके बावजूद, है कि किसानों के सामने आ रही समस्याओं पर राज्य स्तर के आंदोलन विकसित करने की बहुत भारी संभावनाएं हैं और पहाड़ से मैदानों की ओर तथा राज्य से बाहर भी किसानों का पलायन लगातार जारी है।

चार साल पहले छात्र मोर्चा करीब-करीब अस्तित्वहीन ही हो गया था। पिछले दो-तीन वर्षों में हालात में सुधार हुआ है क्योंकि देहरादून में तथा आस-पास के इलाके

में कुछ संस्थाओं में अच्छी तादाद में छात्र हमारे संपर्क में आए हैं। पार्टी ने छात्र मोर्चे के काम पर नजदीक से नजर रखना शुरू कर दिया है।

महिला तथा युवा मोर्चे की गतिविधियां भी गतिरोध की शिकार हैं, जिसकी अभिव्यक्ति पिछल कई वर्षो से उनकी सदस्यता न बढ़ने और ज्यादातर केंद्रीय आह्वानों पर जब-तब गतिविधियां आयोजित किए जाने में होती है।

कुछ सकारात्मक घटनाविकास भी हैं। तमाम सांगठनिक कमजोरियों के बावजूद, बादल फटने तथा राज्य में बाढ़ आने की पिछली विनाशकारी घटना के बाद, समूची पार्टी को तत्परता से बचाव व राहत के कार्य में लगाया जा सका और बहुत ही दूर-दराज के पहाड़ी गांवों में भी अधिकांश पार्टी सदस्य, सक्रिय रूप से पीड़ितों के साथ खड़े रहे। मुसीबत के शिकार इलाकों में लोगों ने इस सचाई को पहचाना और उसकी सराहना की।

दूसरे, राज्य कमेटी ने 2015 के अगस्त के दौरान केंद्रीय कमेटी के अभियान के आह्वान के पालन में सुनियोजित तरीके से पहल की, जिसके फलस्वरूप पार्टी की अधिकांश ब्रांचों को इस अभियान में जोड़ा जा सका। इसके बाद, 25 अक्टूबर 2015 को देहरादून में एक अच्छी जनसभा का कार्यक्रम हुआ, जिसकी तैयारी के अभियान में राज्य में पार्टी के अधिकांश सदस्यों को शामिल किया गया।

इस तरह की सामूहिक पहलों की निरंतरता के साथ ही शिक्षा के नियोजित कार्यक्रम, नियोजित प्रचार, आंदोलन तथा जनसंघर्षों के बल पर, समग्र सांगठनिक स्थिति में निकट भविष्य में ही उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है।

सांगठनिक प्रस्ताव

कोलकाता में 27 से 31 दिसंबर 2015 तक संपन्न
सांगठनिक प्लेनम द्वारा स्वीकृत

21वीं कांग्रेस के निर्देश के अनुसार आयोजित यह सांगठनिक प्लेनमः

संकल्प करता है

कि अपनी पार्टी की सांगठनिक सामर्थ्यों को बढ़ाया जाए तथा चुस्त-दुरुस्त किया जाए ताकि और जबर्दस्त जन-संघर्षों को छेड़ा जा सके और इस तरह हमने जो राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन अपनायी है उसके अनुरूप, अपनी पार्टी की स्वतंत्र शक्ति का विकास किया जा सके। इस लाइन का लक्ष्य भारतीय जनता के बीच ताकतों के संतुलन को वाम-जनवादी मोर्चे के पक्ष में मोड़ना है, जोकि जनता के जनवादी मोर्चे का और जनता की जनवादी क्रांति को सफलतापूर्वक संपन्न करने की ओर प्रगति का पूर्वाधार बनेगा।

रेखांकित करता है

कि यह जरूरी है कि हमारी सांगठनिक सामर्थ्यों का बड़े पैमाने पर विकास किया जाए ताकि इन क्रांतिकारी लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और हमारी जनता के तमाम शोषित वर्गों को गोलबंद करने वाली मजदूर वर्ग की राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आ सकें:

- क्योंकि विश्व पूंजीवादी संकट की वस्तुगत स्थितियां दिखाती हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत चाहे कितने भी सुधार क्यों न किए जाएं, जनता को बढ़ते शोषण से मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह मुक्ति तो राजनीतिक विकल्प के रूप में समाजवाद से ही मिल सकती है।
- क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जिसके पास एक वैकल्पिक नीतिगत खाका है, जिससे हमारी जनता अपनी अंतर्निहित संभावनाओं को हासिल कर सकती है और इसके आधार पर एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकती है।

0 क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जो भारतीय युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना पेश करती है। हमारी पार्टी ही है जो ऐसी वैकल्पिक नीतियां पेश करती है, जिनसे हमारे देश के संसाधनों को जुटाकर हमारे लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और वहनीय रोजगार मुहैया कराया जा सकता है।

0 क्योंकि हम ऐसी अविचल राजनीतिक ताकत हैं जो हमारे बहु-धार्मिक, बहु-भाषाभाषी, बहु-सांस्कृतिक तथा बहु-नृजातीय जनगण की एकता की वकालत करती है तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाने की तमाम कोशिशों के खिलाफ संघर्ष करती है और एक घोर असहिष्णु फासीवादी 'हिंदू राष्ट्र' की अपनी परियोजना थोपने की आरएसएस/ भाजपा की साजिशों को विफल करती है।

0 क्योंकि हमारी ऐसी पार्टी है जो हर रंग के आतंकवाद तथा तत्ववाद के खिलाफ सतत रूप से संघर्ष करती आयी है। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक तत्ववाद, एक दूसरे को खुराक देते हैं तथा मजबूत करते हैं।

0 क्योंकि हमारी ऐसी पार्टी है जो जाति पर आधारित छुआछूत का, भेदभाव की सभी अभिव्यक्तियों का और हर प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न का अंत करने के लिए प्रयत्नशील है।

0 क्योंकि हमारी ऐसी पार्टी है जो दृढ़तापूर्वक राजनीतिक नैतिकता के सबसे ऊंचे मानदंडों पर चलती है और भ्रष्टाचार तथा नैतिक गिरावट के खिलाफ संघर्ष चलाती है।

दर्ज करता है

कि हमारे दौर की निम्न ठोस परिस्थितियों में इस संकल्प को पूरा किया जाना है:

- राजनीतिक ताकतों का अंतर्राष्ट्रीय संतुलन प्रतिकूल है, जो सोवियत संघ के तथा पूर्वी योरप के समाजवादी निजामों के बिखरने के बाद से साम्राज्यवाद के पक्ष में झुका हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विश्वीकरण को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं।
- इसके साथ-साथ कम्युनिस्टविरोधी, प्रगतिशीलताविरोधी विचारधारात्मक हमला सभी क्षेत्रों—राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि—में

चल रहा है ताकि जनता को और खासतौर पर शोषितों के बढ़ते तबकों को अराजनीतिक बनाया जा सके।

- अनेक देशों में बढ़ता लोकप्रिय जनप्रतिरोध तो है, लेकिन वह अब तक पूंजी के शासन के खिलाफ वर्गीय हमला बोलने के जरिए, एक समाजवादी राजनीतिक विकल्प पेश करने के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।
- भारतीय शासक वर्ग ने नवउदारवाद अपनाया है और इसके साथ ही भारत को, साम्राज्यवाद का अधीनस्थ सहयोगी बनाकर रख देने की कोशिशें चल रही हैं।
- इसके चलते हमारे समाज में ढांचागत बदलाव आए हैं, जिनका अलग-अलग तबकों पर अलग-अलग तरह से असर पड़ा है, जो हमारे सांगठनिक तौर-तरीकों में बदलाव की मांग करता है ताकि वर्ग संघर्षों को तीखा किया जा सके।
- भारत में सांप्रदायिक ताकतों का उभार हुआ है, जिन्होंने केंद्र सरकार पर कब्जा कर लिया है तथा राजसत्ता पर काबिज हो गयी हैं। ये ताकतें भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक मूलाधारों को कमजोर करने की और उसकी जगह पर आरएसएस की 'हिंदू राष्ट्र' की अवधारणा को बैठाने की कोशिश कर रही हैं।
- नवउदारवादी एजेंडा का आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया जाना, जो भारतीय जनता का शोषण तेज कर रहा है और जिसका घोर सांप्रदायिकता तथा बढ़ती तानाशाही के साथ योग हो रहा है।
- हमारे मजबूत आधारों पर, खासतौर पर बंगाल में, आतंक तथा दाब-धौंस की राजनीति के जरिए, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों की गिरोहबंदी का सतत हमला और इन हमलों को विफल करने के लिए अपने सांगठनिक जीवट को मजबूत करने की जरूरत।
- हमारी पार्टी तथा जनसंगठनों की शक्ति में अगर गिरावट न भी हो तब भी गतिरोध की स्थिति, उनकी सदस्यता की असमानता और हमारी चुनावी शक्ति में तेजी से गिरावट की हमारी सांगठनिक कमजोरी पर काबू पाना तत्काल, अत्यावश्यक हो गया है।

1978 में सलकिया में हुए हमारे पिछले सांगठनिक प्लेनम के विपरीत, जब देश में अपने राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से हमारी पार्टी उछाल पर थी, आज हम अपने राजनीतिक प्रभाव में गिरावट की प्रतिकूल परिस्थितियों में विचार करने बैठे हैं। इन परिस्थितियों में,

तत्काल जरूरी है कि

- एक जन लाइन अपना कर हमारी स्वतंत्र शक्ति तथा हमारी हस्तक्षेप की क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया जाए, वामपंथी एकता को मजबूत किया जाए और वाम-जनवादी मोर्चे का गठन किया जाए, जो महज एक चुनावी मोर्चा ही नहीं है बल्कि प्रतिक्रियावादी सत्ताधारी वर्गों को अलग-थलग करने के जरिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक बदलाव लाने के लिए, संघर्षशील ताकतों का गठबंधन है।
- कारगर तरीके से संयुक्त मोर्चे की कार्यनीति को लागू किया जाए ताकि संयुक्त आंदोलनों के विकास के जरिए, एकता और संघर्ष के दुहरे काम को पूरा किया जा सके, जो कि हमें शोषित वर्ग के ऐसे हिस्सों तक पहुंचने में समर्थ बनाएगा, जो फिलहाल पूजीवादी पार्टियों के प्रभाव के दायरे में हैं।
- राजनीतिक हालात में आ सकने वाले तेज रफ्तार बदलावों से निपटने के लिए, खुद अपनी राजनीतिक-कार्यनीतिक लाइन के अनुरूप लचीली कार्यनीति लागू की जाए।
- विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, जन गोलबंदियों तथा मुद्दा-आधारित आंदोलनों के साथ, संयुक्त मंच गठित किए जाएं।
- चुनावी कार्यनीति को, वाम-जनवादी मोर्चे की प्रधानता के अनुरूप ढाला जाए।

- *वर्गीय व जनसंगठनों को मजबूत करने के लिए:*

  0 जमींदार-ग्रामीण धनी गठजोड़ के खिलाफ खेत मजदूरों, गरीब किसानों, मंझले किसानों, गैर-कृषि क्षेत्र में काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों, दस्तकारों तथा ग्रामीण गरीबों के अन्य तबकों का एक व्यापक मोर्चा खड़ा किया जाए।

  0 कुंजी की तरह अति-महत्वपूर्ण माने जाने वाले तथा रणनीतिक महत्व के उद्योगों में मजदूरों को संगठित किया जाए; संगठित तथा असंगठित, दोनों ही तरह के उद्योगों में ठेका मजदूरों को संगठित किया जाए; ट्रेड यूनियनों तथा युवा, महिला आदि संगठनों के साथ तालमेल के साथ, इलाका-आधारित संगठन स्थापित किए जाएं।

  0 बस्तियों/ इलाकों में, शहरी गरीबों को संगठित किया जाए; पेशे पर आधारित इलाका-मोहल्ला-बस्ती कमेटियों का गठन किया जाए।

  0 मध्य वर्ग के बीच काम, खासतौर पर विचारधारात्मक काम को मजबूत

किया जाए और इसके लिए विभिन्न मंचों को कायम किया जाए जैसे नागरिक मंच, सांस्कृतिक गतिविधियों/ कार्रवाइयों को व वैज्ञानिक मानस को बढ़ावा देने के लिए मंच और उनके जीवन तथा काम से संबंधित अन्य मंच। रहवासी एसोसिएशनों, पेंशनर एसोसिएशनों तथा प्रोफेशनल निकायों में काम को मजबूत बनाया जाए।

इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरत है:

- *फौरन पार्टी केंद्र को मजबूत किया जाए, जिसके लिए:*
    - केंद्र में पोलित ब्यूरो सदस्यों के बीच सुसंबद्धता, सामूहिक कार्य प्रणाली, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तथा नियमित जांच को सुनिश्चित किया जाए।
    - राज्यों के अभियानों, संघर्षों तथा आंदोलनों में, केंद्रीय नेताओं की और ज्यादा हिस्सेदारी हो।
    - सांगठनिक निर्णयों पर निगरानी रहनी चाहिए और जहां भी जरूरी हो हस्तक्षेप किया जाए।
    - केंद्रीय कमेटी में समय-समय पर जन-संगठनों के काम की समीक्षा की जाए।
    - स्थायी आधार पर पार्टी शिक्षा की व्यवस्था हो। सभी पार्टी सदस्यों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सुरजीत भवन में केंद्रीय पार्टी स्कूल स्थापित किया जाए।
    - विभिन्न विभागों के लिए सुयोग्य काडर जुटाए जाएं।
    - प्राथमिकतावाले राज्यों पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए और हिंदी-भाषी राज्यों की जरूरतें फौरन पूरी की जाएं।
- संसदीय तथा गैर-संसदीय संघर्षों का कारगर तरीके से योग स्थापित किया जाए।
- कम्युनिज्म और मार्क्सवाद के खिलाफ विश्व साम्राज्यवाद, उसकी एजेंसियों तथा भारतीय प्रतिक्रियावादी ताकतों के विचारधारात्मक हमले का मुकाबला किया जाए।
- *सांप्रदायिक ताकतों के विचारधारात्मक हमले का मुकाबला करने के लिए:*
    - साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, सांस्कृतिक हस्तियों तथा बुद्धिजीवियों के अन्य हिस्सों को गोलबंद किया जाए।

- 0 शिक्षकों तथा सामाजिक संगठनों को साथ लेकर, स्कूल-पूर्व तथा स्कूली शिक्षा के स्तर पर पहलें की जाएं। वैज्ञानिक मानस तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रचार-प्रसार के लिए सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- 0 शोषित वर्गों, दलितों तथा आदिवासियों के बीच, सांप्रदायिक प्रभाव की घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए विशेष गतिविधियां विकसित की जाएं।
- 0 प्रगतिशील व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों व सांस्कृतिक उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक आधारवाले सांस्कृतिक मंचों का गठन किया जाए। ट्रेड यूनियनें तथा अन्य जनसंगठन भी सांस्कृतिक गतिविधियों का तथा अपने इलाकों में सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करें।
- 0 समाज सेवा की गतिविधियां आयोजित की जाएं, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर, वाचनालय, राहत कार्य आदि, आदि।
- 0 जनविज्ञान तथा साक्षरता आंदोलनों को मजबूत किया जाए।

इन कामों को सफलता के साथ पूरा करने के लिए

- *पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता में भारी सुधार के वास्ते*
  - 0 भर्ती में ढील-ढ़ाल खत्म की जाए; जनसंघर्षों के बीच से लड़ाकू लोगों की पहचान की जाए और उन्हें आक्ज़िलरी ग्रुपों (ए जी) के जरिए भर्ती किया जाए; पार्टी संविधान में निर्धारित पांच मानदंडों के आधार पर पार्टी की सदस्यता का नवीकरण किया जाए।
  - 0 आक्जिलरी ग्रुपों को समुचित तरीके से चलाया जाए और उनमें मार्क्सवाद-लेनिनवाद का समुचित अध्ययन कराया जाए ताकि उम्मीदवार सदस्यों के रूप में पार्टी में उनके प्रवेश के लिए जमीन तैयार की जा सके।
  - 0 सभी पार्टी सदस्यों का जन तथा वर्गीय संगठनों में हिस्सा लेना सुनिश्चित किया जाए।
  - 0 पार्टी कमेटियों के और विशेष रूप से उच्चतर स्तर की कमेटियों के वर्गीय तथा सामाजिक गठन में सुधार लाया जाए।
  - 0 महिला पार्टी सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाए ताकि अगले तीन वर्षों में इसे 25 फीसद पर ले जाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

- पार्टी के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को युवाओं को आकर्षित करने की ओर उन्मुख करने के जरिए, पार्टी में युवाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए।
- युवतर साथियों की निशानदेही करने तथा उन्हें प्रमोट करने के जरिए और संबंधित साथियों के सामूहिक आकलन के आधार पर उन्हें काम सौंपा जाना सुनिश्चित करने के जरिए, समुचित कॉडर नीति लागू की जाए।
- ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी होलटाइमरों के रूप में विकसित किया जाए, जो क्रांतिकारी रूपांतरण के लिए संघर्षों में विचारधारात्मक निष्ठा तथा कुर्बानी की मिसाल हों।
- पार्टी होलटाइमरों के लिए समुचित वेतन ढांचे का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और भुगतान की नियमितता बनाए रखी जाए।
- निर्धारित दरों के हिसाब से पार्टी लेवी का भुगतान कड़ाई से लागू कराया जाए।
- पार्टी के वित्तीय संसाधन के मुख्य स्रोत के रूप में नियमित रूप से जन-चंदा अभियान चलाए जाएं। सभी स्तरों पर पार्टी तथा जनसंगठनों के जमा-खर्च का हिसाब विधिवत रखा जाए।

■ *जीवंत जनवादी केंद्रीयता सुनिश्चित करने के वास्ते*

- नियमित बैठकों के साथ ब्रांचों का समुचित रूप से काम करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ब्रांच सचिवों को तैयार करने तथा प्रशिक्षित करने की जरूरत होगी। जनता के साथ जीवंत संपर्क बनाए रखने के लिए, ब्रांचों का कारगर तरीके से काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- सभी स्तरों पर पार्टी कमेटियों के काम-काज में सुधार लाया जाए।
- व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ सामूहिक काम-काज और नियमित जांच-परख के सांगठनिक सिद्धांत को समग्र रूप से पार्टी में सख्ती से लागू किया जाए। दी गयी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की समय-समय पर समीक्षा हो।
- आलोचना तथा आत्मालोचना के हथियार को धारदार बनाया जाए।
- पार्टी में अंदरूनी जनतंत्र को मजबूत बनाया जाए। निचली इकाइयों तथा पार्टी सदस्यों की ओर से आने वाली प्रतिक्रियाओं तथा विचारों पर, नेतृत्व ध्यान दे तथा उनका प्रत्युत्तर दे।

0 संघवाद, मनोगतवाद, उदारवाद तथा गुटबाजी जैसे गलत रुझानों की काट की जाए। संसदवादी भटकाव का मुकाबला किया जाए।

0 हर साल सदस्यता के नवीकरण के साथ, दुरुस्तीकरण अभियान चलाया जाए तथा उसकी समीक्षा की जाए।

■ *शक्तिशाली जनसंगठनों का निर्माण करने के वास्ते*

अपने जनसंगठनों की शक्ति तथा प्रभाव का विस्तार किया जाए।

0 जनसंगठनों के संबंध में केंद्रीय कमेटी के पहले के प्रस्तावों का कड़ाई से पालन करने के जरिए, उनकी स्वतंत्र तथा जनतांत्रिक कार्यप्रणाली को और मजबूत किया जाए।

0 जन-मोर्चों के अखिल भारतीय तथा राज्य केंद्रों को मजबूत किया जाए।

0 जनसंगठनों की प्राथमिक इकाइयां संगठित करने तथा उन्हें सक्रिय करने पर ध्यान दिया जाए।

0 जिन राज्यों में जनसंगठनों की पार्टी उपसमितियां तथा फ्रैक्शन कमेटियां नहीं हैं, अब उनका गठन किया जाए।

0 इन उपसमितियों तथा फ्रैक्शन कमेटियों का समुचित तथा नियमित तरीके से काम करना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें पार्टी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

■ *सामाजिक मुद्दे उठाने के वास्ते*

0 समग्रता में पार्टी, लैंगिक दमन के खिलाफ और दलितों, आदिवासियों, विकलांगों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के खिलाफ, संघर्ष की अलमबरदार बने।

0 दलितों, आदिवासियों, मुस्लिम अल्पसंख्यकों तथा हमारी जनता के विकलांग हिस्सों के मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए हमने जो मंच कायम किए हैं, उनकी सक्षमता तथा कारगरता में सुधार किया जाए।

0 आर्थिक शोषण तथा सामाजिक दमन के मुद्दों को साथ-साथ उठाया जाए—इन दो टांगों पर चलकर ही भारत में वर्गीय संघर्ष आगे बढ़ सकता है।

- *अपने प्रभाव का विस्तार करने के वास्ते*
  - 0 संगठन के लिहाज के अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों, खासतौर पर हिंदीभाषी राज्यों में पार्टी संगठन तथा आंदोलनों को मजबूत किया जाए।
  - 0 सांस्कृतिक क्षेत्र में पहले से चल रही गतिविधियों को मजबूत करने तथा नये-नये इलाकों में सांस्कृतिक ग्रुप स्थापित करने के जरिए, इस क्षेत्र में गतिविधियों को तेज किया जाए।
  - 0 प्राथमिकतावाले राज्यों की सूची को सुधारा जाए। हरेक राज्य भी, प्राथमिकतावाले क्षेत्रों तथा मोर्चों का चयन करे और उनके विकास पर समुचित ध्यान दे।
  - 0 उच्चतर कमेटियों के मार्गदर्शन में पार्टी इकाइयों में ऐसी क्षमताओं का विकास किया जाए कि वे जनता को आंदोलित करने वाले मुद्दों पर सतत स्थानीय संघर्ष छेड़ने पर लगातार ध्यान दे सकें।
  - 0 संसदीय तथा अन्य निर्वाचित निकायों की पार्टी कमेटियों को मजबूत किया जाए ताकि उनमें कारगर हस्तक्षेप और गैर-संसदीय संघर्षों के मुद्दे निर्वाचित निकायों में उठाने के जरिए, उनमें इन संघर्षों का प्रतिबिंबित होना सुनिश्चित किया जा सके।
  - 0 नियमित रूप से पार्टी स्कूल आयोजित किए जाएं और एक केंद्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तथा इसके साथ ही स्वाध्याय के लिए एक जरूरी पाठ्य सामग्री सूची तैयार की जाए।
  - 0 पार्टी के अखबारों तथा प्रकाशनों के प्रसार तथा गुणवत्ता में भारी सुधार किया जाए और उनके स्वरूप तथा अंतर्वस्तु को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
  - 0 पार्टी के रुख तथा विचारों के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में हस्तक्षेपों के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए और उसके जरिए हमारे संदेश तथा विचारों को जनता के व्यापकतर हिस्से तक पहुंचाया जाए।

इसलिए, सारतः हमें करना यह है कि

- भारतीय जनता के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाएं ताकि खुद को और प्रबल जन तथा वर्गीय संघर्ष छेड़ने के लिए सामर्थ्यसंपन्न बना सकें।
- पार्टी की जनलाइन को कारगर तरीके से अपनाएं तथा लागू करें ताकि जनता के

साथ जीवंत संबंध स्थापित होना सुनिश्चित किया जा सके।

- जनता के सभी ग्रामीण शोषित तबकों की संघर्षशील एकता कायम करने के जरिए, कृषि क्रांति को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जोकि जनवादी क्रांति की धुरी है।
- मजदूर-किसान एकता को विकसित करने के प्रयासों को मजबूत किया जाए।
- *मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रयत्न केंद्रित हों:*
    - 0 आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर वर्गीय तथा जनसंघर्ष खड़े करना ताकि पार्टी के प्रभाव का विस्तार किया जा सके और वामपंथी व जनवादी ताकतों को गोलबंद किया जा सके।
    - 0 जनलाइन को अपनाना और जनता से जीवंत रिश्ते कायम करना।
    - 0 संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाना ताकि एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण किया जा सके, जिसके सदस्यों की गुणवत्ता ऊंचे स्तर की हो।
    - 0 युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने के विशेष प्रयास करना।
    - 0 सांप्रदायिकता, नवउदारवाद तथा प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष चलाना।

ये सभी काम पार्टी केंद्रीय कमेटी केंद्र से लगाकर, समयबद्ध तरीके से पूरे करने होंगे। पार्टी राज्य कमेटियों को भी इनके समयबद्ध परिपालन की योजनाओं को ठोस रूप देना होगा और एक साल में उनकी समीक्षा करनी होगी।

सी पी आइ (एम): भारतीय जनता की क्रांतिकारी पार्टी

बहरहाल, सी पी आइ (एम) की इस संकल्पना को यथार्थ में बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सांगठनिक सामर्थ्यों में भी बढ़ोतरी करें। एक क्रांतिकारी पार्टी के नाते हमें, भारत की आजादी के लिए और एक जनहितकारी समाजवादी विकल्प के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षों की समृद्ध थाती विरासत में मिली है। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू क्रांतिकारी आंदोलनों में तमाम विचारधारात्मक तथा सांगठनिक भटकावों के खिलाफ संघर्षों में सफलतापूर्वक जीत की थाती भी हमें विरासत में मिली है।

तमाम मार्क्सवादविरोधी विचारधाराओं का मार्क्सवाद-लेनिनवाद की क्रांतिकारी अंतर्वस्तु पर कायम रहते हुए और कम्युनिस्ट आंदोलन में वामपंथी संकीर्णतावाद तथा दक्षिणपंथी संशोधनवाद का मुकाबला करते हुए, सी पी आइ (एम), अपने नेतृत्व में चलने वाले

जनता के संघर्षों के बल पर, भारत की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट ताकत बनकर सामने आयी है। यह मुकाम भारी कुर्बानियों और हमारे हजारों कामरेडों की शहादत के बल पर हासिल हुआ है।

जब तक तमाम शोषित वर्गों की जनता की विराट संख्या तमाम शोषक सत्ताधारी वर्गों के खिलाफ बगावत करने के लिए उठकर खड़ी नहीं होती है, कोई सामाजिक रूपांतरण संभव नहीं है, वास्तव में उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अंतिम विश्लेषण में जनता ही इतिहास रचती है। क्रांतिकारी इतिहास भी इसका अपवाद नहीं है। एक क्रांतिकारी पार्टी के नाते सी पी आइ (एम) को, इस जनउभार का अगुआ बनकर सामने आना चाहिए। यही हमारा ऐतिहासिक दायित्व है।

आइए, इस प्लेनम में हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने की ओर बढ़ने के अपने संकल्प को दोगुना कर के दुहराएं!

एक अखिल भारतीय जनाधारवाली और मजबूत सी पी आइ (एम) की ओर बढ़ें!

एक जनलाइन वाली क्रांतिकारी पार्टी की ओर बढ़ें!

अनुलग्नक-1

तालिका-1

पार्टी सदस्यता

राज्य का नाम	वर्ष			
	2000	**2005**	**2010**	**2015**
अंडमान और निकोबार	137	73	228	153
आंध्र प्रदेश	37,731	57,469	79,468	33,257
असम	10,318	11,793	14,514	13,557
बिहार	19,445	18,686	20,101	21,537
छत्तीसगढ़		1,327	1,863	1,706
दिल्ली	1,112	1,589	1,835	2,143
गोवा	65	--	54	54
गुजरात	2,572	3,383	3,556	4,047
हरियाणा	1,293	1,690	2,164	2,879
हिमाचल प्रदेश	943	1,122	1,930	2,360
जम्मू और कश्मीर	650	1,391	1,654	1,948
झारखंड		3,900	5,698	5,582
कर्नाटक	6,327	6,980	7,528	9,875
केरल	2,93,141	3,27,839	3,62,597	4,18,756
मध्य प्रदेश	3,160	2,680	2,724	3,329
महाराष्ट्र	8,122	11,148	12,248	12,106
मणिपुर	344	418	542	527
ओडिशा	2,978	3,817	4,757	5,039
पंजाब	14,510	11,503	8,830	9,221
राजस्थान	2,628	3,498	4,499	4,563
सिक्किम	200	80	120	60
तमिलनाडु	83,142	1,00,610	93,792	1,06,247
तेलंगाना				47,199
त्रिपुरा	38,222	53,836	76,374	89,570
उत्तराखंड		940	1,110	1,310
उत्तर प्रदेश	5,691	6,345	6,180	5,508
पश्चिम बंगाल	2,38,829	2,72,923	3,19,435	2,46,072
केंद्रीय कमेटी– केंद्र	95	94	107	100
कुल	**7,71,655**	**9,05,134**	**10,33,908**	**10,48,678**

तालिका-2

पार्टी सदस्यता का वर्गीय गठन

राज्य का नाम	मजदूर वर्ग	%	खेत मजदूर	%	गरीब किसान	%	मंझले किसान	%	धनी किसान	%	मध्य किसान	%
अंडमान और निकोबार	49	32	5	3.3	62	40.5	2	1.3	Nil	Nil	32	20.9
आंध्रा प्रदेश	10765	32.4	12867	38.8	5213	15.7	5213	15.7	1377	4.1	1483	4.5
असम (13540)	3321	24.5	1391	10.3	5757	42.5	932	6.9	32	0.2	2107	15.6
बिहार (13408)	6524*	48.7	--		4412	32.9	1913	14.3	435	3.2	--	
छत्तीसगढ़ (1180)	488	41.1	31	2.6	400	33.9	31	2.6	Nil	Nil	230	19.5
दिल्ली	1594	74.4	1	0.04	8	0.4	--		--		504	23.5
गुजरात	2047	50.6	894	22.1	580	14.3	98	2.4	3	0.1	425	10.5
हरियाणा	1126	39.1	541	18.8	327	11.4	142	4.9	12	0.4	631	21.9
हिमाचल प्रदेश	523	22.2	122	5.2	914	38.7	372	15.8	15	0.6	296	12.5
जम्मू और कश्मीर	213	10.9	21	1.1	655	33.6	461	23.7	24	1.2	564	28
झारखंड (5391)	1376	25.5	888	16.5	2709	50.3	215	4	2	0.04	125	2.3
कर्नाटक (9863)	4776	48.4	2196	22.3	1754	17.8	598	6.1	2	0.02	535	5.4

केरल	246115	58.8	89456	21.4	29898	7.1	32621	7.8	1301	0.3	9301	2.2
मध्य प्रदेश	1729	51.9	258	7.8	990	29.7	155	4.7	2	0.1	95	2.9
महाराष्ट्र	1618	13.4	1967	16.2	6205	51.3	1333	11.0	321	2.7	490	4.0
मणिपुर	48	8.9	42	7.8	128	23.8	105	19.5	--		215	40
ओडिशा (4019)	820	20.4	837	20.8	1763	43.9	258	6.4	23	0.6	307	7.6
पंजाब	1623	17.6	3348	36.3	2713	29.4	846	9.2	95	1	497	5.4
राजस्थान (3410)	868	25.5	172	5	792	23.2	1419	41.6	8	0.2	151	4.4
तमिलनाडु	50135	47.2	29591	27.9	15444	14.5	3890	3.7	295	0.3	5910	5.6
तेलंगाना (46737)	14220	30.4	15502	33.2	9465	20.3	5097	10.9	372	0.8	1285	2.7
त्रिपुरा	22971	29.1	20351	25.8	17422	22.1	3864	4.9	252	0.3	9728	12.3
उत्तर प्रदेश (2203)	379	17.2	396	18	719	32.6	336	15.3	28	1.3	340	15.4
उत्तराखंड	Not available											
पश्चिम बंगाल	41231	16.9	40164	16.4	55934	22.9	19079	7.8	1480	0.6	71105	29.1
केंद्रीय कमेटी–केन्द्र	9	9.5	Nil		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	11	11.6
कुल	**414568**		**221041**		**164264**		**78980**		**6079**		**106367**	

* मजदूर वर्ग तथा खेत मजदूरों की संयुक्त संख्या

तालिका-3

पार्टी सदस्यता का सामाजिक गठन

राज्य का नाम	सदस्यता	पुरुष	%	महिला	%	मुस्लिम	%	अजा	%	अजजा	%
अंडमान और निकोबार	153	131	85.6	22	14.4	5	3.3	Nil		Nil	
आंध्रा प्रदेश (33203)	33257	26696	80.4	6507	19.6	2241	6.7	9127	27.5	4381	13.2
असम	13557	10814	79.8	2743	20.2	2436	18	1355	10	1303	9.6
बिहार	21537	20726	96.3	811	3.8	1703	7.9	3915	18.2	1212	5.6
छत्तीसगढ़ (1238)	1706	1043	85.1	195	15.9	Nil		165	13.5	350	28.5
दिल्ली	2143	1577	73.6	566	26.4	260	12.1	474	22.1		
गोवा	54	Not available									
गुजरात	4047	3458	85.4	589	14.6	273	6.7	451	11.1	604	14.9
हरियाणा	2879	2587	89.9	292	10.1	72	2.5	942	32.7	Nil	
हिमाचल प्रदेश	2360	2107	89.3	253	10.7	19	0.8	500	21.2	76	3.2
जम्मू और कश्मीर	1948	1913	98.2	35	1.8	1665	85.5	30	1.5	6	0.3
झारखंड	5582	4976	89.1	606	10.9	481	8.6	1274	22.8	1516	27.2

कर्नाटक (9819)	9875	7378	75.1	2441	24.9	825	8.4	2219	22.5	1168	11.8
केरल	418756	352305	84.1	66451	15.9	41748	10	67810	16.2	6110	1.5
मध्य प्रदेश	3329	2802	84.2	527	15.8	110	3.3	704	21.1	817	24.5
महाराष्ट्र	12106	10019	82.8	2087	17.2	549	4.5	1092	9	5974	49.3
मणिपुर	527	495	93.9	32	6.1	9	1.7	31	5.9	7	1.3
ओडिशा (4019)	5039	3601	89.6	418	10.4	65	1.6	757	18.8	645	16
पंजाब	9221	8671	94	550	6	68	0.7	4146	44.5	22	0.2
राजस्थान(3363)	4536	3181	94.6	182	5.4	205	6.1	159	4.7	649	19.3
सिक्किम	60	Not available									
तमिलनाडु	106247	87906	82.7	18341	17.3	2657	2.5	32818	30.9	2042	1.9
तेलंगाना	47199	39397	83.5	7802	16.5	1972	4.2	12233	25.9	5446	11.5
त्रिपुरा	89570	67539	75.40	22031	24.60	4429	5.6	15292	19.4	28235	35.8
उत्तर प्रदेश	5508	5077	92.2	431	7.8	334	6.2	678	12.6	13	0.2
उत्तराखंड	1310					80	6.1	140	10.7	30	2.3
पश्चिम बंगाल (244546)	246072	219083	89.6	25463	10.4	39940	16.3	56413	23.1	13443	5.5
केंद्रीय कमेटी–केंद्र	100	81	81.0	19	19.0	1	1.0	5	5.0	Nil	
कुल	**1048678**	**883563**	**84.72**	**159394**	**15.28**	**102147**	**9.79**	**212730**	**20.4**	**74049**	**7.1**

अखिल भरतीय स्तर पर पार्टी सदस्यता का विवरण

(2015 के सदस्यता नवीकरण के आधार पर)

अ)	पुरुष	:	8,83,563 (84.72)(कुल 10,42,957 में से)
	महिला	:	1,59,394 (15.28)
आ)	2014 की कुल सदस्यता	:	10,58,750
	पार्टी सदस्य	:	9,10,624 (कुल 10,14,354)
	उम्मीदवार सदस्य	:	1,03,730
	ड्राप हुए पार्टी सदस्य	:	72,031 (7.9)
	ड्राप हुए उम्मीदवार सदस्य	:	18,201 (17.5)
	प्रोन्नत उम्मीदवार सदस्य	:	79,513 (76.7)
इ)	2015 में कुल सदस्य	:	10,48,678
	पार्टी सदस्य	:	9,41,515 (89.9) (कुल 10,46,975 में से)
	उम्मीदवार सदस्य	:	1,05,460 (10.1)
ई)	आयुवार गठन	:	(10,28,779 में से)
	25 वर्ष तक	:	65,398 (6.36)
	26 से 31 वर्ष के बीच	:	1,40,504 (13.66)
	32 से 50 वर्ष के बीच	:	5,07,500 (49.33)
	51 से 70 वर्ष के बीच	:	2,87,148 (27.91)
	70 वर्ष से ऊपर	:	28,229 (2.74)
उ)	पार्टी में शामिल होने का वर्ष:		(10,20,508 में से)
	1947 से पहले	:	221 (0.02)
	1947 से 1963 के बीच	:	4,214 (0.41)
	1964 से 1976 के बीच	:	26,934 (2.64)

1977 से 1991 के बीच : 1,67,358 (16.4)
1992 से 2008 के बीच : 3,77,629 (37)
2008 के बाद : 4,44,152 (43.52)

ऊ) वर्गीय गठन (पेशे पर आधारित): (10,21,526)
मजदूर वर्ग : 4,14,568 (40.58)
खेत मजदूर : 2,21,041 (21.64)
गरीब किसान : 1,64,264 (16.08)
मध्यम किसान : 78,980 (7.73)
धनी किसान : 6,079 (0.6)
मध्य वर्ग : 1,06,367 (10.41)
जमींदार : 384 (0.04)
पूंजीपति : 1,745 (0.7)
पार्टी/जनसंगठनों के
पूर्णकालिक कार्यकर्ता : 10,139 (0.99)

ए) वर्गीय मूल (9,31,977 में से)
मजदूर वर्ग : 3,64,995 (39.16)
खेत मजदूर : 2,33,355 (25.04)
गरीब किसान : 1,58,273 (16.98)
मंझले किसान : 83,179 (8.93)
धनी किसान : 4,428 (0.48)
मध्यम वर्ग : 84,174 (9.03)
जमींदार/ पूंजीपति : 1,061 (0.11)

ऐ) शैक्षणिक पृष्ठभूमि (10,22,568 में से)
औपचारिक शिक्षा नहीं : 76,570 (7.49)
पांचवी कक्षा तक : 1,78,162 (17.42)
दसवीं कक्षा तक : 4,63,844 (45.36)
इंटरमीडिएट/प्रीडिग्री
/ हायर सैकेंडरी : 1,68,426 (16.47)
ग्रेजुएट : 1,07,447 (10.51)
पोस्ट-ग्रेजुएट : 27,886 (2.73)

ओ) आय		(10,26,283)
1000 रु0 तक	:	2,58,918 (25.23)
1001 से 5,000 रु0 तक	:	5,25,673 (51.22)
5001 से 10,000 रु0 तक	:	1,53,651 (14.97)
10,001 से 20,000 रु0 तक	:	54,103 (5.27)
20,000 रु0 से ऊपर	:	27,090 (2.64)

औ) संख्या—

अनुसूचित जाति	:	2,12,730 (20.32)
अनुसूचित जनजाति	:	74,049 (7.1)

अं) अल्पसंख्यक समुदायों से सदस्य—

मुसलमान	:	1,02,147 (9.79)
ईसाई	:	52,977 (5.06)

अ:) विभिन्न जन मोर्चों पर काम कर रहे साथी— (10,13,576 में से)

मजदूर वर्ग	:	2,12,294 (20.95)
किसान व खेतमजदूर		
यूनियन	:	3,52,116 (34.74)
महिला	:	1,21,027 (11.94)
युवा	:	1,66,233 (16.4)
छात्र	:	19,134 (1.89)
सांस्कृतिक	:	13,415 (1.32)
मध्यवर्गीय कर्मचारी	:	42,381 (4.18)

कमेटियों के गठन पर 14 अगस्त 2004 को जारी पीबी सर्कुलर (क्र0 9/ 2004) का प्रासंगिक हिस्सा

कमेटियों का गठन

पार्टी के संविधान में बतायी गयी शक्तियों वाली जिला कमेटियों के गठन के नियम-कायदे इस प्रकार होंगे:

अ) जिला कमेटी के गठन के लिए कम से कम 200 पार्टी सदस्य (उम्मीदवार सदस्यों समेत) होने चाहिए। जिला कमेटी का दर्जा हासिल करने के लिए जिले में कम से कम 10 से 15 ब्रांच होना जरूरी है। (आबादी के लिहाज से बहुत छोटे राज्यों में तथा अन्य विशेष कारकों को देखते हुए, केंद्रीय कमेटी के अनुमोदन से इन नियमों में ढ़ील दी जा सकती है।)

ब) इससे कम (सदस्यता) पर जिला संयोजन (ऑर्गनाइजिंग) कमेटी का ही गठन किया जाना चाहिए। ऐसे जिले में जहां 3 से 5 तक ब्रांचें हों, एक लोकल कमेटी गठित की जा सकती है।

स) एक जिला संयोजन समिति तथा कुछ इलाकों में लोकल कमेटियां, जब तक पूर्ण जिला कमेटी का गठन नहीं हो जाता है, यही पैटर्न रहना चाहिए।

द) राज्य कमेटियों को लोकल/ मध्यवर्ती तथा जिला कमेटियों के आकार के लिए नियम-कायदे तय करने चाहिए। पार्टी कमेटियों के आकार में समरूपता के लिए, आंदोलन तथा उसकी शक्ति और सदस्यता आदि के आधार पर, कुछ दिशा-निर्देश मुहैया कराने चाहिए।

17वीं कांग्रेस से पहले, केंद्रीय कमेटी द्वारा सूत्रबद्ध किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन राज्यों में सदस्यता एक हजार तक है, राज्य संयोजन समिति (आर्गनाइजिंग कमेटी) का ही गठन किया जाएगा। ये राज्य हैं: 1. मणिपुर। 2. गोवा। 3. सिक्किम। 4. अंडमान-निकोबार। 5. जम्मू-कश्मीर। 6. उत्तराखंड।

अनुलग्नक-5

28 दिसंबर 2002

पीबी सर्कुलर क्र0 21/ 2002

सभी राज्य कमेटियों के लिए

2003 के पार्टी सदस्यता नवीकरण के लिए

प्रिय कामरेडो,

पार्टी संविधान तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पार्टी सदस्यता तथा नवीकरण की सालाना जांच 31 मार्च 2003 तक पूरी कर ली जानी चाहिए।

17वीं पार्टी कांग्रेस ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। पार्टी के संविधान के प्रावधानों, उसके तहत बने नियमों और 17वीं पार्टी कांग्रेस के निर्णयों के आधार पर, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:

1. पार्टी सदस्यता की सालाना जांच तथा नवीकरण का काम 31 मार्च 2003 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। राज्य कमेटियों को 31 मई 2003 तक केंद्र के पास सदस्यता शुल्क जमा करा देना चाहिए। राज्य कमेटियों को ब्रांच स्तर पर सदस्यता जांच व नवीकरण और मध्यवर्ती व जिला स्तरों पर जांच-पड़ताल का काम पूरा करने के लिए तारीखें तय करनी चाहिए।

2. पार्टी ब्रांच/ पार्टी कमेटी को सालाना जांच तथा सदस्यता नवीकरण के लिए अपनी बैठक समुचित पूर्व-तैयारी के साथ करनी चाहिए। पार्टी सदस्यता का नवीकरण, ब्रांच मीटिंगों तथा जनरल बॉडी मीटिंगों में, पार्टी कक्षाओं में तथा पार्टी व जनसंगठनों की गतिविधियों में सदस्यों की हाजिरी के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी ब्रांचों/ कमेटियों को उच्चतर कमेटी द्वारा जांच के लिए, हरेक सदस्य की गतिविधियों का रिकार्ड और सालाना जांच व नवीकरण के विचार-विमर्श व निर्णयों का रिकार्ड रखना चाहिए। ब्रांचों/ कमेटियों को सालाना जांच व नवीकरण की बैठक, उच्चतर कमेटी के सदस्य की उपस्थिति में करनी चाहिए।

3. कोई भी पार्टी सदस्य अगर लगातार कुछ अर्से के लिए तथा बिना समुचित कारणों के पार्टी तथा जनसंगठनों की गतिविधियों में शामिल होने, पार्टी का देय चुकाने में विफल रहता है, उसे पार्टी सदस्यता से हटा दिया जाएगा। कोई यूनिट अगर किसी सदस्य को सदस्यता से हटाना (ड्राप करना) चाहती है, तो वह ऐसा संबंधित सदस्य को अपनी सफाई पेश करने का मौका देने के बाद ही कर सकती है। सदस्य को हटाने का फैसला संबंधित कमेटी द्वारा लिखित रूप में उच्चतर कमेटी को बताना होगा। पार्टी सदस्यता से हटाए जाने के निर्णय के पीड़ित को, इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा।

4. ब्रांच/ कमेटी द्वारा पार्टी सदस्यता की जांच तथा नवीकरण की रिपोर्ट, पुष्टि तथा दर्ज किए जाने के लिए, अगली उच्चतर कमेटी को भेजनी होगी। उच्चतर कमेटी, सदस्यता की पुष्टि करते हुए तथा उसे दर्ज करते हुए, हटाए जाने वालों की सूची की जांच करेगी और इस संबंध में अपनी ठोस राय देगी। जिला कमेटी, पार्टी सदस्यता जांच व नवीकरण की अपनी रिपोर्ट राज्य कमेटी देगी ताकि वह अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सके।

5. पार्टी ब्रांच/ कमेटी को सदस्यता फीस के 2 रु0 और नियमानुसार तय की गयी लेवी वसूल करनी होगी। अगर कोई सदस्य समय रहते सदस्यता फीस जमा नहीं करता है या देय होने के बाद अपनी लेवी जमा नहीं करता है, उसका नाम पार्टी की सदस्य सूची से काट दिया जाएगा।

6. नवीकरण के समय हरेक सदस्य को एक नवीकरण फार्म भरना होगा, जिसमें उसका नाम, पता, आयु, पार्टी में शामिल होने का वर्ष, शैक्षणिक योग्यता, आय, मोर्चा व अन्य विवरण शामिल होंगे।

7. सभी पार्टी सदस्यों/ उम्मीदवार सदस्यों की सदस्यता का रिकार्ड, जिला कमेटी की निगरानी में रखा जाना चाहिए। जहां रिकार्डों की प्रामाणिकता के संबंध में अंतिम सत्ता जिला कमेटी की होगी तथा उसकी प्राणामिक प्रति उसी की मानी जाएगी, रिकार्डों के रख-रखाव की जिम्मेदारी, संबंधित राज्य कमेटी अगर फैसला करती है तो, मध्यवर्ती/स्थानीय कमेटी को सौंपी जा सकती है।

8. ऑक्जिलरी ग्रुप, ब्रांचों/ कमेटियों के अंतर्गत गठित किए जाने चाहिए और उन्हें नये भर्ती होने वालों को राजनीतिक तथा सांगठनिक शिक्षा देनी चाहिए तथा उनके

कार्यकलाप की देख–रेख करनी चाहिए। उम्मीदवार सदस्यों की भर्ती ऑक्जिलरी ग्रुपों के जरिए ही की जानी चाहिए।

9. जिला कमेटियों/ मध्यवर्ती कमेटियों को नवीकरण के समय पर, राज्य कमेटियों द्वारा तय किए गए दिशा–निर्देशों के आधार पर, ब्रांच के काम–काज की सालाना समीक्षा आयोजित करनी चाहिए। राज्य कमेटी को इस काम के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार करने चाहिए।

10. पार्टी ब्रांचों तथा संबंधित पार्टी कमेटियों को, अनुलग्नक में प्रदर्शित नमूने के अनुसार, पार्टी सदस्यों के विवरणों का एकीकृत बयान, सालाना जांच तथा नवीकरण के लिए उच्चतर कमेटी को देना होगा।

शुभकामनाओं के साथ,

कामरेडाना तरीके से आपका ही

ह0
(हरकिशनसिंह सुरजीत)
महासचिव